राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 11

मंगलवार;

21 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर स्थित मुगल दुर्ग अकबर किले का जीर्णोद्धार

166. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अजमेर स्थित मुगल दुर्ग अकबर किले के जीर्णोद्धार हेतु वर्ष 2006-07 में 1.80 लाख, वर्ष 2007-08 में 38.86 लाख व वर्ष 2008-09 में 61.14 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किले के एक हिस्से में सी.आई.डी. पुलिस का कार्यालय संचालित होने से उस हिस्से का जीर्णोद्धार कार्य नहीं करवाया जा सका ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष, 2007 में किला खाली करवाने का निर्णय लिया जा चुका है ? यदि हां, तो किला कब तक खाली करा लिया जायेगा ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती बीना काक): (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त भवन को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सी.आई.डी.) विदेश शाखा, जोन अजमेर ने सूचित किया है कि राज्य सरकार/नगर निगम अजमेर द्वारा आबंटित भूमि पर भवन निर्माण (जिसके लिये बजट

(श्रीमती बीना काक)

आबंटित किया जा चुका है) पूर्ण होने तक उक्त भवन खाली किया जाना सम्भव नहीं है। इसमें लगभग एक वर्ष का समय लगने की सम्भावना है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह भवन जो स्मारक के लिये पैसा स्वीकृत किया गया है। स्मारक की रिपेयर के लिये और रख-रखाव के लिये वह पैसा एक साल तक क्या ऐसे ही रखा रहेगा जब तक वह भवन खाली नहीं होगा तब तक? वह पैसा लैप्स तो नहीं होगा? पहला प्रश्न।

दूसरा, मेरा प्रश्न है कि अजमेर पर्यटन विभाग की ओर से एक मेगा प्रोजेक्ट बना करके केन्द्र सरकार को उसकी स्वीकृति के लिये भेजा गया था। क्या राज्य सरकार को उसकी स्वीकृति की सूचना मिल चुकी है? यदि स्वीकृति मिली है तो उस प्रोजेक्ट के तहत क्या-क्या कार्य कराये जायेंगे और कितने लाख रुपये की स्वीकृति आयी है?

तीसरा, मेरा प्रश्न यह है कि अजमेर के समस्त पर्यटक स्थलों तक पर्यटकों को ले जाने के लिये उनको सुविधा हो इसलिये एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट तैयार किया था, वह प्रोजेक्ट किस स्तर पर लम्बित है और कब तक उस प्रोजेक्ट को प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अकबरी किला प्रोटेक्टिव मोन्यूमेंटस है और इतिहास के पन्नों में इस अकबरी किले की बहुत ही अहमियत है। यह किला 1570 में बनवाया गया था और उस वक्त रानी एलिजाबेथ ने मुगल कोर्ट में ...(व्यवधान) अब मैं पहले बैठ जाऊं।

आज किस हाल में है तो आ रही हूं ना। मुगल कोर्ट आपको बताना चाहती हूं कि उसकी अहमियत क्या है। जब अहमियत हम समझेंगे 'कद्रे गौहर जानता है कोई शाह या जौहरी, हर बशर ने पाया नहीं मर्तबा पहचान का' आप जब तक इसकी कद्र ही नहीं समझोगे तब तक इसको ठीक कराने की भी बात नहीं होगी। तो मैं यह बताना चाहती थी कि क्वीन एलिजाबेथ ने अपने नुमाइंदे के रूप में सर थॉमस रॉ को मुगल कोर्ट में एम्बेसेडर अपाइंट किया था और जब भी शहंशाह अकबर अजमेर शरीफ तशरीफ लाते थे तो वह यहीं पर ठहरा

(श्रीमती बीना काक)

करते थे लेकिन इसकी अहमियत और भी है खास तौर से सर थॉमस रॉ जब शहंशाह जहांगीर से ट्रेडिंग के बारे में बात करने जाते थे इसी किले के अन्दर वह बातचीत होती थी और एक इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा हुआ है कि एक बार ऐसा भी वाकया आया था एक कोई झरोखा है उस झरोखे के अन्दर थॉमस सीढ़ी चढ़ करके शहंशाह जहांगीर से मिले थे तो इस वजह से इस किले की अहमियत बहुत है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिये काम स्वीकृत हुए थे। 2006 से लेकर 2009 तक एक करोड़ एक लाख अस्सी हजार के कार्य हुए। हालांकि जो प्रपोजल था, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनायी गयी थी वह 3 करोड़ के करीब थी लेकिन इसमें करीब 1.25 करोड़ का, 1.50 करोड़ का काम हुआ।

माननीय सदस्या ने पूछा है कि जो पैसा है वह लैप्स तो नहीं हो गया ? जी नहीं। टेण्डर जरूर हो गया था। टेण्डर लैप्स हो गया और एक एच.एच. हाई लेवल कमेटी होती है जिसमें यह एप्रूवल होती है। उससे एप्रूवल नहीं मिली इसलिये टेण्डर लैप्स हुआ लेकिन पैसा माननीय सदस्या लैप्स नहीं हुआ। तो इसमें करीब 95 लाख के जीर्णोद्धार के कार्य हुए जिसमें परियोजना रिपोर्ट के ऊपर पैसा लगा, विद्युत के कार्य हुए, सीलन व नमी को रोकने के लिये कार्य किये गये थे। प्रायोरिटाइज कर लिया गया था कि 3 करोड़ में से जो-जो निहायती जरूरी हैं उनको पहले ले लिया जायेगा।

अब आती है जो सी.आई.डी. का दफ्तर इस किले के अन्दर मौजूद है। यातायात पुलिस का भी था जिसे खाली करवा लिया गया है। सी.पी.डब्ल्यू.डी. का एक गोदाम जो अबेंडेंट पड़ा है वह अभी वहां पर है और पुरानी तहसील जो थी वह खाली करवा कर एक म्यूजियम बन गया है। एक नगरपालिका का कचरा डिपो भी वहां पर है। माननीय सदस्या की जो चिन्ता है वह वाजिब है और इसे खाली कराना बहुत जरूरी है। मैंने कल ही यह क्वेश्चन आने के बाद कलक्टर, अजमेर से बात की है और उनसे भी मैंने रिकवेस्ट की है, शीघ्र ही निर्देश दिये हैं कि अपने सी.ई.ओ को वहां भेजें और पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी लेकर पहले तो मुझे बताएं।

अब हमारे मुगले आजम भी यहां पर बैठे हुए हैं माननीय गृह मंत्रीजी। इनसे भी मैं बात करके शीघ्र ही ...(व्यवधान)... मुगले आजम। तो इनसे भी मैं रिकवेस्ट करके 31 लाख के करीब पैसा स्वीकृत हो चुका है सी.आई.डी. के आफिस का। नगरपालिका ने जमीन फ्री दे दी है, पास में ही है तो उसके लिये

(श्रीमती बीना काक)

भी मैंने डी.जी., पुलिस से बात की है। उसको भी वह शीघ्र खाली कराने का कार्य कर रहे हैं।

तीसरा, आपका जो कचरा डिपो भी खाली कराने की हम लोगों की ... (व्यवधान) जो मेगा प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सदस्या ने पूछा है। जब मैंने मेरा कार्य भार ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बीनाजी, कचरा भी मुगले आजम के पास है ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सब कुछ मुगले आजम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कचरा भी मुगले आजम के पास ही है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सर्व गुण सम्पन्न।

श्री अध्यक्ष: मुगले आजम, अनारकली की चर्चा यहां ज्यादा नहीं करना।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने मेगा प्रोजेक्ट ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अनार का फूल कहो तो अध्यक्ष महोदय, समझ में आता है। अनार का फूल कहो तो समझ में, कली अब नहीं है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अजमेर, पुष्कर ट्यूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो मेगा प्रोजेक्ट था। मेरे कार्य भार ग्रहण करने के बाद मैं स्वयं अंबिका सोनीजी से मिली थी और मुझे खुशी है कि उन्होंने उसी वक्त पैसे की स्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन दे दी है। करीब 10 करोड़, 70 लाख की स्वीकृति हो गयी है जिसमें अकबर फोर्ट के रेस्टोरेशन के लिये 486.70 लाख रु. खर्च होगा, 1.80 लाख रु. लाइट एण्ड साउण्ड का काम करवाया जायेगा, 17.96 लाख जन सुविधाएं अजमेर के लिये खर्च होगा, 65.08 लाख किंग एडवर्ड मैमोरियल में डवलपमेंट के काम के लिये या स्वागत केन्द्र के लिये हम खर्च करेंगे, 9.93 लाख रामप्रकाश घाट के ऊपर खर्च किया

(श्रीमती बीना काक)

जायेगा, 250 लाख एक अजयपाल टैम्पल काम्पलेक्स है जंगल में लेकिन उसमें फोरेस्ट की स्वीकृति हमें चाहिये होगी। फोरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है। वन विभाग हमसे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहा है। वह हम शीघ्र ही उनको भिजवा करके और जितना शीघ्र हो यह सब कार्य हम करवाने का प्रयास करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्षजी, मैंने एक प्रश्न और पूछा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बचा ही नहीं, सारी बातें करीब आ गयी। आगे प्रश्न आ जाने दीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सिटी ट्रांसपोर्टेशन, माननीय अध्यक्षजी, एक इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि हम इन पर करोड़ों रुपया खर्च कर दें और पर्यटक को न मालूम हो कि वहां देखने लायक कोई स्थान है। वहां ले जाने के लिये कोई सुविधा नहीं हो तो वह पैसा हमारा व्यर्थ ही जायेगा इसीलिये मैं निवेदन कर रही हूं कि पिछले साल में अजमेर जिला प्रशासन ने एक सिटी ट्रांसपोर्टेशन के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया गया था वह प्रोजेक्ट भी राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित है तो वह मैं पूछना चाहती हूं कि यदि वहां निजी ट्रांसपोर्टर्स को अलग से सुविधा दी जाती है, निजी बस संचालकों को सुविधा दी जाती है तो वे वहां तक पर्यटकों को ले जा सकते हैं और उनकी आय भी बढ़ सकती है इसलिये निवेदन करना चाह रही हूं कि उसको कब तक आप स्वीकृति दे देंगे।

एक जो आपने बताया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक के बाद फिर दूसरी बात आ गयी। सारी चीज करीब-करीब क्लियर हो गयी है, ट्रांसपोर्ट की बात और क्लियर कर देते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक इसी से जुड़ा हुआ, आपने जो उत्तर दिया है उसी से संबंधित मेरा एक क्वेश्चन और है। अजयपाल के लिये आपने बताया कि 2 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं तो क्या केन्द्र सरकार ने उस स्वीकृति के साथ में कोई कंडीशन भी डाली है क्या ? माननीय मंत्री महोदया का ध्यान चाहूंगी। माननीय मंत्री महोदया, अजयपाल के लिये जो 2 करोड़ रुपये की राशि आपने बतायी है वह 2 करोड़ की राशि खर्च करने के लिये क्या केन्द्र सरकार ने कोई कंडीशन डाली है ? यदि वह कंडीशन डाली है

(श्री अनिता भदेल)

तो उस कंडीशन को हम कब तक फुलफिल कर देंगे ? कब तक हम उस कंडीशन को पूरा कर देंगे ? यह और बता दीजिये आप।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पिछली सरकार की घोषणाओं का कहा, पिछली सरकार का तो वह पुलिंदा काफी बड़ा है जो घोषणाएं हो गयी लेकिन काम हुआ नहीं ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, घोषणा की बात नहीं है ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उनको मैं दिखवा लूंगी कि उस पुलिंदे में यह कहां पड़ी है, लेकिन मैं आपको सूचित करना चाहती हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पुलिंदे की बात नहीं कह रही हूं, मैं सिर्फ इतना सा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी का जवाब सुनें, जवाब सुनिये ...(व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जेएनयूआरएम के तहत करीब 35 बसें आने की एक योजना है जो खरीदने का आर्डर दिया गया है जो कि पर्यटकों की और लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र ही सड़कों पर भेज दिया जायेगा, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री बंशीधर खंडेला।

सहकारी बैंकों के चुनाव

167. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में सहकारी बैंकों के चुनाव करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. एवं राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लि. के पूर्णकालिक प्रशासक लगाने से प्रतिवर्ष रु. 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय भार आता है? यदि हां, तो पूर्णकालिक प्रशासक लगाने का क्या औचित्य है?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) राज्य में सहकारी बैंकों के

(श्री परसादी लाल)

चुनाव राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा करवाये जाते हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अनुसार उक्त बैंकों के निर्वाचन दिनांक 17.08.2009 से 30.09.2009 तक सम्पन्न कराये जायेंगे।

(2) राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. में दिनांक 18.10.2005 से दिनांक 31.12.2007 तक रहे पूर्णकालिक प्रशासकों पर औसत वार्षिक व्यय रुपये 7.89 लाख तथा राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. में विगत तीन वित्तीय वर्षों में रहे पूर्णकालिक प्रशासक पर औसत वार्षिक व्यय रुपये 11.92 लाख आया है। शीर्ष स्तर के उक्त बैंकों में व्यावसायिक दक्षता तथा कार्यक्षमता बढ़ाने की दृष्टि से पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त किया जाना उचित समझा गया है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पूर्णकालिक प्रशासक लगाने से रिकवरी में कितना प्रतिशत बढ़ा है या बैंक को और क्या सुविधा मिली हैं।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा कि पूर्णकालिक प्रशासक से कार्य की दक्षता और बैंकों की रिकवरी में सुधार हुआ है, कामकाज में सुधार आया है इसलिए इसमें जो भी लगाया है वह ठीक ही समझा है राज्य सरकार ने।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने जो ऋण माफ किये थे किसानों के उनमें से केवल मेरे प्रश्न पूछने के बाद ही किसानों को ऋण दिया गया है जबकि अब तक क्यों नहीं दिया गया। इस सम्बन्ध में सरकार की मनाही थी या उस संबंधित अधिकारी की मनमानी थी। केवल बीस दिन के अन्दर-अन्दर ऋण दिये गये हैं, अब तक एक ऋण भी नहीं दिया सीकर जिले में।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो अलग से सवाल है।

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है, इससे संबंध नहीं रखता है, इससे सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): विभाग से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष: विभाग से तो बहुत चीजें संबंधित होती हैं पर्टिक्यूलर बैंक से संबंधित जो प्रश्न है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): विभाग से संबंधित है लेकिन किसानों को ऋण नहीं देना, हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न लगाने के बाद जब जवाब तैयार होने गया होगा ...(व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): जितना दिया है ऋण।

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न का जवाब ही नहीं आ रहा है जो अब पूछा गया है यह तो प्रश्न ही अलग है, बैठें माननीय सदस्य ...(व्यवधान) यह तो प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान) जो सप्लीमेन्ट्री पूछी गयी है उसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध ही नहीं है।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार के समय ऋण माफी वाले को एक को भी ऋण नहीं दिया था। जो ऋण माफी की अभी हमने घोषणा की है, हमारी नयी सरकार के आने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि सबको ऋण देंगे, उसके बाद ही ऋण देना शुरू किया है, आपके समय में नहीं किया।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की जो आपने बात की है जो ऋण माफी हुई है वह केवल +++ जो किसान थे उनकी माफी हुई है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य ऋण माफी का प्रश्न से सम्बन्ध ही नहीं है, आप प्रश्न पढ़ें तो सही एक बार ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने ऋण माफी की बात कह दी तो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं अलाऊ ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो मना कर रहा हूं, प्रश्न से संबंधित ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन्होंने खुद ने ऋण माफी की बात कहकर पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप जड़े हैं ...(व्यवधान) तो सवाल तो हम खड़े कर सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने कितने किसानों को कितनी राशि के ऋण वितरित किये हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। वह प्रश्न ही अलग है, माननीय सदस्य वह प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इनको जवाब नहीं देना था ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: वह प्रश्न ही अलग है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जब जवाब दे दिया तो सदन की संपत्ति हो गयी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं, कृपया बिराजें। श्री हरिसिंहजी रावत।

भीम विधान सभा क्षेत्र की बिलानाम एवं चरनोट भूमि पर बसी बस्तियों का नियमन

168. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र भीम के पंचायत मुख्यालय में बिलानाम एवं चरनोट की भूमि पर बसी बस्तियों की भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़): यह गलत टिप्पणी की है किसान को +++ बताया है इसको कार्यवाही से निकाला जाये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, आप विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़): किसान को +++ बताया गया है इसे कार्यवाही से निकाला जाये ...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने +++ बताया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): किसान को +++ बताने वाले सबसे पहले तो स्पष्टीकरण दें कि +++ किसान कौन होता है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक गलत शब्द आ गया अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक गलत शब्द आ गया उसको निकाल दें, वह कह रहे हैं वह ठीक ही कह रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आशय यह नहीं था ...(व्यवधान)

श्री नगराज (धरियावद): +++ किसान कौन होता है और ईमानदार कौन है आप यह तो बतायें ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उसको आप +++ कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द को एक्सपंज कर दें ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सदस्य उनको कहते हैं कि +++ किसान हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द एक्सपंज कर दिया है, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, कृपया विराजें ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): कौन +++ है और कौन ईमानदार है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराजें, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आप विराजिये, वह शब्द एक्सपंज हो चुका है, कृपया आप राजस्व मंत्रीजी, नहीं ठहरिये आप बैठें ...(व्यवधान) प्लीज बैठ जायें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): किसान +++ कौन होता है और ईमानदार कौन होता है।

श्री अध्यक्ष: वह एक्सपंज हो गया है आपको पता ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): किसान की कोई दो जातियां थोड़े ही होती हैं।

श्री अध्यक्ष: आप किस पर चर्चा कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है ...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): विधान सभा क्षेत्र भीम के पंचायत मुख्यालय भीम की बिलानाम व चरागाह भूमियों में आबादी बसी हुई जिसमें कुल 359 परिवार जिनकी जनसंख्या 1414 है, निवास कर रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज/6/2000/1 दिनांक 11.01.2008 जारी किया जाकर 1.2.2000 तक सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाये गये आवास गृह एवं बाड़ों के नियमन आदेश जारी किये हैं। पांच सौ वर्ग गज तक के आवास गृहों एवं बाड़ों का नियमन तहसीलदार द्वारा किये जाने का नियमों में प्रावधान है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज-6/2000/17 दिनांक 23.10.2001 जारी कर ऐसी सिवाय चक भूमियों, जिन पर आवास गृह एवं बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया हो, को संबंधित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। संबंधित ग्राम पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है।

राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में चरागाह भूमि को चरागाह से पृथक कर आबादी हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है। चरागाह भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही करने की नियमों में व्यवस्था है।

इस प्रकार के प्रकरणों में जन सामान्य को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो आपने लिखा राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.9(6) राज/6/2000/1 दिनांक 11.01.2008 जारी किया जाकर 1.2.2000 तक सिवाय चक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर बनाये गये आवास गृह एवं बाड़ों के नियमन आदेश जारी किये हैं। पांच सौ वर्ग गज तक के आवास गृहों एवं बाड़ों का नियमन तहसीलदार द्वारा किये जाने का निमयों में प्रावधान है। इसके अगेंस्ट में सरकार कोई वसूली करती है या इसको ऐसे ही अलाट करती है तो यह स्पष्ट करें।

दूसरा अभी जितने भी बाड़े और अतिक्रमण कर रहे हैं इसमें प्रशासन की नीचे से ऊपर तक तथा पुलिस की सभी की मिलीभगत है और लाखों-करोड़ों की जमीनों पर कब्जा करवा रही है और गवर्नमेंट को चूना लग रहा है।

(श्री हरिसिंह रावत)

तीसरा प्रश्न यह है कि इसी क्षेत्र में भीम बट्टू में प्रशासन द्वारा स्वयं कब्जे कराये जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा स्वयं हफ़्ता वसूली की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यह बाड़ों पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं और फिर वसूली कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगाने के लिए प्रावधान है क्या? इसी तरह भीमपलाड़ो में एक स्कूल के लिए जमीन आरक्षित करवायी थी, उस जमीन पर भी अतिक्रमण करवाकर आपके प्रशासन, पटवारी और आरआई द्वारा हफ़्ता वसूली कर ली जबकि मैंने कई बार बोला है कि यह स्कूल के लिए जगह आरक्षित है, इस पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको आप हटायें। वहां जाते हैं और घूमकर आ जाते हैं, शाम को वहां जाते हैं और शराब और मीट की पार्टियां करके वापिस चले आते हैं, होता कुछ भी नहीं है। एक बार फिर दबाव डाला तो एक दिन जेसीबी लेकर के गये और जेसीबी को घुमा-फिराकर वहां वापिस शराब की और मीट की पार्टी खायी और वापस चले गये। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटोग्राफी है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह सब अतिक्रमण किये हुए हैं, बच्चों के स्कूल की जमीन है, वहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है, नेशनल हाइवे नम्बर 8 वहां पर राजकीय महाविद्यालय खुला है और एसडीएम आफिस के लिए जमीन अलाट हुई है और वहां पर जमीन नहीं है।

(समय : 11.20)

तो वहां पर अभी कुछ हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पूर्व विधायक भी हैं उन्होंने एक टीम गठित की है और उस टीम के माध्यम से क्योंकि आने वाले समय में वह जमीन करोड़ों की होगी तो वहां पर अध्यक्ष महोदय, पूरा अतिक्रमण करवा दिया जिसमें एक-एक...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, इसका जवाब देंगे, भाषण नहीं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि वह कब्जा हटेगा कि नहीं हटेगा। मैं इस कब्जे का थोड़ा विश्लेषण करना चाहता हूं। ग्राम टोकी, नेशनल हाई-वे नम्बर एक, खसरा नम्बर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल ग्राम बिलानाम और चरनोट से सम्बन्धित है आपका प्रश्न।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): बिलानाम और चरनोट, वहां पर वैसे ही जमीन कम है लेकिन अध्यक्ष महोदय उस पर अतिक्रमण करवा रखा है जिसकी मैंने सी डी बनवाकर मंगवाई है, सी डी मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए मंत्रीजी को जवाब देने दें। प्रश्न बहुत लम्बा हो जाएगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। आप जवाब आ जाने दीजिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे? मैं सी डी टेबल कर सकता हूं, आप देख सकते हैं यह सी डी, यह करोड़ों रुपयों की जमीन है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए फिर उतना लम्बा जवाब नहीं दे पाएंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अतिक्रमण हटाने के बारे में प्रश्न पूछा ही नहीं था। माननीय सदस्य ने तो जो बस्तियां इस भूमि पर बस गई थी सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमि पर, उसको आबादी में परिवर्तन करने के बारे में पूछा है और यह जो एक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खाली करने के बारे में भी पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, खाली करने के बारे में प्रश्न में नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं पूछा है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): इन्होंने तो उस भूमि को आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है, जो आबादी बस गई है, सिवाय चक भूमि है, उसको आबादी में परिवर्तित करने का विचार रखती है या नहीं रखती है। इसके बारे में मैंने माननीय सदस्य को बताया कि 1 फरवरी, 2000 का राज्य सरकार का जो सर्कूलर है उसका हवाला दिया, आपने भी अभी उसी सर्कूलर के बारे में बताया, यह सर्कूलर पूर्ववर्ती सरकार के समय जारी किया हुआ है और पूर्ववर्ती सरकार के ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सरकार एक ही होती है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या पश्चातवर्ती।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हां, सरकार एक ही है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है। यह आपकी सरकार के समय जो निर्णय लिया हुआ है उसी निर्णय की क्रियान्विति के लिए हमने कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जब एक बार निर्णय ले लिया कि 1 फरवरी, 2000 तक जो भी सिवाय चक या अन्य गैर मुमकिन जमीन पर बाड़े या आबादी बसी हुई है, आवास गृह बने हुए हैं उनका नियमन तहसीलदार कर दे, यह व्यवस्था नियमों में है, इसके तहत हम कार्यवाही करेंगे। इसके अलावा आपने स्कूल के बारे में बताया, जो जमीन स्कूल के लिए आरक्षित है, अगर उस पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उस पर से अतिक्रमण को तत्काल हटाने के लिए मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा। यह जानकारी आज ही मेरे ध्यान में लाई गई है तो मैं अधिकारियों को आज ही निर्देश दे दूंगा कि जमीन स्कूल की ही नहीं, किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी आरक्षित है तो वह उसी काम में ली जाएगी, उसको अलग किसी दूसरे काम में नहीं लिया जा सकता और कोई अगर उस पर अतिक्रमण करेगा तो उस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाएगा और वह उसी प्रयोजनार्थ रखी जाएगी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो सवाल है, जो अतिक्रमण किया है, उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही तो की जाएगी लेकिन साथ-साथ क्या उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी ताकि दूसरों पर प्रतिबन्ध लग सके, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने आपको कहा है कि 1 फरवरी, 2000 तक के जो कब्जे हैं और 500 वर्ग गज तक के हैं उनका तो नियमन करेंगे, उनको हम हटा नहीं सकते, यह निर्णय आपकी सरकार का लिया हुआ है तो एक तरफ तो यह निर्णय ले लिया तो दूसरी तरफ हम उनको हटाने की कार्यवाही नहीं कर सकते और 500 वर्ग गज से ज्यादा अगर किसी का अतिक्रमण है तो उसको तत्काल बेदखल कर देंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका प्रशासन करवा रहा है, वह खुद 90 की बात कर रहे हैं, 90 में आपका केस ले लेंगे और माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर हफ़्ता वसूली की जा रही है, एक-एक प्लाट पर 50-50 हजार रुपए 2-2 लाख रुपए तक की वसूली कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: उन पर आज ही कार्यवाही करने के लिए कहा है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): वह लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है कि जब लाखों रुपयों की वसूली की जा रही है और करोड़ों रुपए की जमीन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह भीम विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): इससे जुड़ा हुआ है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, दोनों मिलकर यह कारस्तानी करवा रहे हैं। इस पर आप कुछ कार्यवाही करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा यह स्पष्ट करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या गोचर भूमि जो लगातार 30-35 सालों से लोगों के कब्जे में है और लगातार 91 की रसीद पटवारी के माध्यम से कटवाई जा रही है।

श्री अध्यक्ष: उसी से सम्बन्धित पूछ रहे हैं न?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): हां, उसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं। सरकार ऐसी गोचर भूमि का नियमन करने की मंशा रखती है ? अगर गोचर भूमि के अतिक्रमण का प्रावधान नहीं है तो क्यों नहीं सारे ऐसे लोग जो लगभग 50-50, 100-100, 200-200 बीघा गोचर की भूमि में अतिक्रमण करके उस पर खेती कर रहे हैं, जहां मतलब चरागाह हैं, गांव के पशु चराने के लिए, गांवों में ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने गोचर पर कब्जा कर रखा है, उनको क्यों नहीं आप हटवाने का प्रयास करते हैं? इसका जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने जवाब दिया है कि अगर कोई अतिक्रमण है, नियमों के अलावा तो उसको तत्काल हटा दिया जाएगा। गोचर भूमि पर कोई भी अतिक्रमण किसी प्रकार का है और इस नियम के तहत उसका नियमन नहीं हो सकता, गोचर भूमि पर तो नियमन हो ही नहीं सकता, इसमें गोचर भूमि सम्मिलित नहीं है, इसमें सिर्फ सिवाय चक और गैर मुमकिन भूमि है, गोचर भूमि पर तो कोई भी कब्जा है वह अतिक्रमण है और अतिक्रमण है तो उसको तत्काल हटाने की कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आपके क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): कहीं का अगर पर्टिकूलर मामला हो तो आप मुझे लिखकर दे दें, उस पर तत्काल निर्देश दे दूंगा, उस पर से तत्काल अतिक्रमण हट जाएगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने एक जगह कहा है कि गोचर भूमि से बहुत जल्दी ही अतिक्रमण हटा देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रेवेन्यू केसेज में ट्रेस पास केसेज की पूरे राजस्थान की अगर हिस्ट्री देखें तो लगभग 90 प्रतिशत केसेज गोचर भूमि से सम्बन्धित हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरे राजस्थान की बात नहीं चल रही है, यह प्रश्न भीम से सम्बन्धित है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): प्रत्येक गांव में दो सौ, तीन सौ व्यक्तियों का गोचर भूमि पर अतिक्रमण है। यह पूरे राजस्थान का विषय है, या तो सरकार इनका नियमन कर दे या जो अतिक्रमण है उसको हटाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पूरे राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न को आप ज्यादा लम्बा नहीं करें, मंत्रीजी जवाब नहीं दे सकेंगे। अब चर्चा समाप्त, श्री रघु शर्मा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि यदि आप गम्भीर हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील विषय है, सारे राजस्थान की जनता इससे जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न एक विधान सभा क्षेत्र से था। (व्यवधान) पंचायती राज मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. रघु शर्मा।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की बी पी एल परिवारों की सूची में ए पी एल श्रेणी के परिवारों का नामांकन

169. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. रघु शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल कितने बी पी एल परिवार हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि बी पी एल परिवारों की सूची में ए पी एल श्रेणी के परिवारों के नाम भी अंकित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बी पी एल सूची से ए पी एल श्रेणी के व्यक्तियों के नाम हटाने का विचार रखती है? यदिं हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर): (1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल 8375 बी पी एल परिवार हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बी पी एल परिवारों की सूची में ए पी एल परिवारों के नाम अंकित नहीं हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में जो परिवार वास्तविक बी पी एल के हकदार हैं जो आपने नोर्म्स बना रखे हैं ऐसे और कितने परिवार हैं और आपका विभाग मानता है उनका बी पी एल के अन्दर आप नहीं ले पाए, क्या इस संख्या में वृद्धि करने का आपका कोई इरादा है? दूसरा, स्टेट बी पी एल कितने हैं केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में? तीसरा, विगत महीनों में आपके विभाग के द्वारा बी पी एल की सूची को दुरुस्त करने का काम किया गया है? यह आप मुझे बता दें।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, केकड़ी ही नहीं पूरे प्रदेश में जहां तक बी पी एल का प्रश्न है 1992 के बाद दुबारा बी पी एल की सेंसस हुई और 2002 में बी पी एल की नई सूची लागू हुई, इस सूची के लागू होने के बाद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया जवाब सुनें, मंत्रीजी प्रश्न केवल केकड़ी विधान सभा क्षेत्र तक सीमित रखें। (व्यवधान) आप विराजिए, मुझे भी महत्व का पता है। आप विराजिए।

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय मंत्रीजी, बी पी एल की सूची 2002 में लागू नहीं हुई है, 2002 में सर्वे हुआ है, 2005 में लागू हुई है, आप देख लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हर 5 साल में बी पी एल का सर्वे केन्द्र सरकार करवाती है जो पहली सूची थी वह

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

1997 की सूची के अनुसार बी पी एल परिवारों को लाभांवित किया जा रहा है। 2002 में सूची का दुबारा सर्वे किया गया, जिसको आप लागू करने की बात कर रहे हैं, 2005 में वह लागू नहीं हो सकी थी क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसकी वजह से काफी लम्बे समय तक 1997 की सूची से ही लाभांवित किया जाता रहा। अब जहां तक इसका सवाल है, मैंने बता दिया कि केकड़ी में कितने लोग-बाग इस बी पी एल सूची से लाभांवित हो रहे हैं। केन्द्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है कि बी पी एल की सूची के अन्दर लगातार नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया प्रदेश में चालू है। जहां लोग-बाग यह महसूस करते हैं कि बी पी एल की सूची में नाम जोड़ा जाना चाहिए उसको जोड़ने का उनके पास प्रोविजन है। एसडीएम के माध्यम से और कलक्टर के माध्यम से अपील करके नाम जोड़ा जा सकता है और प्रदेश में लगभग दो लाख से ऊपर नाम जुड़े हैं और नाम कटे भी हैं। आप चाहो तो मैं पूरी संख्या आपको बता दूं कि कितने नाम जुड़े हैं और कितने नाम घटे हैं क्योंकि पहले जब 2002 की सूची के हिसाब से सूची तैयार करवायी गयी थी तब एक सीमा थी केन्द्र सरकार ने 17.36 लाख परिवारों के चयन की हमारे पास सीमा रखी थी, इस प्रोविजन के बाद जब उन्होंने यह व्यवस्था की कि और नाम जोड़े जा सकते हैं, प्रदेश में कुछ नाम कटे हैं और कुछ नाम जुड़े हैं और आज 21 लाख से ज्यादा लोगों के नाम बीपीएल की सूची में प्रदेश में है और यह जो पूरे प्रदेश की हमारे परिवारों की संख्या है उसमें 30 प्रतिशत परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले मूल प्रश्नकर्ता।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का सही-सही जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सवाल किया कि जो परिवार आपने वर्तमान में बीपीएल के बताये हैं क्या सरकार मंशा रखती है कि और भी बीपीएल की श्रेणी में परिवार आते हैं उस विधान सभा क्षेत्र में आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते?

माननीय मंत्री महोदय, दूसरा आपने सीधा-सीधा जवाब दे दिया कि

(डा. रघु शर्मा)

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में बीपीएल परिवारों की सूची में एपीएल परिवारों के नाम अंकित नहीं हैं। अब मैं इस सदन में माननीय मंत्री महोदय को यह चुनौती देता हूं कि हमारे यहां जबसे मैं विधायक बना हूं यह बराबर प्रक्रिया चल रही है, जब लास्ट में बीपीएल सूची को अंतिम रूप दिया गया उस वक्त माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि बीपीएल के नोर्म्स हैं, पहले तो इनको सब जगह सार्वजनिक रूप से लगाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पर यह माना जाता है कि ट्रैक्टर रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता, मोटरसाइकिल रखने वाला बीपीएल परिवार में नहीं आता है। मेरा सीधा-सीधा सवाल है मंत्री महोदय, जो वर्तमान में आपने सूची बतायी है 8375 की, क्या इस सूची में आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास ट्रैक्टर हो, जिसके पास मोटरसाइकिल हो, जिसकी आर्थिक स्थिति एक बीपीएल परिवार से ज्यादा सुदृढ़ हो? अगर आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं तो आप सदन में बताइए।

दूसरा, स्टेट बीपीएल में कितने लोग आते हैं वो सूची आपने बतायी, संख्या बतायी नहीं। तीसरा आपके अधिकारियों ने, क्योंकि आपने कहा कि बीपीएल ...(व्यवधान) एक तरफ आप कह रहे हैं बीपीएल में एपीएल कोई है ही नहीं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर इसी सदन में कह रहे हैं कि यह कार्यवाही चल रही है। कार्यवाही जब चलती है जब गलत आदमी का नामांकन हो जाता है। मंत्रीजी का जवाब माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि एक तरफ मंत्रीजी कह रहे हैं कोई एपीएल आदमी बीपीएल में नहीं है दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यह प्रक्रियाधीन है, फिर किसको निकाला जा रहा है, बताइए।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए। मूल प्रश्नकर्ता का जवाब आने दीजिए।

श्री पेमाराम (धोद): इसी से जुड़ा हुआ है, एक साथ ही जवाब आ जाए।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि बीपीएल सूची में इनके यहां एपीएल का कोई आदमी बीपीएल सूची में नहीं है। इन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या मैं दावे के साथ यह बात कह सकता हूं कि बीपीएल के अन्दर कोई ऐसे परिवार नहीं हैं जो उसकी पात्रता नहीं रखते हैं। मेरी मान्यता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि इस प्रकार के लोग इस सूची में आ जाते हैं और यह आपका और हमारा कर्तव्य है कि जो लोग-बाग़ इस सूची में नहीं आने चाहिए उनको हटाया जाए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब क्यों दिया?

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दूसरी चीज क्योंकि इस सूची में बहुत सारे लोग-बाग़ जो वंचित रह गये उसके लिए हमारी सरकार ने घोषणा की है जो 1997 की बीपीएल की सूची है उसमें जो आदमी इसके अन्दर ही रह गये हैं उनको स्टेट बीपीएल सूची बनाकर वह प्रक्रियाधीन है, वह प्रोसेस आन है। जहां तक इसका नाम जोड़ने या हटाने का है वह तो आज भी नाम जोड़े जा सकते हैं और हटाये जा सकते हैं जिसकी पात्रता नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो लोग इस चीज के जिम्मेदार हैं, पहले तो ये गलत नाम किस अवधि में जुड़े और किन लोगों ने इन गलत नामों को जोड़ा? क्या जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? यह जघन्य अपराध है उन बीपीएल परिवारों के साथ जिनको हक दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं और उनके नाम पर सुविधा सम्पन्न लोग उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने गलत लोगों को बीपीएल की श्रेणी में रखा, कौनसी अवधि में रखा, एक तो अवधि बताएं और क्या कार्यवाही करना चाहती है सरकार, वह बताएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: परम नवदीप कुछ पूछ रही हैं, साथ में ही पूछ लें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्षजी, मैं आपके

(श्रीमती परम नवदीप कौर)

माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं एक खबर पर, राजस्थान पत्रिका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न से संबंधित है क्या?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): पाइंट आफ इंफार्मेशन के तहत मैं कुछ कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, अभी नहीं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जो रघुजी ने पूछा है उसी से संबंधित सवाल है, मैं एक साथ ही पूछ लेता हूं। (व्यवधान) रघुजी ने जो कहा वाकई में ठीक कहा ...(व्यवधान) एपीएल के लोग जो बीपीएल में जोड़े गये और उसके बावजूद राजनैतिक कारणों से, हालांकि मंत्री महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं और राज्य भर में जोड़े भी जाते हैं और हटाये भी जाते हैं। यह हमारे सीकर जिले में है 25.8.2006 को हमारे जोराठड़ा ग्राम पंचायत में एपीएल के ऐसे 20 लोग जिनके पास ट्रैक्टर हैं, 100-100 बीघा जमीन है, दो-दो, तीन-तीन ट्यूबवैल हैं और उसके बाद एसडीएम ने जांच कर ली, रिपोर्ट दे दी उसके बावजूद भी बीपीएल की सुख-सुविधाएं वे लोग ले रहे हैं और जो वाकई में बीपीएल में आ रखे हैं उनकी बीपीएल सूची तो क्या स्टेट बीपीएल में भी नहीं है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, जवाब आने दीजिए। जवाब दे रहे हैं।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन है कि क्या ऐसी रिपोर्टों को राज्य में हटाएंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्षजी, आप कहें तो मैं भी लगे हाथ छोटा सा पूछ लूं। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लगे हाथ आप भी पूछ लो।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्षजी, जो बीपीएल परिवार की बात चल रही है, जो लोग करोड़पति हैं उनके नाम बीपीएल में हैं और जो लोग रोडपति हैं उनके नाम बीपीएल में नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय आपसे पूछना चाहूंगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप हमेशा बोलते रहते हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनसे तो ये भी डरते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आप शेखावाटी से बिलोंग करते हो, श्रीमाधोपुर क्षेत्र से आते हो, मेरा क्षेत्र उदयपुरवाटी है। हमारे शेखावाटी क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर हजारों शिड्यूल्ड कास्ट के परिवार जो भट्टों के अन्दर बंधक मजदूर के रूप में काम करते हैं, जुलाई के अन्दर वो आते हैं, सितम्बर के अन्दर वे चले जाते हैं और वो सारे के सारे परिवार बीपीएल की सभी शर्तें पूरी करते हैं। उन परिवारों की स्वास्थ्य की हालत बेहद खराब है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है वो लोग शेखावाटी के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने तो धोखा दे दिया। आप तो शिड्यूल्ड कास्ट वालों को धोखा देकर कांग्रेस में चले गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको इजाजत नहीं है। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट के परिवार जो ईंट-भट्टों पर बंधुआ मजदूर के रूप में काम करते हैं उन परिवारों की संख्या शेखावाटी क्षेत्र के अन्दर हरियाणा और पंजाब के अन्दर वो भट्टों पर काम करते हैं उन परिवारों की जो दयनीय स्थिति है उसका सर्वे कराया जाए और बीपीएल की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, मतदाता सूची में उन सबका नाम होने के बावजूद वो लोग यहां रहते हैं। उस टाइम ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें, जवाब आने दीजिए मंत्रीजी का।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): मेरा पूरा प्रश्न ही नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: भाषण हो रहा है, प्रश्न नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, आप भी उस क्षेत्र से आते हो।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लीजिए सीधा, भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): उन परिवारों के अन्दर 40-50 साल की उम्र के अन्दर टीबी होकर मर जाते हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और वे सारे के सारे लोग, उनका सर्वे कराया जाए उनमें बीपीएल के अन्दर 5 परसेंट लोग भी नहीं हैं, बीपीएल की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, जैसा धोद से आने वाले सदस्य ने कहा हकीकत में वे लोग बीपीएल के अन्दर घुस गये हैं जिनके पास 100-100 बीघा जमीन है, तीन-तीन मंजिला मकान है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): घर में सब सामान है उनको बाहर कराया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा है आपने। अध्यक्षजी, एक मिनट ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दूसरों को भी बोलने का मौका दिया करो राठौड़ साहब।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने कहा कि 2002-03 में 17 लाख 3 हजार बीपीएल परिवार थे जो आज बढ़कर 21 लाख से ज्यादा हो गये। क्या 17 लाख से ज्यादा बढ़े हुए परिवारों को जो बीपीएल की सुविधा मिल रही है क्या राज्य सरकार अपने संसाधन से नहीं दे रही है? क्या यह सही है इस बढ़ी हुई संख्या को स्टेट बीपीएल का नाम देकर सरकार लोगों को गुमराह करना चाहती है? क्या यह भी सही है कि 2007 और 2012 के लिए बीपीएल परिवारों के नये सिरे से सर्वे के लिए भारत सरकार से आपको निर्देश प्राप्त हो चुके हैं, कृपया बताएं।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, सर्वप्रथम जो मूल प्रश्नकर्ता है उनके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जो बीपीएल परिवार का चयन होता है यह तो ग्राम सभा करती है और ग्राम सभा के अन्दर जो चयन हो रहे हैं उससे हमारी ग्राम सभा के ऊपर ही

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह हकीकत है। यह जो ग्राम सभा का स्वरूप हो गया कि पंचायत राज के ...(व्यवधान) यह प्रश्न चिन्ह ग्राम सभा पर लगा हुआ है और ...(व्यवधान) आप सुनिये मेरी बात।

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब न करें। डिस्टर्ब न करें, जवाब आने दीजिए।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप सुनिए उत्तर और जो माननीय सदस्य ने उठाया कि नाम, क्या मैं दावे से यह कह सकता हूं कि नाम इसमें इस प्रकार के नहीं हैं जो पात्रता नहीं रखते हैं? उनके नाम हैं। निश्चित रूप से होंगे, वह सदस्य उजागर करें। मैं आपसे भी कहता हूं इस प्रकार के लोगों को उजागर करें और एक सदस्य यहां सदन में पर्ची लहरा कर कहे तो यह आपकी आप दर्शा रहे हैं, आप अपनी कमजोरी दर्शा रहे हैं कि वह एमएलए होते हुए इनका नाम नहीं कटा सका। यह आप नहीं कटा सके तो दूसरा आदमी क्या कटाएगा? यह विडम्बना है कि अगर कोई अभी सदस्य हां का सदस्य, जो माननीय सदस्य यह बात प्रश्न करे कि यह गलत नाम जुड़े हुए हैं ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कांग्रेस ने जुड़वाए हैं, इसलिए नहीं कट रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें..(व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपा करके आप विराजें...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जो गलत नाम जुड़वाते हैं उनको आपका संरक्षण मिला हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, मंत्रीजी का जवाब आने दें .... (व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं तो आपसे, सदन से यहां पर अनुमति चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है उसमें लाखों लोग-बाग़ रोजगार में काम कर रहे हैं, अनेक लोग-बाग़ जो बीपीएल की पात्रता रख रहे हैं वह काम पर नहीं जा रहे हैं, आप सर्वसम्मति से अगर ले लें तो हम उनको हटा दें पूरे को ...(व्यवधान) बीपीएल परिवार पात्रता रखने वाला आदमी जिसको आप कहते हैं कि घड़ी बांधता है, ट्रैक्टर लाता है, उसने बीपीएल में नाम लिखवा लिया, आप प्रस्ताव मुझे दें तो हम एक तरफ ऐसे लोगों को जो पात्रता रखते हैं, अगर बीपीएल में नाम है तो कटवा दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, विराजें ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपको एसडीएम ने रिपोर्ट कर दी इसलिए नाम नहीं हटाता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. राजकुमार शर्मा।

एक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड चाहूंगा मैं।

श्री अध्यक्ष: डा. राजकुमार शर्मा। वह प्रश्न गया, चर्चा समाप्त।

एक माननीय सदस्य: एक सैकण्ड के लिए।

श्री अध्यक्ष: अलग से आप जब डिबेट हो तो उस पर चर्चा कर लें। ग्रामीण विकास की आज डिबेट है, पूरा दिन आपके लिए है।

आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

170. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में मूल निवास, जाति प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए वर्तमान में उप खण्ड मुख्यालयों व जिला स्तर पर क्या व्यवस्था निर्धारित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जटिल प्रक्रिया, अव्यवस्था व अधिकारियों/कर्मचारियों के समय पर नहीं मिल पाने के कारण उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आम जनता को बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और उन्हें प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में भारी असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 से 2003 के बीच सरकार द्वारा प्रशासन गांवों की ओर अभियान चलाया गया था जिसमें उक्त कार्यों के अलावा आम जनता से जुड़े हुए अन्य कार्य भी अभियान स्थल पर हाथोंहाथ निपटाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार पुन: वैसा ही अभियान चलाकर आम जनता को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल) : (1) राज्य में मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उप खण्ड मुख्यालय/तहसील मुख्यालय पर प्रार्थी को आवेदन करना होता है। प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर मूल

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

निवास प्रमाण-पत्र उप खण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार द्वारा जारी किये जाते हैं। जिला मुख्यालय पर इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा अधिकारी प्राधिकृत हैं जिन्हें प्रार्थी को आवेदन करना होता है व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

राज्य में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु तहसील मुख्यालय पर प्रार्थी को आवेदन करना होता है व प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा इस हेतु अधिकारी प्राधिकृत हैं। प्रार्थी को प्राधिकृत अधिकारियों को आवेदन करना होता है व प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

राज्य में विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत क्षेत्र में सचिव, ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी/आयुक्त स्थानीय निकाय को आवेदन करना होता है। जिला मुख्यालय पर स्थानीय निकाय या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करना होता है तथा उसके पश्चात् उक्त अधिकारियों द्वारा विवाह पंजीयन कर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोर्ट मैरिज सम्पन्न करा कर उस विवाह का पंजीयन किया जाता है।

(2) जी हां। इस प्रकार की समस्या आती रहती है। ऐसी समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्तावों पर बहस के पश्चात् उनके जवाब में दिनांक 15-07-2009 को की गई घोषणा के अनुसार पंचायत स्तर पर विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग एक में आपने मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया बताई है। मैं आपकी स्पष्टवादिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वीकार किया है कि आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए, आज मूल निवास प्रमाण पत्र को बनाने के लिए अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने आ जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उससे 10-10, 20-20 साल, 15-15 साल

(डा. राजकुमार शर्मा)

के रिकार्ड मांगे जाते हैं। वह राशन कार्ड वहां पर जमा करा देता है तो उसको कहते हैं कि आपकी जमीन के कागजात लेकर आओ, जमीन के कागजात दे देता है तो उसके बाद उसको यह कहा जाता है कि आपके आठवीं क्लास से लेकर आज तक जो पढ़े हो, वहां की एक-एक कक्षा के वह लेकर आओ, सारे दस्तावेज लेकर आओ। उसके बाद में भी वह अगर जाता है, दुबारा, तो उसको कहते हैं कि पानी, बिजली के पिछले 10 साल, 15 साल पुराने बिल लेकर आओ। ऐसी-ऐसी समस्याएं उसके सामने उत्पन्न करते हैं कि वह पागल हो जाता है, प्रमाण पत्र तो मिलने की बहुत बाद की बात है। जन्म तिथि, शिक्षा के दस्तावेज, जिस स्कूल में पढ़ा हुआ है, वह सारे मांगते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का विचार रखते हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोतजी की जो सरकार थी 1998 से 2003 के बीच में तो ''प्रशासन गांवों की ओर'' एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसकी पूरे गांवों में, पूरे राजस्थान में प्रशंसा हुई थी और प्रमाण पत्र भी उसी समय उसी कैम्प में हाथों -हाथ बनाये गये थे। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए घोषणा भी की है कि भू-राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए विशेष राजस्व कैम्प का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है, वह रेवेन्यु कैम्प कब तक आयोजित किये जाएंगे। (व्यवधान) यह आप लोग इसलिए नहीं समझ पाये, इन कैम्पों को, क्योंकि उस दिन आपने मुख्य मंत्रीजी को बोलने नहीं दिया .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिए, चलिए। छोड़िए, आप तो इस प्रश्न के बारे में बोलें...(व्यवधान)...

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): यह मेरा आपसे सवाल है, मंत्री महोदय।...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब दें ...(व्यवधान)... कोटा का मामला है क्या?

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, नहीं। उनको मैं जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजो, आप उनकी बात आने दो ...(व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मेरे मूल प्रश्न का पूरा जवाब आ जाए उसके बाद उनको सप्लीमेंटरी कर लेने दें ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): देखिए, खण्ड 2 में भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस प्रकार की समस्या आती रहती है, निश्चित तौर पर आती है। एक व्यक्ति जो इंटीरियर विलेजेज में रहता है, उसको तहसीलदार के पास, चाहे एस डी ओ हैड क्वार्टर भी अगर मान लीजिए तहसील मुख्यालय पर है या किसी पंचायत मुख्यालय पर है तो वहां तक जाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर उसको नोटेरी करवाने के लिए अलग जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको स्कूल में अलग जाना पड़ेगा तो इस प्रकार की कई वह आती हैं लेकिन सरकार के पास कई सुझाव अभी विचाराधीन हैं। मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा, आप भी विद्वान सदस्य हैं, अगर कोई आपके पास सुझाव हों तो उनको भी आप दे दें ताकि उन पर भी विचार कर लिया जाए। जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनको मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं और कोई दूसरे सुझाव हों तो वह जरूर देवें। ग्रामीण क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो प्रक्रिया अभी है, वह संशोधित प्रक्रिया हमारे विचाराधीन है। मोटे तौर पर अभी प्रार्थियों को एसडीओ के पास या तहसीलदार के पास जाकर के दरख्वास्त देनी पड़ती है, एसडीओ के पास दरख्वास्त दोगे तो वह तहसीलदार के पास भेजेगा, तहसीलदार के पास दरख्वास्त दोगे तो दरख्वास्त अल्टीमेटली वह पटवारी के पास जाएगी, पटवारी मौके पर मिलते नहीं हैं, पटवारी ज्यादातर शहरों में रहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हैं। ऐसा भी मेरे पास एक ज्ञापन आया है जिसमें प्रार्थी ने यह कहा, जब मैं पटवारी के पास गया और कहा कि मुझे मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसने कहा कि ठीक है, बैठ जा, मैं अभी थोड़ी देर में चलता हूं। जब वह निपट कर बाहर आया तो उसने कहा कि यह मोटर साइकिल मेरी ले जा, पहले तो इसमें पेट्रोल भरवा ला ...(व्यवधान) हां, यह राज कैसा भी हो, समस्या जो है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, उस समस्या को स्वीकार कर रहा हूं। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। सुझाव जो आया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सुझाव थोड़े ही, प्रश्नकाल चल रहा है, इनका जवाब मंत्री जी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुझाव जो आया है वह मोटे तौर पर यह आया है कि मूल निवास ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): इन्होंने स्वीकार कर लिया कि मोटर साइकिल में पेट्रोल भरवाता है और भरवाने के लिए आपने स्वीकार किया तो आपने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अजी, आप विराज जाओ, मैंने जो कार्यवाही की, आप मेरे चैम्बर में आ जाना, मैं बता दूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जो सुझाव आया है, वह सुझाव यह है कि चूंकि मूल निवास प्रमाण पत्र के बाबत अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है तो वह लोकल आदमी जानकारी रखता है, अगर पंचायत का सरपंच या उप सरपंच, ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक या प्रार्थी जिस वार्ड में रहता है, उस वार्ड का पंच तो इस प्रकार की जो सारी प्रक्रिया है, यह विचाराधीन है। अगर इन तीन के समक्ष ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हैं ?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अमराराम।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा इससे संबंधित सवाल बाकी है।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी सवाल बाकी है।

दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु पेयजल योजनाएं

171. श्री अमराराम (दांतारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र की कौन-कौनसी पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं तथा कौनसी योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्राम दांता रामगढ़,

(श्री अमराराम)

उदयपुर, अहीर का बास, दौलतपुरा, पून्याणा, अणदपुरा, प्रेमपुरा, नांगल सुरेरा, मन्ढा (सुरेरा), नयाबास, अखेपुरा, डूकिया, कोठोर, दातला, पिलीया की ढाणी, गोवटी, राड़की ढाणी, मोहनपुरा, रायपुरा, सामेर, दूधवा, बड़का चारणबास, दलतपुरा, सजनपुरा, बाज्यावाय आदि ग्रामों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु कोई नवीन योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

जल संसाधन मंत्री (श्री महीपाल मदेरणा): (1) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र हेतु 8 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में किसी भी पेयजल योजना के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं हैं। स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम" (दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी) के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप, आवश्यकतानुसार गांवों हेतु नवीन प्रस्ताव बनाये जाकर संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्विति किया जाना प्रस्तावित है। वर्णित ग्रामों/ढाणी में वर्तमान पेयजल व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये जो 8 परियोजनाएं आपने स्वीकृत बताई हैं इनमें आपने कहा है कि इनका नये निर्देशों के अनुसार पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है तो कब तक इन 8 परियोजनाओं को पूर्ण कर दिया जाएगा? यह पुनर्निरीक्षण कार्य कितने समय में करके इसका वर्क चालू करके कम्पलीट कर दिया जाएगा?

दूसरा, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि दांता जिसकी आबादी 17 हजार से अधिक है और आज तक भी एस.आर. टैंक नहीं बना हुआ है तो क्या ऐसे और भी कोई गांव हैं जिनकी आबादी 17 हजार की हो और जिसमें एस.आर. टैंक नहीं हो?

तीसरा, आपका प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर का मापदण्ड है और मैंने जितने ये 27 गांवों की सूची दी है इनमें हालत यह है कि कहीं भी दांता में 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, उदयपुर में 17 है, कइयों में तो जीरो है, एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की पानी की

(श्री अमराराम)

सप्लाई हो तो मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन गांवों में आप 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से यह योजना बनाने का निर्देश देकर के कब तक पूरा कराने का काम करेंगे?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दांतारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 241 गांव हैं और पहले की योजनाओं के अनुसार 211 गांवों में पेयजल की योजना उपलब्ध है। 17 पाइप लाइन हैं, 106 पम्प एण्ड टैंक हैं, 16 क्षेत्रीय है और 72 हैण्ड पम्प स्वीकृत हैं। जिन 9 योजनाओं के बारे में आपने कहा है, जल प्रदाय योजना खाटूश्यामजी, लांबिया, नोसाल, बाय और कुली की तो स्वीकृति हमने निकाल दी है और जो नई गाइड लाइंस आई हैं उनके अनुरूप इनके संसाधन के लिए गाइड लाइंस के अनुसार हम टैक्निकली एग्जामिन कराकर के शीघ्र चालू कर देंगे।

जहां तक ग्राम दांता की बात की है तो ग्राम दांता की आबादी वैसे तो वर्ष 2001 में 14572 थी परन्तु वर्तमान में 17586 इसकी जनसंख्या है। सुलियावास पर एक लाख लीटर के तीन जी एल आर बने हुए हैं और वह इतनी पहाड़ी पर हैं, इतनी हाइट पर हैं कि एस आर का कार्य कर रहे हैं। ऊंचाई होने पर अच्छा प्रेशर बना रहता है और दांता के अन्दर पानी भी उपलब्ध हो रहा है जो नेचुरल स्टेजिंग के हिसाब से पानी आ रहा है। वैसे अभी सुलियावास के अन्दर 6 नलकूप खुदे हुए हैं और यह एक ही जगह हैं, 100 मीटर की पैराफेरी है जहां यह पानी उपलब्ध है। जीसी पेच, इस पेच को तलाई कहते हैं और यहीं पर नलकूप लगाये हुए हैं। तीन नलकूप इनकी बस्तियों के लिए जहां पर टेल एंड पर पानी नहीं पहुंच रहा था, उनके ऊपर भी तीन नलकूप खोदे गये हैं, वो हैं गडिया की ढाणी, नीमावास रास्ते पर और मालियों की ढाणी। जहां तक आपके यह सी डब्ल्यू आर बनाने, पम्पिंग करने, उसको हम इसके ऊपर क्लियर वाटर स्टोरेज टैंक बनाओ फिर उससे वापस उसको लिफ्ट करो तो उसके लिए बिजली का ज्यादा खर्च आता है। हमने यह निर्देश दे दिया है कि अगर टैक्निकली फिजिबल हो तो निश्चित रूप से उनके परीक्षण के बाद, उनकी रिपोर्ट आने के बाद अवश्य कार्यवाही करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बिलकुल असत्य बयान अधिकारियों ने दिया है, मैं नहीं कहता हूं कि इन्होंने देखा है कि सुलियावास में टैंक जी एल आर बने हुए हैं पहाड़ी पर, सुलियावास में न तो टैंक बना हुआ है, जी एल आर नहीं बना हुआ है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जी एल आर सुलियावास में नहीं बना हुआ है। जी एल आर नहीं बना हुआ है, सुलियावास में तो ट्यूबवैल खोदे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ट्यूबवैल आपने 7 बताये हैं जबकि दो हैं। सुलियावास में दो ट्यूबवैल बने हुए हैं जबकि मंत्री महोदय 7 बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिम्मेदारी के साथ ही मैं कह रहा हूं साहब। आप उत्तर निकलवा लीजिये। इन्होंने कहा है कि सुलियावास में एक जोहड़ में 7 ट्यूबवैल बने हुए हैं...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं गिना देता हूं, मैं बता देता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं कह रहा हूं न।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्री महोदय, दो बने हुए हैं और आपका ही उत्तर कह रहा है कि दांतारामगढ में दांता गांव में 17 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आ रहा है जबकि 70 लीटर आना चाहिए और जिन तीन ट्यूबवैल की ये बात कर रहे हैं उनमें 10 प्रतिशत पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए मंत्री महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि 70 लीटर से कम जितने गांवों में हैं वो कब तक आप योजना उनकी बना देंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब सुन लीजिये। सुन तो लीजिये। स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, जो मैंने कहा है, सुलियावास में आपका पहला ट्यूबवैल 1999 में खुदा था, दूसरा ट्यूबवैल 2000 में जोहड़ी में, तीसरा 2003 में, चौथा 2004 में, 2005 और 2008 में भी आपके सुलियावास रोड पर खुदे हैं। उसके अलावा ये तीन बस्तियों के टेल एंड के ट्यूबवैल और खोदे गये हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यहां तो पानी ही नहीं है। मंत्री महोदय, यहां तो पानी ही नहीं है। आपके वो सब बंद हैं, दो ट्यूबवैल चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी ने यह थोड़े ही कहा है कि पानी है, इन्होंने कहा है खोदे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, एक साल पहले खोदे हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खोदे तो हैं, सुनिये तो सही आप। आप पहले उनका जवाब सुन लीजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): देखिये, उसमें से एक अबेंडंड है और पांच ट्यूबवैल में लो एवरेज से आ रहा है, पानी की आवक कम है। अब इनके यहां पानी ही नहीं है, इतना भू-दोहन हो गया है और दांतारामगढ़ डार्क जोन के एरिया में है और आस-पास से कहीं से भी पानी नहीं लाया जा सकता।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सुलियावास में कोई पानी की कमी नहीं है। सुलियावास में आपने डीपनिंग कराई है उसमें सबसे बेस्ट पानी है। दांता से 4 किलोमीटर पर सुलियावास है और ये सब जितने भी गांव मैंने गिनाये हैं ये पहाड़ के इस साइड में हैं और उस साइड में पहाड़ में तीन किलोमीटर पर पानी की कोई कमी नहीं है इसलिए मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि इन गांवों के जहां 4 किलोमीटर में पानी है उनको पानी आप मापदण्ड के अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से दिलाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश देकर के पानी दें। मेरा निवेदन यह है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये। श्री ओम बिरला। दे दिया जवाब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, नहीं, दिया कहां? अध्यक्ष महोदय, इनका 17 लीटर का आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 हजार की आबादी है, ये उत्तर तो दे दें।

श्री अध्यक्ष: दे दिया। एक प्रश्न और आ जाएगा। जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कब तक दे देंगे? इनका 17 लीटर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शीघ्र के लिए आप कह दें।

श्री अध्यक्ष: शीघ्र करायेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शीघ्र, महीने-दो महीने में?

श्री अध्यक्ष: जितना शीघ्र सम्भव हो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 17 लीटर मिल रहा है। 17 लीटर भी कई हैण्डपम्प हैं इन हैण्डपम्पों में जहां पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: एक प्रश्न और आ जाए। एक प्रश्न और आ जाने दीजिये। स्वास्थ्य मंत्रीजी। चर्चा समाप्त करें। श्री ओम बिरला।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर की न्यूरो सर्जरी इकाई का विस्तार

172. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुर में वर्तमान में न्यूरो सर्जरी की कितनी यूनिट हैं? इनमें कितनी-कितनी शैय्याएं हैं तथा इनमें किस-किस स्तर के कितने चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ पदस्थापित हैं ? न्यूरो सर्जरी के कितने आपरेशन थियेटर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किसी न्यूरो सर्जरी एवं बाई-पास सर्जरी के रोगी के चिकित्सालय में भर्ती होने से औसतन कितने दिन में उसके आपरेशन की बारी आ जाती है? क्या इस हेतु कोई वरियताक्रम सूची बनाई जाती है? यदि नहीं, तो आपरेशन की वरियता का क्या आधार है? क्या सरकार वरियता निर्धारण अथवा कोई न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा निर्धारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) एस.एम.एस. चिकित्सालय में कितनी गहन चिकित्सा इकाई हैं? इन इकाइयों के इंचार्ज किस-किस स्तर के चिकित्सक हैं? क्या प्रत्येक यूनिट में 24 घंटे मेडिसन रेजिडेंट एवं एनेस्थेसिया रेजिडेंट उपलब्ध रहते हैं? गत आठ माह में इनमें कितने रोगी भर्ती हुए तथा कितने रोगियों की मृत्यु हुई? यूनिटवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार रोगियों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या रोगियों की संख्या को देखते हुए उपलब्ध संसाधन पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनमें वृद्धि/विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) : (1) एस.एम.एस. हास्पिटल, जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग में पांच इकाइयां संचालित हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग की इन इकाइयों में इकाई वार उपलब्ध शैय्याओं तथा इन इकाइयों में पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

इस विभाग में नौ सीनियर रेजीडेंट तथा छह नर्स ग्रेड-प्रथम, 30 नर्स ग्रेड-द्वितीय तथा 11 नर्सिंग कर्मचारी अनुबन्ध के आधार पर कार्यरत हैं जो सभी पांचों इकाइयों का कार्य करते हैं। इन्हें इकाई वार कार्य वितरित किया हुआ नहीं है।

न्यूरो सर्जरी विभाग में तीन रूटीन के आपरेशन थियेटर तथा एक आपातकालीन आपरेशन थियेटर संचालित है।

(2) न्यूरो सर्जरी इकाई प्रथम में अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक मरीज होने के कारण 15 दिवस से तीन माह की अवधि में आपरेशन की बारी आती है। अन्य इकाइयों में सात दिवस से एक माह की अवधि में आपरेशन की बारी आती है।

कार्डियोवस्कुलर एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में क्लोज हार्ट सर्जरी एवं ओपन हार्ट सर्जरी के आपरेशन किये जाते हैं। क्लोज हार्ट सर्जरी आपरेशन नियमित समय पर सम्पन्न हो जाते हैं जबकि ओपन हार्ट सर्जरी के आपरेशन के लिए छह से आठ माह की प्रतीक्षा सूची चल रही है।

अत्यन्त गम्भीर प्रकृति के मरीजों का उनकी स्थिति के अनुसार यथाशीघ्र आपरेशन किया जाता है। सामान्यतया आपरेशन की वरियता का आधार मरीज के भर्ती की तिथि एवं उसके रोग की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता है। चूंकि रोगी के आपरेशन के संबंध में संबंधित चिकित्सक द्वारा ही रोगी की स्थिति के अनुसार निर्णय लेना होता है, अत: वरियता निर्धारण अथवा न्यूनतम या अधिकतम समय सीमा राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित किया जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है।

(3) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आठ गहन चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं। आचार्य स्तर के चिकित्सक इन इकाइयों के प्रभारी होते हैं। इन गहन चिकित्सा इकाइयों में सामान्यतया चिकित्सा अधिकारी तथा मेडिसिन विभाग एवं एनेस्थिसिया विभाग के रेजीडेंट उपलब्ध रहते हैं। एनेस्थिसिया के रेजीडेंट की कमी के कारण कुछ गहन चिकित्सा इकाइयों में आवश्यकता होने पर उन्हें काल पर तुरन्त बुला लिया जाता है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान दुरु मियां)

गत आठ माह में मुख्य गहन चिकित्सा इकाइयों में भर्ती हुए मरीजों एवं उनकी मृत्यु का विवरण इस प्रकार है :-

गहन चिकित्सा इकाई	भर्ती रोगी	मृत्यु
मेडिकल	578	312
गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	180	49
सर्जिकल	590	207
न्यूरो सर्जरी	1,091	418
कार्डियोलोजी	1,418	121
कार्डियक सर्जरी	472	62
कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	452	40
पोलीट्रोमा	837	137

रोगियों की मृत्यु के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर तथ्यों के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाती है।

(4) रोगियों की दिनों-दिन बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उपलब्ध संसाधनों की कमी महसूस की जा रही है। इस कमी को दूर करने हेतु सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: समय देखिये।

(शेष तारांकित एवं तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ-59 पर देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री विजय बंसल एवं 18 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री दिगम्बर सिंह एवं छह अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री ग्यारसा राम कोली एवं 15 अन्य सदस्यों की ओर से भरतपुर के बयाना में दिनांक 17.07.2009 को श्री रामेश्वर दयाल अग्रवाल की हत्या करने के प्रकरण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री बाबूलाल खराड़ी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल की पंचायत समिति झाडोल के विद्यालयों में विद्यार्थियों को पुस्तकें वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर में सेना की भर्ती में दलालों के सक्रिय होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री पेमाराम एवं एक अन्य सदस्य की ओर से पंचायत समिति धोद का स्वयं का कार्यालय भवन निर्माण करने के संबंध में।

(8) श्रीमती सूर्यकांता व्यास एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से निरन्तर तेजी से बढ़ रही महंगाई से समाज के हर वर्ग को हो रही कठिनाई के संबंध में।

(9) श्रीमती अनीता सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज मामलों की समीक्षा करने के संबंध में।

(10) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से गंगानगर सीवरेज प्रोजेक्ट की आमंत्रित की गई निविदा को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से मुहाना जयपुर स्थित सचिवालय नगर में अव्यवस्था के संबंध में।

(12) श्री हनुमान बेनीवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से जिला अजमेर की पंचायत समिति भिनाय के ग्राम बांदनवाड़ा के निवासी श्रीमती गीता चौधरी पर दिनांक 9.7.2009 को कातिलाना हमला करने वालों पर कार्यवाही करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री कल्याण सिंह एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से खमनोर थाना ग्राम नेडच में दिनांक 03.12.2008 को हुए झगड़े पर पुलिस द्वारा अभी तक कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री केसाराम चौधरी एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य में गैस की टंकी के अभाव में बढ़ रही कालाबाजारी एवं गैस चोरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ब्रिटिश पर्यटक से कुकर्म के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के कारण राज्य सरकार पर की गई टिप्पणी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री बंशीधर खण्डेला एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से जिला सीकर के डी.एस.ओ. द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(18) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली के कुम्भलगढ़ सेन्चुरी वन्य जीव क्षेत्र में मवेशियों के चराने पर लगाई गई पाबन्दी को हटाने के संबंध में।

(19) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य के विभागों में गार्ड के पद पर नियुक्त किये जा रहे भूतपूर्व सैनिकों को सैनिक कल्याण विभाग एवं जिला कलक्टर के माध्यम से नियुक्त करने के संबंध में।

(20) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में आठ बालकों की मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(21) श्री रामहेत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से तहसील मण्डावर के ग्राम सीलगांव के खसरा नम्बर 191 रकबा 27 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर हरियाणा के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री अमराराम, श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं श्री रामहेत सिंह यादव को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या-48 बी पर ओवरब्रिज बनवाने के संबंध में।

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की मानसरोवर, जयपुर योजना की सैकड़ों बीघा भूमि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा अनियमितता कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री सुखाराम नेतडिया, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेड़ता सिटी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन करने के संबंध में।

(4) श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला अलवर में किसानों को आबंटित कस्टोडियन भूमि की रजिस्ट्री पुरानी रेट पर करने के संबंध में।

(5) श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना में हो रही चोरी की घटनाओं को रोके जाने के संबंध में।

(6) श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कतिपय गांवों में ट्यूबवैल्स खोदने के संबंध में।

(7) श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद में पानी एवं चारे की उत्पन्न विकट समस्या के संबंध में।

(8) श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में मंडार के निकटवर्ती गांव गुंदवाड़ा में दिनांक 07.07.2009 को आये तूफान के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में वरिष्ठ नागरिकों का किराया एवं आयु को कम करने के संबंध में।

(10) श्री शाले मोहम्मद, सदस्य की ओर से जिला जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में विभिन्न चक आबादियों, गांवों, ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों/रास्तों के बीच पड़ने वाली नहरों/माइनरों पर पुल बनवाने के संबंध में।

(11) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की कतिपय पंचायतों की पेयजल समस्या का समाधान करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

सूचना

राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव के जरिये भी इस सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की...

श्री अध्यक्ष: आपको समय दे दूंगा मैं बाद में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कल राजस्थान सरकार की कानून-व्यवस्था के बारे में जिस तरह तीखी टिप्पणी की है और यहां तक कह डाला...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव हो जाने दें, बाद में प्वाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन आप बोलियेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह डाला कि पुलिस अधिकारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था को चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह दुर्भाग्य है, और अध्यक्ष महोदय, इस तरह की टिप्पणी करने के बाद...

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्था को कृपया आप चलने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस सर्वोच्च न्यायालय ने, जो कानून बनाती है, जिसकी नजीर पर पूरा हिन्दुस्तान चलता है उस सर्वोच्च न्यायालय की यह टिप्पणी राजस्थान की जर्जर कानून-व्यवस्था के बारे में अपने आप इंगित कर रही है। किस सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा होने दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, चर्चा हो जायेगी..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई सामान्य विषय नहीं है जिसको आप इस प्रकार से ले रहे हैं। हमारे राजस्थान कानून-व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार के वर्शन दिये हैं और वह भी कितनी सी छोटी सी बात पर, छह महीने हो गये, उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में जो मेरे टाइम पर घटना हुई थी और एक ब्रिटेन की महिला के साथ बलात्कार हुआ था, सात दिन में हमने उसका चालान पेश किया, चार महीने में उसको आजीवन कारावास दिया मई के महीने में और उसके बाद जुलाई में वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जमानत लेकर के बेल आउट हो गया था, उसने फिर से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने 16.1 को, 19.1 के दिन इनको, सरकार को कहा है कि इसे गिरफ्तार करके पेश किया जाय। आज छह महीने हो गये, सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने होने के बाद इस प्रकार की बात कही है उससे ज्यादा दुर्भाग्य....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक अभियुक्त, उदयपुर का नामजद अभियुक्त है, उसकी सम्पत्ति है, उसका सब कुछ है और पुलिस इतनी सक्षम होने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का छह महीने तक अगर अभियुक्त को नहीं पकड़ सके...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): तो जो कमेंट्स किये हैं कि ऐसी सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं, गृह मंत्री त्याग पत्र दें अगर आपकी पुलिस जो छह महीने तक गिरफ्तार नहीं कर सकती...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपके पास इतनी बड़ी फौज है, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस पुलिस के पास, जिस सरकार के पास आज छह महीने का समय गुजर जाय...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया आप विराजें। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके पेश नहीं कर सके, एक व्यक्ति को गिरफ्तार...

श्री अध्यक्ष : कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): गिरफ्तार नहीं होगा उसकी सम्पत्ति तो नीलाम की जा सकती है, उसकी सम्पत्ति तो नीलाम हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही चलने दें, माननीय सदस्य, विराजें। कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यानि हमको एक मौका नहीं, छह महीने तक कितनी बार मौका दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिस प्रकार से एक तरह से उनके सब के खिलाफ कार्यवाही करना चाहा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें, सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) कृपया आप विराजें, माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही चलने दें। कृपया आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल सात दिन का समय दिया, यह दुर्भाग्यशाली नहीं है...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह। श्री अमराराम। श्री अमराराम। (व्यवधान) श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान)

सदन के वैल में

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री रामहेत सिंह। श्री रामहेत सिंह।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाओं के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 21 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें श्लाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गई हैं जो निम्नवत हैं :-

1. श्री हरिसिंह रावत-विधायकों को पीडब्ल्यूडी द्वारा दिये जाने वाले फर्नीचर की लिमिट को हटाये जाने के संबंध में।
2. श्री बहादुर सिंह-बयाना को पान की नगरी, खरैरी, वागरैन होते हुए जयपुर व दिल्ली बस सेवा शुरू कराये जाने के संबंध में।
3. श्री हेमसिंह भडाना-देवनारायण योजनान्तर्गत सरकार की मंशा एवं अतिविशिष्ट पिछड़ों को आरक्षण के संबंध में।
4. श्रीमती कमसा-भोपालगढ़ की सड़कों की जर्जर हालत के संबंध में। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत। श्री बहादुर सिंह। श्री बहादुर सिंह। श्री हेमसिंह भडाना। श्री हेमसिंह भडाना। श्रीमती कमसा मेघवाल। श्रीमती कमसा मेघवाल। (व्यवधान)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्रीमती जकिया। श्रीमती जकिया।

श्री करण सिंह (छबड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जकिया। (व्यवधान) श्रीमती सूर्यकांता व्यास। याचिका का उपस्थापन, श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

(श्री अध्यक्ष)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री केसाराम चौधरी, श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री रामहेत सिंह, श्री अशोक परनामी । (व्यवधान)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान 2009-10, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजेन्द्र पारीक। श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42-उद्योग की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77 करोड़ 20 लाख 79 हजार (अक्षरे रुपये सतत्तर करोड़ बीस लाख उन्यासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.19 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय: 13.19 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, बड़े दु:ख की बात है कि राज्य सरकार पर इस प्रकार की टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है उसके बाद भी सरकार का इस प्रकार का व्यवहार और माननीय सभापति महोदय...

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ...(व्यवधान) मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, डी.आई.जी. टण्डन को इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ...(व्यवधान)

सदन में नारेबाजी

(भाजपा के सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ...(व्यवधान) ये वही पार्टी है, इन्होंने डीआईजी टंडन को गिरफ्तार नहीं किया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मामला राजस्थान का ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इन्होंने सदन को गुमराह किया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये रहा सभापित महोदय, मैं टेबल कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान)... जिस तरह की बदनामी राजस्थान की सरकार की हुई है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सरकार जवाब दे, सरकार को जवाब देना होगा। सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):...(व्यवधान) ये सदन की कार्यवाही को अकारण बाधित करने के लिए माननीय प्रतिपक्ष को ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ...(व्यवधान) आने वाले पर्यटक इससे डरेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) ऐसी लचर कानून व्यवस्था जिसके चलते आज पूरे विश्व में राजस्थान का नाक नीचे हुआ है सर नीचा हुआ है। मैं समझता हूं सभापति महोदय, ऐसी तल्ख टिप्पणी हमने आज तक नहीं सुनी जो सर्वोच्च न्यायालय ने दे दी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस पर वक्तव्य आये सरकार की तरफ से। ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, हमारी मांग है ...(व्यवधान)...

सदन के वैल में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इस आर्डर को आप माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) सभापति महोदय, इस आर्डर को देखिये। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आयी है वह शर्मनाक है। सरकार को बर्खास्त करो। (व्यवधान)

श्री भंवरू खान (फतेहपुर): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की महिलाओं की तो इनको चिन्ता नहीं है विदेशी महिलाओं की इनको ज्यादा चिन्ता है। भारत की महिलाओं की इनको कोई चिन्ता नहीं है इनको तो विदेशी महिलाओं की चिन्ता है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर भी बहुत-सी महिलाएं हैं जिनके साथ अत्याचार होते हैं उनकी इन्होंने कभी चिन्ता नहीं की और एक विदेशी महिला के लिए शोर मचा रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य यह कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ये आदेश की प्रति मेरे पास है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री करण सिंह (छबड़ा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री करण सिंह (छबड़ा):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री करणसिंह (छबड़ा):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 13.26 बजे, 14.26 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.26 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजस्थान की कानून व्यवस्था पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

श्री अध्यक्ष: विराजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, दो घंटे लगातार सदन स्थगित हुआ और इसका कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है। राजस्थान की सरकार की और राजस्थान की इमेज जिस प्रकार से कल की सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद खराब हुई है सारे माननीय सदस्य उस बात को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहना चाहते थे । हमारे माननीय सदस्यों ने, सचेतक महोदय ने, अन्य माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था और अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य पूर्ण ऐसी स्थिति बनी कि वह अपनी बात नहीं कह सके और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कल की टिप्पणी में जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्थान में कानून का कोई मतलब नहीं है, राजस्थान में कानून का शासन नहीं है और हमारी बात मुख्य मंत्री तक पहुंचा देना । एक बार तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी थे उन अधिकारियों पर कार्यवाही भी सरकार करना चाहती थी । अध्यक्ष महोदय, यह छोटा मामला नहीं है इसमें केवल सरकार की इमेज खराब हुई है ऐसी बात नहीं है। राजस्थान की इमेज पूरी दुनिया भर में इस बात से खराब हुई और इसलिए हम उस पर चर्चा करना चाहते थे । हम पूछना चाहते थे कि सरकार ने क्या कार्यवाही की। सरकार की क्या गलती हुई जिसके कारण से सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी। यह क्या मामला है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है। हम तो यह जानना चाहते थे कि सरकार इतनी संवेदनशील तो जरूर होगी कि स्वयं सुओमोटो खड़ी होकर इस पर अपना वक्तव्य देगी ताकि सदन के माध्यम से सरकार अपनी स्थिति क्लियर कर सके और राज्य के ऊपर जो कलंक लगा है, यह जो टिप्पणी हुई है उस टिप्पणी का किस प्रकार से खंडन हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। एक मुलजिम को, इतना बड़ा हमारा पुलिस का लवाजमा, कितने तो डीजी आपने बना रखे हैं, कितने आईजी बना रखे हैं, कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर रखा है और यह आपकी सारी की सारी फोर्स एक आदमी को पकड़ नहीं सके। जिसकी सम्पत्तियां हो, जो गेस्ट हाउस भी चलाता हो, जिनकी सारी सम्पत्ति हो और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। यह कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें सरकार को इतनी बड़ी मानहानि सहन करनी पडे और राजस्थान की इतनी बड़ी बदनामी हुई हो और इस प्रकार से एक तरह से नैतिक अधिकार गृह मंत्री महोदय आपका नहीं है लेकिन मैं आपसे चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें कि राज्य सरकार इस मामले में स्थिति स्पष्ट करें। राज्य सरकार यह बताये कि उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की है। राज्य सरकार यह बताये कि आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है। राज्य सरकार बताये कि कौन-कौन से अधिकारियों को जिम्मेदारी दी थी, कौन-कौन से

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अधिकारी दोषी हैं और उन अधिकारियों पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय में 7 दिन में राज्य सरकार क्या कर रही है और राजस्थान जो कि ट्यूरिज्म का स्पॉट है इस एक स्टेटमेंट के कारण, एक वक्तव्य के कारण, एक टिप्पणी के कारण जो हमारी अप्रतिष्ठा हुई है उस अप्रतिष्ठा को कैसे दूर किया जा सकता है ....

श्री अध्यक्ष: हुई नहीं है अब चर्चा से होती ही जा रही है, विराजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए उसको खतम करने के लिये वक्तव्य आये। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष महोदय, इस पर आप मंत्रीजी का वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष: बड़ी शांति से कल सदन चला और नियमानुसार सारी व्यवस्थाओं के साथ कार्य सम्पन्न हुआ, रात को साढ़े ग्यारह बजे तक बैठकर चला और समाचार पत्रों में, मीडिया ने आज इस बात की काफी तारीफ की कि कई दिनों बाद आज बड़ा बढ़िया तरीके से सदन चला। पता नहीं मुझे, उस तारीफ की नजर लगी, क्या हुआ। लेकिन जो कुछ हुआ उसको भुलाकर के मंत्रीजी आपसे निवेदन करुंगा जो भाजपा के उप नेता ने बात रखी है उस पर आप अपनी ओर से कहें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया, विराजिये, माननीय सदस्य, कृपया आप विराजिये। मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े हुए हैं। आपके उप नेता ने मांग की, उसको मैंने स्वीकार कर लिया। (व्यवधान) कृपया, अंकित नहीं होगा। मेहरबानी करिये, आसन पांवों पर है, विराज जाएं।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाएं, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा, नियमों की थोड़ी जानकारी रखें आप। गृह मंत्रीजी।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुश्री सुजन मार्टिन, जिसके साथ यह वाकया गुजरा, 09/01/2008 को। थाना अम्बा माता, उदयपुर में 376 में केस रजिस्टर हुआ। मोटे तौर पर मैं

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय कटारिया साहब को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि इनके अथक प्रयत्नों से मुलजिम भी पकड़ा गया, वक्त पर चालान भी पेश हुआ और फास्ट ट्रेक अदालत ने बहुत ही कम समय में उसको सज़ा भी दी। बात यहीं खतम नहीं होती। आखिरी तक मुलजिम को सज़ा दिलाने का कर्तव्य सरकार का होता है। वह क्या कारण थे कि हाई-कोर्ट में उसकी जमानत हो गई। वह किस जमाने में हुई। उसके लिये जिम्मेदार कौन था। यदि आप जिम्मेदार थे तो मुझसे आपको गृह मंत्री की हैसियत से इस्तीफा मांगने का हक ही नहीं है। दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) मेरा आपसे एक अर्ज है, मेरी बात पहले पूरी सुन लें। मैं आपकी पूरी बात सुनुंगा। मेहरबानी करके डिस्टर्ब न करें। यह पहला वाकया नहीं है। विदेशी औरतों के साथ अजमेर में भी घटना हुई, अलवर में भी हुई और जोधपुर में भी हुई और कई जगह हुई। यही नहीं, जैसा कि बताया गया कि उसकी जमानत नामंजूर कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16/01/2009 को, उससे लेकर आज तक पूरे 6 महीने हो गये। 6 महीने में वाकई राजस्थान की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। यह राजस्थान की पुलिस का जबरदस्त लेप्स था, जिसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है। टण्ड्न डी.आई.जी. का नाम सुना होगा, क्या हुआ। (व्यवधान) उड़ीसा के डी.आई.जी. थे, मोहन्ती। उनका लड़का फरार, बलात्कार में पकड़ा गया, भाग गया, उसका क्या हुआ। हजारों की तादाद में ऐसे कैसेज हैं और मैं आपको एक केस ऐसा सुनाता हूं, भवानी मण्डी में।

श्री अध्यक्ष: जोर से नहीं, जरा धीरे बोलिये आप। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा धीरे बोलिये। थोड़ा धीरे बोलिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपने मुझे चेता दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इस सब्जेक्ट पर आओ ना।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां धन्यवाद, मेडिकल मिनिस्टर हैं आप।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, मैं साथ बैठा हूं।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): भवानी मण्डी के चैयरमैन, नगरपालिका के चेयरमैन, रामगोपाल... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप उस पर आएं ना।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप बोल रहे थे तो ये चुप बैठे थे।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं, कृपया व्यवधान नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप चाहते हैं कि चर्चा हो या आप चाहते हो कि बम्बार्टमेंट हो, आप चाहते हो कि बम्बार्टमेंट हो, यही आप चाहते हो कि हाउस को जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपका हाउस में वास्तव में जानकारी देकर के राजस्थान पर लगे हुए कलंक को धोने का मन है या एक दूसरे पर छींटाकशी करने का मन है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): धोने का ही मन है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): न केवल इतना ही है। हाई-कोर्ट में अगर उसको बैल मिल गई उसका अगर यह हाउस दोषी मुझे मानता है तो मुझे यहीं सज़ा दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अगर आपकी यह मानसिकता हो कि मेरे कारण से हाई-कोर्ट में, तो मैं चाहता हूं कि आप यहीं सज़ा सुना दो मुझे अभी, सब लोग मिलकर के हाई-कोर्ट में जमानत होना और नहीं होना, मेरे अधिकार क्षेत्र में था और मैं अगर उसका दोषी हूं तो यह सदन छोड़ करके मैं अभी चला जाऊंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका नाम थोड़े ही किसी ने लिया है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके बाद आगे अपील में जाते ना आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल बातें बनाने से नहीं चलेगा। अगर बात कहना चाहते हो तो ईमानदारी से कहो कि कहां-कहां हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या-क्या प्रयास किये और उन प्रयासों में हमें सफलता नहीं मिली, आगे हम यह प्रयास कर रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती ना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आगे हम यह प्रयास कर रहे हैं। हमारे जमाने में क्या हुआ, उसके जमाने में क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सम्मानीय अध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब गृह मंत्री थे, आप राजस्थान के गृह मंत्री थे। (व्यवधान) बलात्कार का केस था। (व्यवधान) बड़ी सादड़ी से प्रधान, उप प्रधान 376 बलात्कार के केस में थे उस समय यहां पर 6 महीने तक उन व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, जब ये गृह मंत्री थे, अधिकारी इनकी बात नहीं मानते थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ये क्या बोल रहे हैं, सब खड़े हो जाएं ना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा):×××

श्री नगराज (धरियावद):×××

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी का बयान आ रहा है। माननीय सदस्य कृपया विराजें। अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें, किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद):×××

श्री अध्यक्ष: आपके उप नेता बोल रहे हैं, आप बीच में। (व्यवधान) मुझे ऐसा लगने लगा है कि सदन की कार्यवाही बाद में चले और पहले ट्रेनिंग चालू करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अध्यक्ष: विराजें, आप तो विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो इतना ही कह रहा था।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराज जाओ। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) फिर क्या अर्थ है। फिर क्या अर्थ है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। आप विराज जाएं। इस तरह से सदन नहीं चल पायेगा। विराजिये, विराजिये, आप विराज जाइये। कृपया विराज जाएं। आप क्या कह रहे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कह रहा था कि माननीय गृह मंत्री महोदय से मैंने इतना ही कहा था कि इस विषय में क्या कार्यवाही सरकार ने की है वह स्पष्ट करें। यह कहना कि डी.आई.जी. टण्डन भाग गया और हजारों आदमी भाग गये। इसलिये यह भागें तो कोई गलत नहीं है। यह कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप ठीक कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिये मैं मांग कर रहा हूं, आप उस बात पर आयें-एक। दूसरा वांछित...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। पर मैं एक बात आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि मैं वाकई टू-द-पाइण्ट।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा):×××

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं वाकई इस घटना के ऊपर बोलना चाहता था, टू-द-पाइण्ट बोलना चाहता था लेकिन जिस प्रकार के भाषण यहां पर हुए और सुप्रिम कोर्ट के द्वारा जो यह बताया गया कि सुप्रिम कोर्ट ने राजस्थान की सरकार को नकारा बता दिया, यह भी बता दिया कि राजस्थान की सरकार को प्रशासन करने का हक नहीं है। यह बातें तो गलत कहीं। जो सुप्रिम कोर्ट ने कहा, मैं पढ़कर बताता हूं, मैं पढ़कर बताता हूं। (व्यवधान)

राजेन्द्रजी राठौड़ साहब, अंग्रेजी में है।

"It has come to our notice that in the last one week, there has been large destruction of public and private properties and no preventive action appears to have been taken and, unfortunately, it does not prima facie appear that any action has been taken against the offenders who were responsible for the destruction of such properties. As the electronic media shows, the offenders feel that they have done some very heroic or laudable thing ….."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पढ़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, यह? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं यह? गुर्जर आन्दोलन का पढ़ रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या पढ़ रहे हैं। यह कौनसी ... (व्यवधान) यह मामले को बढ़ाना चाहते हैं। यह कौनसी भावना भड़काना चाहते हैं? कौन से आन्दोलन की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह गुर्जर आन्दोलन का पढ़ रहे हैं यहां पर (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन से आन्दोलन की बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुर्जर आन्दोलन कहां पढ़ रहे हो? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए साहब। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा? यह सुप्रिम कोर्ट में इस केस को लेकर जो बात हुई, वह बात हम कर रहे हैं। यह रिसेंट आकरेंस पर क्यों नहीं बोलते? यह आज की घटना पर क्यों नहीं बोलते? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे बोलने दीजिए न। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस घटना पर सुप्रिम कोर्ट ने क्या कहा? यह क्यों नहीं कहते यह? यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बोलने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है इसमें ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, " ....because they show their beaming faces when TV camera is focused on them." ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। यह क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सुनो तो सही आप। यह तो कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह रिकार्ड पर पहले आ चुका है। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह तो कोई बात नहीं हुई। यह तो कोई बात नहीं हुई। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी बीच में वह कर लेते हैं ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसका मजाक मत बनाओ। यह इतना बड़ा लांछन लगा है, इसका मजाक मत बनाइये। इनको कहिये कि यह क्या है? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप मेरी बात सुनिये। (व्यवधान) देखिये, एक मिनट मेरी बात सुनिये। इस तरीके के जो, सुप्रिम कोर्ट ने जो कुछ कहा यह पहली बार नहीं कहा है। गुर्जर आन्दोलन के टाइम सुप्रिम कोर्ट ने जो कुछ कहा था अगर वह मैं पढ़कर सुनाता हूं तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा बताइये आपका? तो इसलिए इन बातों को छोड़िये। हर आदमी जानता है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपको ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ... (व्यवधान) जो अभी हुआ, अभी हुआ वह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय कटारिया साहब, मैं पहले ही यह स्वीकार कर चुका हूं कि निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर हमारी पुलिस व्यवस्था में लचरनैस आयी है। जितना उनका कर्तव्य बनता था वह कर्तव्य की पालना वह नहीं कर पायी। मैं पहले स्वीकार कर चुका हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो कुछ मैं कर रहा हूं वह भी मैं आपको बता रहा हूं लेकिन आपको भी कुछ न कुछ मेरी बात सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

भवानीमण्डी के चेयरमैन को जिसके खिलाफ, भवानीमण्डी के चेयरमैन को जिसके खिलाफ 7 एन.डी.पी.एस. के केसेज थे, पांच साल तक आपने उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया और म्यूनिसिपैलिटी का काम होने दिया, यह मुझे बतायें ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): यह माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशी महिला से बलात्कार के मामले में जो बात कह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मुझे यह बतायें ...(व्यवधान) मुझे यह बतायें कि अमित ...(व्यवधान) जो कि 302 का ...(व्यवधान) मुलजिम था, उसको सात साल का ...(व्यवधान)... पैरोल ...(व्यवधान) वसुन्धरा राजे ने क्यों दिलाया? (व्यवधान)

(सदन में भारी व्यवधान व शोरगुल)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान) अगर इस पर बहस करनी है तो ...(व्यवधान) बहस करनी है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): × × ×

डा. रघु शर्मा (केकड़ी):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है किसी का। अंकित नहीं हो रहा है किसी का। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री):×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन):×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):×××

श्री सुखराम (बसेड़ी):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स):×××

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा):×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय):×××

सदन में नारेबाजी

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, किसी का अंकित नहीं हो रहा है अन्य का, कृपया विराजें। आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, बैठ जाइये। (व्यवधान) कृपया विराजें। कृपया विराजें। (व्यवधान) मुझे नहीं लगता है कि आसन की तरफ से मजबूरी में, सारे निवेदन के बावजूद भी माननीय सदस्य सदन को चलाने के मूड में नहीं लग रहे। कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। बड़ी मुश्किल से तीन दिन तक जो चला, फिर वही चालू हो गया। (व्यवधान) कृपया विराजें, कार्यवाही चलने दें। कृपया कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी मांग को मैंने स्वीकार कर लिया

(श्री अध्यक्ष)

था, स्टेटमेंट के लिये भी मैंने निवेदन कर दिया था, उसके बावजूद कोई नतीजा नहीं निकल रहा। राजस्थान की जनता देख रही है माननीय सदस्यगण, जो सदन में हो रहा हैं। (व्यवधान) मुझे लगता है आप सदन चलाने के मूड में नहीं है। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, कृपया बिराजें। (व्यवधान) सदन की कार्यवाही चलने दें। राजस्थान का मीडिया देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है, कृपया सदन चलने दें। (व्यवधान)... कृपया सदन चलने दें। महत्वपूर्ण उद्योग एवं पर्यटन विभाग की मांगों पर चर्चा होनी है, कृपया सदन चलने दें। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सदन चलने दें। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

आप लोग विराज जायें। सदन की कार्यवाही चलने दें वरना .. (व्यवधान) मजबूर होकर मुझे कार्यवाही स्थगित करनी पड़ेगी। (व्यवधान) कृपया बिराजें आप लोग। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री अनुदान की मांग संख्या-47-पर्यटन मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-47- पर्यटन की प्रस्तुति

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि मांग संख्या-47- पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में समाप्त किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,89,71,000/- (इकतालीस करोड़ नवासी लाख इकहत्तर हजार) तक राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(कृपया ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

मांग संख्या-42- उद्योग का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42- उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 77,20,79,000/- (सतहत्तर करोड़ बीस लाख उन्नासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47- पर्यटन का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47- पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 41,89,71,000/- (इकतालीस करोड़ नवासी लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.55 बजे 22 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण

173. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1994 से अब तक कौन-कौनसी सड़कों का कब-कब निर्माण करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ये सड़कें क्षतिग्रस्त होकर इनमें जगह-जगह पर खड्डे हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़कों के नवीनीकरण के लिए चक्रानुसार समय निर्धारित किया हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों के निर्माण के पश्चात् निर्धारित चक्रानुसार अवधि पूर्ण हो गई है? यदि हां, तो उक्त सड़कों का नवीनीकरण कब तक करा दिया जावेगा एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1 जनवरी, 1994 से अब तक 63 सड़कों का निर्माण किया गया है जिनकी लम्बाई 234.96 कि.मी. है। विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' में अंकित है।

(2) क्षतिग्रस्त सड़को का सड़कवार एवं मण्डीवार विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' में अंकित है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने पर मण्डी समिति के प्रस्ताव एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाता है।

(3) जी हां। मडी समिति क्षेत्र में सड़को के नवीनीकरण के लिये प्रभावी सड़क नीति के अनुसार 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की विशेष मरम्मत का प्रावधान है। सड़कों की विशेष मरम्मत संबंधित मण्डी समिति के प्रस्ताव एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर करायी जा सकती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

रोज (नीलगाय) को संरक्षित वन्य जीव सूची में से विलोपित करवाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश

174. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संरक्षित वन्य जीवों/पशुओं की सूची बनाई गई हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के वन्य जीव/पशुओं को सूची में सम्मिलित किया गया है तथा अनेक को सूची से हटाया भी गया है? यदि हां, तो किस-किस कारण से किस-किस वन्य जीव एवं पशु को जोड़ा गया व हटाया गया ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में बहुतायत में पाये जाने वाले एवं किसानों के हितों के नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीवों/पशुओं को सूची में से उक्त अधिनियम के तहत जारी अनुसूची के विभिन्न भाग में से विलोपित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अनुसूची-3 के क्र.सं. 14 में अंकित राज्य में बहुतायत में पाया जाने वाला रोज (नीलगाय) निवासियों/किसानों एवं फसलों के लिए नुकसानदाई होने से उन्हें मारने के लिए सरकार द्वारा परमिट जारी करने के आदेश जारी किए हुए हैं ? क्या उक्त पशु को अनुसूची से पूरी तरह विलोपित करवाने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 में संरक्षित वन्य जीवों की अनुसूचियां बनाई गई हैं। इन अनुसूचियों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात विभिन्न प्रकार के वन्य जीव/पशुओं को अनुसूचियों में जोड़ा अथवा एक अनुसूची से दूसरी अनुसूची में स्थानान्तरित तो किया गया है परन्तु किसी को पूर्णत: हटाया नहीं गया है। वन्य जीव/पशुओं को उनके अस्तित्व पर

(वन राज्य मंत्री)

विद्यमान/आशंकित संकट को ध्यान में रखते हुये विभिन्न अनुसूचियों में शामिल अथवा एक से दूसरी अनुसूची में स्थानान्तरित किया गया है। एक से दूसरी अनुसूची में स्थानान्तरित वन्य जीव/पशुओं की सूची पीरशिष्ट 'ख' पर संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। चूंकि ये सूचियां वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाती हैं अत: राज्य सरकार इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है।

(4) जी हां। निवासियों/किसानों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रोज (नीलगाय) को मारने के लिए परमिट जारी करने के आदेश सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। ऐसे रोझड़ों को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-III से V में स्थानान्तरित करवाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को वर्ष 1992 से ही निवेदन किया जाता रहा है परन्तु भारत सरकार ने उक्त स्थानान्तरण से मना करते हुए समस्याग्रस्त स्थानों पर उक्त अधिनियम की धारा 11(1)(बी) के तहत कार्यवाही करने का सुझाव दिया। तदनुसार राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक प.11(27) वन/91 दिनांक 31.3.1994 से उप वन संरक्षकों, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19.01.1996 व 30.04.1997 से क्षेत्रीय वन अधिकारियों (रेंजर्स) तथा अधिसूचना दिनांक 31.8.2000 से राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार एवं थाना अधिकारीगण को फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले रोझड़ों को मारने हेतु कृषकों द्वारा आवेदन करने पर अनुमति प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया है।

परन्तु उक्त पशु को अनुसूची से पूरी तरह विलोपित करवाने के लिये कार्यवाही सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां/सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों के रिक्त पद

175. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद भरे हुये हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुल 61 पद स्वीकृत हैं एवं सभी पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शैक्षणिक/अशैक्षणिक अधाकारियों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी किन्तु आरक्षण प्रावधानों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग से परीक्षण करवाया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त तदानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के कोटपूतली-शाहपुरा क्षेत्र में भू-आवाप्ति प्रकरण

176. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटपूतली-शाहपुरा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को छह लेन में परिवर्तित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से किसी मानीटरिंग एजेंसी या समिति का गठन किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को छह लेन में परिवर्तित करने के लिए राजमार्ग के पश्चिमी दिशा की ओर स्थित घनी आबादी वाली भूमि अवाप्त की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ध्यान भूमि अवाप्ति की पूर्वी दिशा की ओर करने या अलवर चौराहे से राजमार्ग की दिशा वलय स्थिति में करवाने के लिए आकर्षित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित कर कोटपूतली-शाहपुरा क्षेत्र की जनता के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य-योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? कार्य-योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर के पत्र क्रमांक 682 दिनांक 1.7.2009 के अनुसार समस्त भूमि अवाप्ति के कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारियों को नामित किया जा चुका है एवं उनके द्वारा भूमि अवाप्ति का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्य के समन्वय एवं कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सोशल इन्फ्रा) की अध्यक्षता में गठन किया गया है।

(2) वर्तमान 4-लेन सड़क को 6-लेन सड़क में परिवर्तित करने के लिये किसी एक दिशा विशेष में भूमि अवाप्ति न कर, वर्तमान सड़क के दोनों ओर भूमि अवाप्ति का कार्य किया जा रहा है। राजमार्ग की दिशा वलय स्थिति में करने का रियायतग्राही अनुबन्ध में प्रावधान नहीं है।

(3) यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है। चूंकि राजमार्ग राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। समस्याओं की सूचना होने पर उनके समाधान हेतु प्राधिकरण के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य के समन्वय एवं कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का अतिरिक्त मुख्य सचिव, (सोशल इन्फ्रा) की अध्यक्षता में गठन किया गया है।

अलवर जिले के नामान्तरकरण हेतु लम्बित प्रकरण

177. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में आवेदन के पश्चात कृषि भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित है?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित अवधि में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो नियमों की प्रति व निर्धारित प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला अलवर में नामान्तरकरण दर्ज करने के सैंकड़ों प्रकरण विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नामान्तरकरण दर्ज करने में विलम्ब करने वाले

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार आमजन को राहत देने हेतु नामान्तरकरण प्रक्रिया का सरलीकरण एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में विधिनुकूल आवेदन के पश्चात कृषि भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने की अधिकतम अवधि 7 दिवस निर्धारित है।

(2) जी हां। निर्धारित अवधि में उचित कारण के बिना नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने के प्रावधान उपलब्ध हैं।

(3) जिला अलवर में नामान्तरकरण दर्ज करने के 545 प्रकरण विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण विभिन्न कारणों से लम्बित हैं, जैसे न्यायालयों के स्थगन आदेशों का होना, भूमि का बैंक में रहन होना। धारा 90 (बी) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत भूमि के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन होना।

(4) जी नहीं। उपरोक्त नामान्तरकरण समुचित कारणों से लम्बित है।

(5) जी नहीं। इस सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 119 से 122 में स्पष्ट प्रावधान किये हुये हैं।

जोधपुर जिले में ''गुरू गोलवरकर जन भागीदारी'' योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का समायोजन

178. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ''गुरू गोलवलकर जन भागीदारी योजना'' शुरु की गई थी? यदि हां, तो कब व जोधपुर जिले में पंचायत

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

समितिवार इस योजना में कितने पंजीयन हुए, कितने कार्य पूर्ण कर लिये गये व कितने कार्य अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना शुरु होने से अब तक जोधपुर जिले की पंचायत समितियों को कितना-कितना बजट आवंटित किया गया? पंचायत समितिवार कितना खर्च हुआ व कितना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर में उक्त योजना ''जन भागीदारी'' की पूरी राशि पंचायत समितियों व डी.आर.डी.ए. में जमा हुई है तथा क्या योजना हेतु जमीन समर्पित कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये व वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है? क्या सरकार इन कार्यों को पूरा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा उक्त योजना बन्द करने की स्थिति में क्या पंजीयनकर्ताओं को राशि ब्याज सहित लौटाई जायेगी या अन्य जन भागीदारी योजना बनाकर समायोजित की जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। गुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना वर्ष 2004-05 में शुरू की गयी है। जोधपुर जिले में इस योजना में पंचायत समितिवार पंजीयन किये हुये कार्य स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है -

पंचायत समिति का नाम	पंजीयन कार्य की संख्या	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य	चालू नहीं/ निरस्त कार्य
लूणी	79	41	40	0	1
मण्डोर	22	3	10	3	0
बिलाडा	36	14	12	2	0
भोपालगढ़	57	34	34	0	0
औसियां	85	41	29	11	1
फलौदी	94	35	22	12	1
बाप	45	17	15	2	0
बालेसर	547	37	30	5	2
शेरगढ़	421	35	22	13	0
योग	**1386**	**267**	**214**	**48**	**5**

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) योजना शुरू होने से अब तक जोधपुर जिले की पंचायत समितियों को आबंटित बजट, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं शेष राशि की सूचना का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	पंचायत समिति	आबंटित बजट राशि	स्वीकृत राशि			व्यय राशि			शेष राशि		
		योजना मद	योजना मद	जन सहयोग	योग	योजना मद	जन सहयोग	योग	योजना मद	जन सहयोग	योग
1	लूणी	73.75	60.39	25.73	86.12	42.30	25.72	68.02	18.09	0.00	18.10
2	मण्डोर	48.62	31.85	13.84	45.69	20.55	13.84	34.39	11.30	0.00	11.30
3	बिलाडा	56.35	23.48	10.17	33.65	15.39	10.17	25.56	8.09	0.00	8.09
4	भोपालगढ़	72.99	101.25	34.50	135.75	89.80	34.50	124.30	11.45	0.00	11.45
5	औसियां	119.72	107.87	46.23	154.10	71.00	46.33	117.33	36.87	-0.10	36.77
6	फलौदी	71.79	65.41	28.41	93.82	42.13	28.41	70.54	23.28	0.00	23.28
7	बाप	52.17	33.01	14.15	47.16	27.05	14.15	41.20	5.96	0.00	5.96
8	बालेसर	74.89	43.25	20.54	63.79	29.07	20.53	49.60	14.18	0.01	14.19
9	शेरगढ़	55.79	45.16	19.95	65.11	27.54	19.95	47.49	17.62	0.00	17.62
	योग	626.07	511.67	213.52	725.18	364.83	213.60	578.43	146.84	-0.09	146.75

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) जी हां। जोधपुर जिले में उक्त योजना में जनभागीदारी की पूरी राशि पंचायत समितियों व जिला परिषद में जमा हुई है तथा स्वीकृति हेतु जमीन समर्पित कर तकनीकी स्वीकृति जारी कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे गये थे उनमें से 8 कार्यों को छोड़कर शेष सभी की वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। इन 8 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने से पूर्व प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकार द्वारा कार्यो की स्वीकृतियों पर रोक लगा दी गई थी। अत: इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हो सकी।

जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं उन्हें पूर्ण कराया जा रहा है तथा उनको इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय विचाराधीन है।

अग्निशमन केन्द्र जोधपुर की क्षमता का विस्तार

179. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में कितने अग्निशमन स्टेशन कहां-कहां स्थित हैं तथा उनमें अग्नि बुझाने वाले कितने अग्निशामक वाहन छोटे बड़े उपलब्ध हैं? उक्त वाहनों की संख्या तथा क्षमता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर में अग्निशमन वाहनों को पानी की रिफलिंग करने के लिए स्टेशन कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनकी पानी भरने की समय सीमा क्या है?

(3) क्या सरकार जोधपुर शहर के बढ़ते विस्तार को देखते हुए अग्निशमन स्टेशन की क्षमता बढाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में चार अग्निशमन केन्द्र मंडोर, नागौरी गेट, बासनी एवं शास्त्रीनगर में स्थित है। वाहनों की संख्या एवं क्षमता का विवरण निम्नानुसार है :-

स्टेशन	वाहन	क्षमता
नागौरी गेट	01 वाहन 01 वाहन 01 वाहन 02 वाहन	12000 लीटर 4500 लीटर 2000 लीटर 2500 लीटर

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

स्टेशन	वाहन	क्षमता
मंडोर	01 वाहन 01 वाहन	4500 लीटर 3000 लीटर
बासनी	01 वाहन 02 वाहन 01 वाहन	12000 लीटर 4500 लीटर 3600 लीटर
शास्त्रीनगर	01 वाहन 01 वाहन 01 वाहन	12000 लीटर 4500 लीटर 2000 लीटर

उक्त के अतिरिक्त 01 वाहन रीकों बोरानाडा को दिया हुआ है जिसकी क्षमता 2500 लीटर है। रीकों के पास बोरानाडा अग्निशमन केन्द्र पर 03 वाहन उपलब्ध हैं जिनकी क्षमता प्रत्येक की 4500 लीटर है।

(2) जोधुपर शहर में अग्निशमन वाहनों की पानी की रिफलिंग करने के लिये नागौरी गेट, बासनी एवं शास्त्रीनगर अग्निशमन केन्द्रों पर ही उपलब्ध है मंडोर अग्निशमन केन्द्र पर 20 हजार लीटर क्षमता का स्टोरेज टैंक उपलब्ध है तथा जलदाय विभाग से मसूरियां, रातानाडा, लालसागर एवं बासनी द्वितीय चरण से 24 घंटे अग्निशमन वाहनों की रिफलिंग की सुविधा उपलब्ध है साथ ही दुर्घटना स्थलों के आसपास निजी टयूबवैल सुविधा उपलब्ध होने पर उसका उपयोग किया जाता है।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

चाकसू विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर बांध से पेयजल/सिंचाई हेतु कार्य-योजना

180. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध का पानी राज्य में पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है? यदि हां, तो यह पानी राज्य के किन-किन जिलों में सिंचाई के लिए पेयजल के लिए और किन-किन जिलों में उपलब्ध करवाया जा रहा है?

(श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा)

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चाकसू में भी बीसलपुर बांध का पानी पेयजल और सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्षेत्र के किन-किन गांवों को पेयजल और किन-किन को सिंचाई के लिए?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा इस दिशा में विधान सभा क्षेत्र चाकसू हेतु कार्य योजना तैयार की गई है और उस पर अमल भी प्रारम्भ कर दिया गया हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों में क्या-क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिये गये और क्षेत्र को अब कब तक पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा? इस संबंध में तैयार कार्य योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बीसलपुर बांध से पेयजल हेतु अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक तथा जयपुर जिले में तथा सिंचाई हेतु टोंक जिले में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) बीसलपुर बांध से चाकसू विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई का कोई प्रावधान नहीं है। पेयजल हेतु बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना के द्वितीय भाग में चाकसू विधान सभा क्षेत्र में चाकसू तहसील के 238 व फागी तहसील के 84 कुल 322 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। पेयजल सुविधा से लाभान्वित होने वाले चाकसू विधान सभा क्षेत्र के गांवों की सूची परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां। चाकसू विधान सभा क्षेत्र में पेयजल मुहैया करवाने हेतु स्वीकृत बीसलपुर-दूदू परियोजना (प्रथम भाग) के तहत, ट्रांसमिशन प्रणाली की मुख्य पाईप लाइन चाकसू तक लगभग पूर्ण कर ली गई है। विधान सभा क्षेत्र, चाकसू के ग्रामों में अभी कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। इन ग्रामों को बीसलपुर-दूदू परियोजना के भाग द्वितीय, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार की जानी है, के तहत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अभी कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में प्रसवोत्तर चिकित्सा में सुधार

181. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्द लाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि एक निजी संस्था द्वारा किये सर्वेक्षण के अनुसार आदिवासी बाहुल जिला प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं डूंगरपुर में प्रसव के दौरान उपयुक्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण मौतें होती हैं ?

(2) सरकार द्वारा उक्त जिलों में प्रसव चिकित्सा की व्यवस्था कहां कहां की गई है व इस व्यवस्था में चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां व कब से रिक्त हैं? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? रिक्त पदों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षो में किसी निजी संस्था द्वारा एमएमआर के सम्बन्ध में सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(2) प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं डूंगरपुर जिलों में जिन चिकित्सालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव सुविधा उपलब्ध है एवं उन केन्द्रों में प्रसव चिकित्सा संबंधी चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त हैं के विवरण की सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर अथवा स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डी समिति, रामगंजमण्डी द्वारा निर्मित सड़कें

182. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

मण्डी समिति रामगंजमण्डी द्वारा गत 10 वर्षों में कितनी सड़कें बनाई गई तथा इनका माप क्या है एवं वर्तमान में मरम्मत की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मण्डी समिति रामगंजमण्डी द्वारा गत 10 वर्षों में 14 सड़कें बनाई गयी हैं। इनके माप 33.85 कि.मी. है एवं वर्तमान में मरम्मत की स्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

परिशिष्ट 'अ'

मण्डी समिति का नाम:- रामंगजमण्डी

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्मित लम्बाई (किमी)	व्यय	निर्मित वर्ष	वर्तमान में मरम्मत की स्थिति
1	स.स. चेचट से मदनपुरा	5.00	48.51	2000-01	विशेष मरम्मत की आवश्यकता
		0.50	3.94	2001-02	
2	स.स. सुकेत रोड से बीडमण्डी	1.10	8.63	2000-01	विशेष मरम्मत की आवश्यकता नहीं
3	स.स. सुकेत से सलावद	0.20	4.94	2001-02	मरम्मत की आवश्यकता
4	स.स. सुकेत से पीपाखेडी	2.40	24.28	2001-02	विशेष मरम्मत की आवश्यकता
5	स.स. सुकेत से कंवरपुरा	4.30	46.79	2000-01	पेच रिपेयर की आवश्यकता
6	स.स. रीछडिया ढाकिया वाया तमोलिया	4.60	60.41	2001-02	पेच रिपेयर की आवश्यकता
7	स.स. बुद्धखान से सालेरा कलां	3.00	35.01	2001-02	पेच रिपेयर की आवश्यकता
8	स.स. देवली कलां से सांडिया खेडी	0.90	14.94	2000-01	पेच रिपेयर की आवश्यकता
9	स.स. सालेरा खुर्द से मवासा	1.00	19.46	2001-02	पेच रिपेयर की आवश्यकता
10	सं.स. मोडक गांव से गणेशपुरा	4.00	43.97	1999-2000	पेच रिपेयर की आवश्यकता
11	सं.स. फण्दा	0.30	6.67	2001-02	पेच रिपेयर की आवश्यकता
12	स.स. सातलखेठ से पीपाखेडी	2.35	21.09	2005-06	पेच रिपेयर की आवश्यकता
13	सं.स. सांडिया खेडी से घाटोली	3.60	26.63	2005-06	पेच रिपेयर की आवश्यकता
14	स.स. ढाबादेह से असकली	0.60	10.01	2000-01	मरम्मत की आवश्यकता नहीं
	योग	**33.85**	**375.28**		

अरावली खनन क्षेत्र, अलवर में नियम विरुद्ध आबंटित खानें

183. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कुल कितने खनिज आबंटी हैं और कितने लोगों ने आबंटन हेतु आवेदन कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए कुछ आवंटियों को विशेषकर अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊंची खानें भी आवंटित की गई हैं? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत ?

(3) क्या सरकार 100 मीटर से ऊंची खानों के आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले का कार्य विभाग के खनि अभियंता, अलवर (तहसील बहरोड को छोड़कर) एवं सहायक खनि अभियन्ता, कोटपूतली में बंटा हुआ है। इन कार्यालयों के कार्य क्षेत्र में आबंटित खनन पट्टों एवं लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

कार्यालय	आबंटित खनन पट्टों की संख्या		लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	
	प्रधान	अप्रधान	प्रधान	अप्रधान
खनि अभियंता, अलवर	10	299	87	757
सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली	-	29	-	19
योग	10	328	87	776

(2) जी नहीं।

(3) चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जारी होने के उपरान्त अलवर जिले में कोई भी खनन पट्टा 100 मीटर से ऊंची अरावली पहाड़ी पर स्वीकृत नहीं किया गया है। अत: आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का डामरीकरण

184. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में गत सात वर्षों में किन-किन गांवों में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रेवल सड़कें बनाई गई, जिनका अभी तक डामरीकरण किया जाना शेष है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बनाई गई सड़कों का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के 200 की आबादी के कौने-कौन से गांव अभी तक सड़क योजना से नहीं जोड़े गये हैं तथा इन गावों को अब कब तक सम्पर्क सड़कों से जोड़ दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिछले सात वर्षों में 5 गांवों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत ग्रेवल सड़कों का निर्माण किया गया, जिनका अभी तक डामरीकरण किया जाना शेष है। जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर प्रस्तुत है।

(2) यह सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(3) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में जनगणना 2001 पर आधारित 500 एवं अधिक के आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रावधान है, न कि 200 की आबादी के गांवों को। इस विधान सभा क्षेत्र के जनगणना 2001 पर आधारित 500 तक की आबादी के सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जा चुका है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के 200 की आबादी के गांव जो अभी तक डामर सड़क से नहीं जोड़े गये हैं, की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। परिशिष्ट ''ब'' में अंकित विवरण के अनुसार नरेगा के अन्तर्गत इनमें से 5 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ा जा चुका है एवं शेष 21 गांवों को ग्रेवल सड़क से जोड़ने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इन ग्रेवल स्तर तक निर्मित निर्माणाधीन सड़कों का डामर स्तर तक निर्माण सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में पिछले सात वर्षो में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्रेवल सड़कों से जोड़े गये गांवों की सूची जिनका डामरीकरण शेष है

ब्लाक	क्र. सं.	गांव का नाम जिसे ग्रेवल सड़क से जोडा गया	जनगणना 2001 के अनुसार आबादी	योजना जिसके अन्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोड़ा गया	सड़क की लम्बाई (किमी)	व्यय राशि (लाखों में)	विशेष विवरण
राजसमंद	1	किशनपुरा	488	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	2.00	8.94	-
	2	करणपुरिया	334	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	3.00	13.38	-
	3	पाण्डोलाई	319	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	2.00	9.81	-
रैलमगरा	4	कानाखेड़ा	546	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	1.00	5.81	वर्ष 2007 में घोषित राजस्व गांव
	5	मण्डफिया खेडा	779	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	0.60	3.04	वर्ष 2007 में घोषित राजस्व गांव

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के 200 व अधिक आबादी वाले गांवों की सूची जो डामर सड़क से जुड़े नहीं है

क्र. सं.	गांव का नाम	जनसंख्या	वर्तमान स्थिति
पंचायत समिति राजसमंद			
1	किशनपुरा	488	ग्रेवल सड़क पूर्ण
2	खातीखेड़ा	481	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन

1	2	3	4
3	देवरीखेड़ा	475	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
4	डिप्टी	424	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
5	तरसिंगड़ा	421	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
6	खिमाखेडा	339	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
7	केरोट	335	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
8	करणपुरिया	334	ग्रेवल सड़क पूर्ण
9	पाण्डोलाई	319	ग्रेवल सड़क पूर्ण
10	जोधपुरिया	313	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
11	उम्मेदपुरा	297	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
12	देवगांव	277	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
13	चिन्तामणी का मादड़ा	270	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
14	दौलतपुरा	265	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
15	डाबला	259	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
16	केशव नगर	328	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
17	खेतों की भागल	241	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
18	झारना (2007 में घोषित राजस्व ग्राम)	572	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
पंचायत समिति रेलमगरा में विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के गांव			
1	दौलतपुरिया	470	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
2	गणेशपुरा	399	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
3	तारों का खेडा	262	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
4	वगतपुरा	227	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
5	माली खेडा	270	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
6	नारायणगंज (2007 में घोषित राजस्व ग्राम)	629	नरेगा में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन
7	काना खेड़ा (2007 में घोषित राजस्व ग्राम)	546	ग्रेवल सड़क पूर्ण
8	मण्डफिया खेड़ा (2007 में घोषित राजस्व ग्राम)	799	ग्रेवल सड़क पूर्ण

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रस्तावित अम्बेडकर पार्क, डीग की भूमि पर अतिक्रमण

203. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला भरतपुर की नगरपालिकाओं/नगर परिषद क्षेत्रों में हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार नगरपालिका डीग के वार्ड नं. 15 में प्रस्तावित अम्बेडकर पार्क में हो रहे अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के तहत नोटिस जारी कर समय-समय पर अतिक्रमण/कब्जा करने पर हटा दिये जाते हैं।

(2) नगरपालिका डीग, जिला भरतपुर के वार्ड नम्बर 15 में प्रस्तावित अम्बेडकर पार्क में अस्थाई अतिक्रमण है। वर्तमान में जिस पर न्यायालय से अन्तरिम स्थगन होने की स्थिति में अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका है। अन्तरिम स्थगन निरस्त कराने की कार्यवाही की जा रही है। स्थगन समाप्त होने पर अतिक्रमण हटा दिया जावेगा।

पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर की प्रस्तावित सड़कों में परिवर्तन

204. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर):-क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़क का कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में पृथ्वीराज नगर योजना की प्रस्तावित सड़कों में फेरबदल किया गया ? नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन सड़कों व सुविधा क्षेत्र में आने वाले भवन एवं भू-खण्डों के बदले में सरकार द्वारा पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) क्या यह सही है कि प्रस्तावित सड़कों के दोनों तरफ व्यवसायिक भू-पट्टी पर पूर्ण आबादी होने के कारण सरकार इसे विलोपित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी सड़कों को व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में मानचित्र के अनुमोदन के पश्चात सड़कों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इन सड़कों का निर्माण प्राधिकरण में वित्त संसाधनों की उपलब्धता, स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भूमि की उपलब्धता एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए करवाया जावेगा।

(2) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मास्टर विकास योजना 2011 में पृथ्वीराज नगर योजना में अजमेर रोड के उत्तरी क्षेत्र एवं अजमेर रोड के दक्षिणी क्षेत्र के प्लान में प्रस्तावित सड़कों में मौके पर हुए सघन निर्माण को देखते हुए फेरबदल प्रस्तावित किया गया है जिसमें निर्मित भवनों को यथासम्भव बचाते हुए प्लान तैयार किया गया है। राज्य सरकार के स्तर से नक्शा अभी अनुमोदित नहीं हुआ है।

(3) पृथ्वीराज नगर योजना का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है । प्रकरण में समस्त कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन ही की जानी अपेक्षिक्त है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

नागौर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

205. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका नागौर द्वारा गत 4 वर्षों में कितना व क्या-क्या विकास कार्य करवाया गया? क्या इन विकास कार्यों हेतु बोर्ड की अनुमति ली गई ? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि नागौर शहर में आर.यू.आई.डी.पी. योजना में सीवरेज लाईन स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा।

उत्तर

(1) नगरपालिका नागौर द्वारा गत 4 वर्षों में करवाये गये कार्यों एवं बोर्ड की अनुमति का तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) जी हां। नागौर शहर में सीवरेज लाइन के कार्य के लिये निविदाएं प्राप्त कर एशियन विकास बैंक को स्वीकृत हेतु भिजवाई गई हैं, स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जावेगा तथा कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 30 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत विकास कार्य

206. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास: - क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गत एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में स्वीकृत वे विकास कार्य, जिनके कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, परन्तु कार्य प्रारम्भ नही किए गए, को अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले एक वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 148 विकास कार्यों हेतु कार्यादेश दिए गए, जिनमें से 19 कार्यादेश अन्य/निजी सम्पत्ति के होने से निरस्त कर दिए गए थे एवं 10 कार्यदेश के कार्य प्रारम्भ नहीं किए थे, जो शीघ्र प्रारम्भ करवाये जा रहे हैं।

जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना हेतु दिये गये ठेके

207. श्री रमेश चन्द मीणा (सपोटरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना के कार्य हेतु कितने पैकेज बनाये गये ? इन पैकेज के कार्य शुरू करने एवं कार्य समाप्त करने की नियत तिथि क्या-क्या थी ?पैकेजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर-बीसलपुर परियोजना के अन्तर्गत जयपुर शहर के कार्य हेतु किस-किस कम्पनी को ठेका दिया गया ? क्या सभी कम्पनियों द्वारा कार्य समय पर पूर्ण कर दिया गया? यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जयपुर-बीसलपुर पेयजल परियोजना के ट्रांसफर भाग (जिसके अन्तर्गत बालावाला स्थित जलाशय गृह से जयपुर शहर के विभिन्न वितरण केन्द्रों पर पेयजल उपलब्ध करवाना है) पर

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्य किया जा रहा है। ट्रांसफर भाग के अन्तर्गत कुल 8 पैकेज बनाये गये हैं। इन पैकेजों के कार्य प्रारम्भ करने व समाप्ति की नियत तिथि का पैकेजवार विवरण परिशिष्ठ-''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण परिशष्ट- 'अ' में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नगर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र (डीग) की अपूर्ण पनघट योजना

208. श्रीमती अनिता सिंह (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में डीग तहसील के गांवों में पी.पी.सी. मीटिंग सं. 170 दिनांक 23 जून, 2006 के तहत राज्य सरकार द्वारा 14 पनघट योजनाएं स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो इनकी प्रगति क्या है एवं इन पर किस स्तर पर कार्य चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नगर की तहसील डीग के 9 गांवों हेतु पम्प एवं टैंक पेयजल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 170 दिनांक 23.06.2006 द्वारा जारी की गई। प्रगति विवरण निम्नानुसार है :-

जल योजनाओं का विवरण	योजनाओं की संख्या
आंशिक पूर्ण की जाकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है	1
कार्य प्रगति पर	4
स्त्रोत ग्राम के निवासियों द्वारा स्त्रोत निर्माण एवं निर्मित स्त्रोत चालू नहीं करने देने के कारण इनका क्रियान्वयन नहीं हो सका	2
पेयजल गुणवत्ता के संदर्भ में सही स्थानीय भू-जल स्त्रोत नहीं मिलने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका	2
योजनावार वांछित विस्तृत विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।	

परिशिष्ट 'अ'

नीति निर्धारण समिति की बैठक संख्या 170 दिनांक 23.06.2006 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, नगर की तहसील डीग के गांवों हेतु स्वीकृत पम्प एवं टैंक जल योजनाएं एवं इनकी प्रगति का विवरण

क्र. सं.	स्वीकृत योजना का नाम	प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. लाख में	तकनीकी स्वीकृति माह/वर्ष एवं राशि रु.	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्यों की प्रगति का विवरण	योजना पूर्ण करने की प्रस्तावित अवधि
1	हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक योजना, बन्धा चौथ	18.23	अक्टूबर, 2006, 15.53 लाख	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप-1 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन– 2 किमी.	नलकूप का निर्माण कर चालू कर दिया गया है। पी.एस.पी. से पानी उपलब्ध हो रहा है।	समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
2	पम्प एवं टैंक योजना, बेढम	43.32	नवम्बर, 2006, 35.70 लाख	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप– 3 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाईप लाइन– 7 किमी.	नलकूप एवं उच्च जलाशय का कार्य पूर्ण हो गया है। वितरण पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है।	अगस्त, 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक योजना, दांतलोठी	34.85	नवम्बर, 2007, 27.86 लाख	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप– 3 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन– 4 किमी.	एक नलकूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। विद्युत डिमाण्ड नोट की राशि जमा करा दी गई है।	संवेदक्द्वारा पूर्वमें कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। अब जून 2009 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
4	हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक योजना, गारोली	29.02	-	-	-	1. नलकूप-2 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन-4 किमी.	उचित गुणवत्ता का स्रोत नहीं मिलने के कारण योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।	-
5	पम्प एवं टैंक योजना, पास्ता	42.48	नवम्बर, 2006, 34.87 लाख	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप-2 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन-7 किमी.	स्त्रोत ग्राम धमारी में बनाये गये नलकूप को स्थानीय ग्रामवासियों के विरोध के कारण चालू नहीं किये जाने के कारण अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	पम्प एवं टैंक योजना, निगोही	26.96	नवम्बर, 2007, 22.15 लाख	-	-	1. नलकूप—2 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन-3 किमी.	स्त्रोत ग्राम बन्धा चौथ में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा नलकूप निर्माण में विरोध के कारण योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।	-
7	पम्प एवं टैंक योजना, नरैना चौथ	20.65	अक्टूबर, 2006, 17.82	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप-1 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन-2.7 किमी.	नलकूप का निर्माण उपरांत पाइप लाइन से जोड़कर पी.एस.पी. से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उच्च जलाशय का निर्माण कार्य शेष है।	दिसम्बर, 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	हैण्डपम्प योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक योजना, शीशवाड़ा	36.11	दिसम्बर, 2007, 29.09 लाख	29.11.2006	6 माह	1. नलकूप– 3 नग 2. उच्च जलाशय –1 नग 3. पाइप लाइन-4 किमी.	दो नलकूपों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। अन्य कार्य प्रगति पर है।	संवेदक द्वारा पूर्व में कार्य अधूरा छोड़ दिया गया था। अब जून, 2009 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।
9	क्षेत्रीय योजना से परिवर्तित पम्प एवं टैंक योजना, मवई	27.49	अक्टूबर, 2006, 22.65 लाख	-	-	1. नलकूप-1 नग 2. उच्च जलाशय-1 नग 3. पाइप लाइन–2.50 किमी.	उचित गुणवत्ता का स्त्रोत नहीं मिलने के कारण योजना के कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये।	-

पाली जिले में कृषकों को कृषि निर्माण कार्यों हेतु बजरी रायल्टी में छूट

209. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों को नाली निर्माण, चारदीवारी, पानी होद, पानी की टंकी तथा आवासीय मकान निर्माण के लिए बजरी पर रायल्टी एवं सेल टैक्स की छूट है? यदि हां, तो इस वर्ष पाली जिले में किसानों को कितने परमिट वितरित किये गये? ग्रामवारी संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों के लिए परमिट व्यवस्था में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दानदाताओं द्वारा स्कूल भवन, अस्पताल भवन एवं सरकारी भवानों के निर्माण के लिए भी बजरी पर रायल्टी एवं सेल टैक्स माफ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 58 के तहत खातेदारों को कृषि भूमि पर नाली निर्माण, पत्थर की चारदीवारी, पाली हौद, पानी की टंकी तथा आवासीय मकान निर्माण के लिए बजरी पर रायल्टी की छूट का प्रावधान है परन्तु सेल्स टैक्स (VAT) में कोई छूट नहीं है। पाली जिले में दिनांक 1.1.09 से 30.6.09 तक 20 परिमट जारी किये गये हैं। (सूची संलग्न)

(2) जी नहीं। परमिट व्यवस्था नहीं होने से रॉयल्टी संग्रहण में कठिनाई होगी।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के लिये स्कूल भवन, हास्पिटल भवन, जो दानदाताओं/आपसी सहयोग से बनाये जाते हैं, उनमें बजरी पर रायल्टी की छूट का प्रावधान है जिसमें संस्था प्रधान/सरपंच/प्रधान/डोनेशन/सहयोग से निर्माण करने का प्रमाण-पत्र पेश करने पर नियमानुसार परमिट फीस वसूल कर परमिट जारी किया जाता है। सेल्स टैक्स में कोई छूट देय नहीं है। सेल्स टैक्स (VAT) में कोई छूट देने का विचार नहीं है क्योंकि इससे राजस्व हानि होगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भादरा का कृष्णा जोगी हत्याकाण्ड प्रकरण

210. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भादरा में 12 वर्षीय लड़की कृष्णा जोगी हत्याकाण्ड के मुल्जिमों को हनुमानगढ़ पुलिस तीन महीने बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। भादरा में 12 वर्षीय लड़की कृष्णा जोगी हत्याकाण्ड के अज्ञात मुल्जिमों का अभी तक पता नहीं चला है। अज्ञात मुल्जिमों की तलाश हेतु घटना स्थल पर एफ.एस.एल. टीम द्वारा वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करवाया गया, डाग स्क्वाड से तलाश करवायी गई। संदिग्ध चौपहिया वाहनों के चालकों, घटना स्थल के आस-पड़ौसियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। घटनास्थल पर मिली बोरी व डोरी का ''डोर टू डोर'' सर्वे कर मालूम किया गया। संदिग्ध व्यक्तियों की मोबाईल काल डिटेल का विश्लेषण किया गया। मुखबिर मामूर किये गये एवं पड़ौसी राज्य हरियाणा की पुलिस का भी सहयोग लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ के नेतृत्व में तलाश हेतु गठित सात टीमों के द्वारा मुल्जिमों की गिरफ्तारी के प्रयास किये गये। वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सी.बी.) बीकानेर द्वारा अग्रिम अनुसंधान कर मुल्जिमान की तलाश जारी है।

तहसील छतरगढ़ के भूदान आबंटियों को खातेदारी

211. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छत्तरगढ़ में कितने भूदान आबंटियों को खातेदारी दे दी गई तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शेष आबंटियों को खातेदारी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की तहसील छत्तरगढ़ में कुल 4345 भूदान आबंटियों में से 3332 को खातेदारी दे दी गयी है। 1013 आबंटियों को खातेदारी दी जानी शेष है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। शेष रहे 1013 आबंटियों को खातेदारी अधिकार दिये जाने हैं। किन्तु निम्न कारणों से खातेदारी दी जानी जेरकार है:-

1. जमाबंदी में भू-दान आबंटियों की प्रविष्टियों में नाम, मुरब्बा नं. किला नं. व रकबा संबंधी भिन्नता होने के कारण।
2. भू-दान आबंटियों का जमाबंदी में अंकन जमाबंदी में रकबा नहीं होने से, पहले से प्रविष्टि अन्य के नाम होने से तथा दोहरा आबंटन होने के कारण।
3. भूदान आबंटियों के अंकन हेतु आवेदन नहीं करने से।

उपरोक्त प्रकार के शेष प्रकरणों के संबंध में राज. भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में 9 मई, 2008 को किये गये संशोधन के द्वारा सक्षम राजस्व अधिकारियों द्वारा पक्षकारों के प्रकरणों की सुनवाई कर विधिक रूप से खातेदारी देने के संबंध में निर्णय किये जा सकेंगे।

पटवार सर्किल बासेड़ा (टोंक) की चरागाह भूमि का किस्म परिवर्तन

212. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य तथा अधिकार निर्धारित किये हुए हैं ?यदि हां, तो इस बाबत जारी आदेश की प्रति सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला टोंक में गत भू-प्रबन्ध कार्यों के दौरान राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के बहाने तथा अन्य कारणों से खातेदारी अधिकारों को भी तब्दील किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की सूची सहित उन पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भू-प्रबन्ध के दौरान अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा की जाने एवं उन पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त प्रावधान के तहत सरकार द्वारा कितने प्रकरणों की जांच की जाकर निर्णय लिये गये तथा शेष की कब तक जांच की जाकर निर्णय ले लिए जाएंगे?

(श्री रामनारायण मीणा)

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत भू-प्रबन्ध कार्यों के दौरान विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये गये खातेदारी अधिकार तथा किस्म भूमि के बदलाव बाबत कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी के विरुद्ध कया-क्या कार्यवाही नहीं की गई तथा शेष प्रकरणों में कार्यवाही करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें

(5) क्या ग्राम गोविन्दपुरा पटवार सर्किल बासेडा तहसील टोडारायसिंह (टोंक) में स्थित चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन भी की गई है? यदि हां, तो किस कारण तथा किस अधिकार के तहत ? भू-प्रबन्ध अवधि के पूर्व के तथा पश्चात के रकबे एवं खसरा नम्बरान के मिलान क्षेत्रफल विवरण खसरा नम्बरान पृथक-पृथक पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त भूमि के रिकार्ड एवं स्वामित्व को यथावत किये जाने की कार्यवाही की जाकर इसके संबंध में दोषी रहे कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 के अध्याय-7 एवं 8 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य का निर्धारण किया हुआ है तथा राज्य सरकार के स्तर से भी परिपत्र दिनांक 23.5.94 एवं 2.9.05 जारी किये हुए हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) तहसील उनियारा में भू-प्रबन्ध संक्रियाएं प्रारम्भ करने हेतु अधिसूचना दिनांक 3.8.1970 तहसील देवली में दिनांक 28.2.1978 एवं तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 5.10.1983 को प्रसारित की गई थी। दौराने भू-प्रबन्ध काश्तकारान से अनियमितता संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थीं1 जो शिकायतें साधारण थी। उन्हें उसी समय निस्तारित कर दिया गया। लेकिन जो शिकायतें रेकार्ड के आधार पर गम्भीर थी, उनके संबंध में अनियमितता करने वाले 13 कर्मचारियों पर सीसीए नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर 11 प्रकरणों में निर्णय पारित किये जा चुके हैं। शेष 2 प्रकरण विचारधीन हैं। प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

साधारण प्रकृति के प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के पश्चात बीड आउट कर दिये जाने से उन प्राप्त शिकायत प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(3) भू-प्रबन्ध के दौरान अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित कोई भी प्रकरण निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(5) तहसील टोडारायसिंह के ग्राम गोविन्दपुरा के भू-प्रबन्ध विभाग के रेकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में कुल किता 23 रकबा 17.16 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह दर्ज है तथा सैटलमेन्ट से पूर्व साबिक जमाबन्दी संवत 2038-41 के खाता संख्या-119 में कुल किता-5 रकबा 67.2009 बीघा चरागाह भूमि दर्ज है। परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(6) जिले की तहसील टोडारायसिंह के ग्राम गोविन्दपुरा की चरागाह भूमि को भू-प्रबन्ध विभाग के रेकर्ड अनुसार साबिक के मुकाबले हाल रेकार्ड में यथावत रखा गया है।

(प्रतियां आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व कार्यालयों में रिक्त पद

213. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की विभिन्न तहसीलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पद एवं कितने पद कब से रिक्त हैं, की तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में आयोजित पटवार परीक्षा (सीधी भर्ती) में सफल आशार्थियों को 9 माह का पटवार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरान्त उत्तीर्ण आशार्थियों को पटवारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जायेगी।

अन्य रिक्त पदों को नियमानुसार शीघ्र भरने की कार्यवाही हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट 'क'

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विभिन्न तहसीलों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

तहसील सहाड़ा

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद की दिनांक
तहसीलदार	1	1	-	-
ना. तहसीलदार	1	1	-	-
तहसील राजस्व लेखाकार	1	-	1	23.8.2007
वरिष्ठ लिपिक	2	1	1	31.5.2009 सेवानिवृत्ति से
कनिष्ठ लिपिक	3	3	-	-
च. श्रे. कर्म.	13	13	-	-
भू-अभिलेख तहसील सहाड़ा				
आ. कानूनगो	1	1	-	-
अति. कानूनगो	1	1	-	-
भू.अ.नि.	3	3	-	-
पटवारी	31	26	5	1. नेगडियाखेडा-15.7.2006 2. नान्दशा-31.7.2007 3. सातलियास-31.7.2007 4. चावण्डिया– 25.2.2009 5. लि.रि. 31.7.07
क. लिपिक	1	-	1	
च.श्रे. कर्म.	3	3	-	-
तहसील रायपुर				
तहसीलदार	1	1	-	-
ना. तहसीलदार	1	1	-	-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद की दिनांक
तहसील राजस्व लेखाकार	1	-	1	13.6.06
प्रवर्तन निरीक्षक	1	-	1	1.1.07
वरिष्ठ लिपिक	2	2	-	-
कनिष्ठ लिपिक	3	3	-	-
च.श्रे. कर्म.	13	9	4	जनवरी, 2008
भू अभिलेख तहसील रायपुर				
आ. काननूगो	1	-	1	31.07.07
अति. कानूनगो	1	1	-	-
भू.अ.नि.	2	1	2	1– रायपुर– 31.7.07 2-मोखून्दा– 28.6.08
पटवारी	26	16	10	1-बागड—16.1.2006 2-बकाण—31.7.2007 3-नाहरी-1.7.2006 4-सरेवडी-16.7.2005 5-आशाहोली—26.6.2008 6-पालरा—28.6.2008 7-कोट—28.6.2008 8-मोखुन्दा—25.2.2009 9—रायपुर—25.2.2009 10-गलवा-25.2.2009
च.श्रे. कर्म.	4	2	2	जनवरी 2006
तहसील भीलवाड़ा (आंशिक)				
भू.अ.नि.	2	2	-	-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिक्त पद की दिनांक
पटवारी	21	9	12	1-बरडोद– 31.7.2007 2– बिलियाकलां-31.7.2007 3-दुडिया-15.7.2007 4-गुरला-18.8.2007 5-कोचारिया– 31.7.2007 6-ओज्याडा—26.7.2006 7-हमीरगढ़-II19.2.2009 8-रामपुरिया– 15.7.2006 9-तिलोली-15.7.2005 10-दरीबा-19.2.2005 11-गून्दली-19.2.2009 12-जागदरी-25.2.2009
उपखण्ड कार्यालय गंगापुर				
उपखण्ड अधिकारी	1	1	-	-
शीघ्र लिपिक	1	-	1	16.2.2002
प्रवर्तन निरीक्षक	1	-	1	4.7.2008
का. सहायक	1	-	1	30.6.2006
व. लिपिक	1	-	1	23.8.2007
क. लिपिक	1	1	1	2.3.2009
च.श्रे. कर्म.	1	1	-	-
निर्वाचन				
व. लिपिक	1	1	-	-
च.श्रे. कर्म.	1	1	-	-

उपयोजना क्षेत्र के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

214. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

उपयोजना क्षेत्र में 250 तक की आबादी वाले मजरे ढाणियां, जो कि राजसव ग्राम घोषित नहीं हुए हैं, को राजस्व ग्राम घोषित कराये जाने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यावाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उप योजना क्षेत्र में 250 तक की आबादी वाले मजरे ढाणियां निम्नानुसार हैं :-

नाम जिला	मजरे/ढाणियों की संख्या
बांसवाड़ा	25
उदयपुर	7
चित्तौड़गढ़	0
सिरोही	0
डूंगरपुर	0
प्रतापगढ़	0

जिला बांसवाड़ा के 2 प्रकरण जिला कलक्टर बांसवाडा के स्तर पर परीक्षणाधीन हैं तथा 23 प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा संबंधित तहसीलों से प्रस्ताव चाहे गये हैं।

जिला उदयपुर के 7 प्रकरण जिला कलक्टर उदयपुर के स्तर पर परीक्षणाधीन है।

निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त होने पर नियमानुसार राज्य स्तर से अधिसूचना जारी की जाती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उप योजना क्षेत्र में 200 तक की आबादी वाले मजरे/ढाणियों को भी नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने का प्रावधान है।

कृष्ण मृग अभयारण्य, छापर (रतनगढ़) के हिरणों की प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा हेतु कार्य-योजना

215. श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(श्री राजकुमार रिणवां)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कस्बा छापर स्थित कृष्ण मृग अभयारण्य में गत दिनों हुई तूफानी वर्षा के कारण बड़ी संख्या में काले हिरणों की मृत्यु हो गई? यदि हां, तो कुल कितने हिरणों की मृत्यु हुई तथा कितने हिरण घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या हिरणों के मरने की मेडिकल जांच या अन्य कोई जांच करवाई गई? यदि हां, तो इतनी बड़ी तादात में हिरणों के मरने का मुख्य कारण क्या रहा तथा भविष्य के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें1

(3) क्या सरकार द्वारा छापर के काले हिरणों की प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा के लिये कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अभ्यारण्य में वर्तमान में कुल कितने नर, मादा एवं छोटे (बच्चे) हिरण हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तालछापर अभयारण्य में गत दिनों हुई तूफानी वर्षा एवं ओलों की वजह से 75 हिरणों की अकाल मौत हुई है। इनके अलावा और कोई हिरण घायल नहीं हुआ था1

(2) तालछापर अभयारण्य में तूफानी वर्षा के कारण मारे गये हिरणों की मेडिकल जांच कराई गई। कृष्ण मृग तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश एवं ओलों के कारण दहशत, शाक एवं डर की वजह से मारे गये। हिरणों की मृत्यु अकस्मात प्राकृतिक आपदा के कारण हुई थी जिन पर मानवीय नियंत्रण नहीं हो सकता।

(3) तालछापर में इस वर्ष जैसा भीषण तूफान, तेज बारिश एवं ओलावृष्टि सामान्यत: नहीं आता है। इस प्रकार की विपत्ति अप्रत्याशित थी, परन्तु विभिन्न कारणों से घायल हिरणों के बचाव हेतु एक रेसक्यू सेंटर तालछापर अभ्यारण्य में बनाया गया है। घायल हिरणों का उपचार स्थानीय पशु चिकित्सकों की देखरेख में किया जाता है।

(4) अभयारण्य में वर्तमान में अनुमानत: 667 नर, 838 मादा व 330 छोटे बच्चे हैं।

सीता माता वन्य अभयारण्य बड़ी सादड़ी को नेशलन पार्क में परिवर्तन हेतु अभिशंसा

216. **श्री प्रकाश चन्द चौधरी** (बड़ी सादड़ी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी का सीतमाता वन्य अभ्यारण्य 'नेशनल पार्क' बनाये जाने के सभी मानदण्ड पूर्ण करता है? यदि हां, तो यहां उपलब्ध मानदण्डों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को विकसित कराते हुए इसे सीतामाता नेशनल पार्क घोषित कराने की कार्यवाही कर इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार को प्रस्ताव, अभिशंषा भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) नेशनल पार्क घोषित करने के लिये कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं। सीतमाता अभ्यारण्य में 20 से अधिक गांव बसे हुये हैं तथा 1000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। वहां के पशुधन वहीं चराई करते हैं। यदि सीतामाता अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया जाता है तो सभी गांवों को विस्थापित करना होगा तथा सम्पूर्ण रूप से क्षेत्र को चराई निषिद्ध करना होगा। अत: सीतामाता अभ्यारण्य को नेशनल पार्क घोषित किया जाना व्यावहारिक नहीं होगा।

(2) जी नहीं।

बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (कोटा) का संचालन

217. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्तमान में कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं और उनका संचालन कौन कर रहा है? इनमें से कितनी चालू व कितनी बन्द हैं?

(2) क्या भविष्य में सरकार और लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कहां-कहां?

(3) क्या यह भी यह सही है कि सरकार ने लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का संचालन किसानों द्वारा निर्वाचित सहकारी समितियों से लेकर सी.ए.डी. को देने का निर्णय लिया है?

(4) क्या सही है कि कोटा जिले की बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को भी सी.ए.डी. को देने का निर्णय ले लिया गया है?

उत्तर

(1) राज्य में जल संसाधन विभाग के अधीन 29 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं। उनमें से 22 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है तथा शेष 7 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का संचालन कृषक सहकारी समिति द्वारा किया जा रहा है। उक्त में से 23 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं तथा 6 बन्द हैं।

(2) जी हां। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कोटा जिले में किशनपुरा लिफ्ट लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा बारां जिले में रकसपुरा एवं दीपपुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

218. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां-कहां स्थित हैं?

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों/मेल नर्स/फिमेल नर्स के कुल कितने पद स्वीकृत हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में स्टाफ की कमी है? यदि हां, तो किस-किस चिकित्सालय में कौन-कौन से कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेहरोड़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के नामों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों/ नर्स श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय के स्वीकृत पदों की संस्थानवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत हैं।

(3) जी नहीं, उक्त चिकित्सालयों में रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत हैं।

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने अथवा स्थानान्तरण पर से

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स द्वितीय के रिक्त पद को भरने हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है जिसके पश्चात योग्य अभ्यार्थियों का चयन कर रिक्त पद को भरने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत आने वाले किचिकित्सा संस्थानों के नाम एवं उनमें चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़	चिकित्सक	13	11	2	8/08 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) 12/07 ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी
	नर्स श्रेणी प्रथम	6	11	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	16	16	-	-
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांढण	चिकित्सक	5	3	2	7/07 कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी), वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
	नर्स श्रेणी प्रथम	1	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	6	-	

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बडौद	चिकित्सक	5	5	-	
	नर्स श्रेणी प्रथम	3	3	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	5	5	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतपुरा	चिकित्सक	1	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गण्डाला	चिकित्सक	2	2	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तसींग	चिकित्सक	1	1	-	
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जखराना	चिकित्सक	1	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मांजरीकलां	चिकित्सक	1	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	1	1	7/07
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माजरा	चिकित्सक	1	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	1	-	-
ग्रामीणपरिवार कल्याण केन्द्र कायला	चिकित्सक	1	-	1	6/09 ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जागूवास	चिकित्सक	1	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिटेडा	चिकित्सक	1	1	-	-
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2	-	-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, कोहराना	चिकित्सक	1	-	1	6/09 ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी

उक्त के अलावा इस विधान सभा क्षेत्र में 54 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। प्रत्येक में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का एक-एक पद स्वीकृत है। इनमें एक भी पद रित नहीं हैं। 54 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम निम्न प्रकार हैं :-

उप स्वास्थ्य केन्द्र, ढुंढारिया, बसई, खोहरी, बूढवाल, खरकडा, गादोंज, नांगल खोडिया, जटगांवडा, अनन्तपुरा, भगवाडी खुर्द, हमीदपुर, चांदीचाना, महाराजावास, ऊटौली, तलवाना, दौसोद, मेहतावास, गिगलाना, विजयनगर, हुडियाकलां, परतापुर, बीरनवास, बसई भोपालसिंह, नानगवास, खुदरोठ, कान्हावास, डूमरोली, नारेडाखुर्द, अकलीमपुर, नायसराना, खौहर, गूंती, कांकर छाजा, शेरपुर, नांगलिया, गुर्जरवास, मोहम्मदपुर, गोकुलपुर, रामसिंहपुरा, सोरबा, खातनखेडा, दहमी, गोलावास, सातो, जेनपुरवास, माचल, रिवाली, पहाड़ी, कारोड़ा, काकरदोपा, ढीस, बिचपुरी, काठूवास, रोड़वाल।

नागौर शहर में जनसंख्या अनुसार चिकित्सालय की स्थापना

219. श्री हबीबुर्रहमान (नागौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नागौर की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर वहां 300 बैड का चिकित्सालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजकीय जिला चिकित्सालय, नागौर में 150 शैय्याऐं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं की वर्ष 2008 में मात्र 33.05 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए उक्त चिकित्सालय की शैय्याओं में वृद्वि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

चौमूं बाईपास का निर्माण कार्य

220. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-रींगस राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 पर डिवाइडर नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? यदि हां, तो

(श्री भगवान सहाय सैनी)

क्या सरकार उक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जयपुर-रींगस मार्ग पर फोर लेन डिवाइडर रोड निर्मित करवाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चौमूं बाइपास के निर्माण के लिये जमीन अधिग्रहण कर ली गई है? यदि हां, तो कब व कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह पूर्ण रूप से सही नहीं है कि जयपुर-रींगस एन.एच. 11 पर डिवाइडर नहीं होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। न तो आये दिन दुर्घटनाऐं होती हैं और कभी जो दुर्घटनाऐं होती हैं उनका केवल डिवाइडर का न होना ही कारण नहीं है।

जयपुर-रींगस मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तृतीय चरण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त सूचना के आधार पर यह उल्लेख है कि इस कार्य हेतु निविदाऐं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा की स्वीकृति के पश्चात् उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं।

(2) जी हां। सरकार द्वारा चौमूं बाइपास के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण कर ली गई हैं। जिसका दिनांक 5.12.1998 एवं 22.02.2000 को अवार्ड पारित किया गया जिसमें कुल क्षेत्रफल 55.86 हैक्टेयर जमीन अवाप्त की गई।

चौमूं बाइपास का निर्माण कार्य भी जयपुर-रींगस के चार लेन कार्य की परियोजना में सम्मिलित है। अत: यह कार्य भी भा.रा.रा.प्रा. द्वारा उपरोक्तानुसार निविदाऐं स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।

ब्यावर-उदयपुर मेगा हाइवे का चार लेन में क्रमोन्नयन

221. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 8 ब्यावर से उदयपुर वाया भीम मेगा हाइवे पर होने वाली दुर्घटनाओं एवं दुर्गम पहाड़ियां तथा अत्यधिक वाहनों की संख्या को देखते हुये इसे चार लेन में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ब्यावर से उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कार्यवाही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जा रही है। प्रथम चरण में ब्यावर से गोमती चौराहा तक की सड़क को तीन लेन करने हेतु बी.ओ.टी. परियोजना के तहत कार्यादेश दिये जा चुके हैं। उद्यमी द्वारा विभिन्न प्रारम्भिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं तथा माह नवम्बर, 2009 तक कार्य पूर्ण गति से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

गोमती चौराहा से उदयपुर तक की सड़क के चौड़ाइकरण हेतु सर्वे का कार्य किया जा चुका है तथा इस कार्य को भी बी.ओ.टी. परियोजना के अन्तर्गत किये जाने की सम्भावना भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही है।

तारानगर के धार्मिक स्थलों के सड़क निर्माण कार्य

222. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तारानगर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्याम पाण्डिया को सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु स्वीकृत सड़क के 500 मीटर के निर्माण कार्य को वन विभाग द्वारा रूकवा दिया गया हैं? यदि हां, तो स्वीकृत कार्य को पुन: प्रारम्भ कराये जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि तारानगर के ग्राम साहवा में ननकाना गुरूद्वारा तक एवं गांव लाम्बा की ढ़ाणी (डींगी) में स्वीकृत सड़क कार्य संवेदक द्वारा बीच में रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? सरकार रूके हुए कार्य को पुन: चालू कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या सरकार संवेदक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व क्या?

उत्तर

(1) जी हां। तारानगर में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्याम पाण्डिया को सड़क मार्ग से जोड़े जाने हेतु स्वीकृत सड़क के शेष 500 मीटर के निर्माण कार्य को वन क्षेत्र में होने के कारण वन विभाग द्वारा रूकवा दिया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्तावों के संदर्भ में कुछ सूचना चाही है जिसे वन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही यह कार्य करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। तारानगर के ग्राम साहवा में नानकाना गुरूद्वारा तक सड़क कार्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार कटानी रास्ता उपलब्ध न होने के कारण अभी तक प्रारम्भ ही नहीं कराया जा सका है। संबंधित काश्तकारों से इस सड़क निर्माण हेतु आवश्यक भूमि स्वेच्छा से उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं ताकि सड़क निर्माण प्रारम्भ कराया जा सके। इस सड़क निर्माण कार्य के अब तक प्रारम्भ न कराये जाने के लिये संवेदक उत्तरदायी नहीं है, अत: उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

गांव लाम्बा की ढाणी (ढ़िंगी) से ढाणा पट्टा राजपुरा तक स्वीकृत सड़क का कार्य संवेदक द्वारा बीच में नहीं रोका गया है। इस स्वीकृत सड़क की कुल लम्बाई 3.5 कि.मी. है। जिसमें से 3.1 कि.मी. में डामर सड़क व 0.4 कि.मी. में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क बनाने का प्रावधान है। स्वीकृत के अन्तर्गत 0.4 कि.मी. में सीमेंन्ट कंक्रीट सड़क व 2.6 कि.मी. में डामर सड़क का निर्माण संवेदक द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। शेष 0.5 कि.मी. लम्बाई में पंचायत द्वारा बनवाया हुआ ईंटों का खुर्रा अच्छी स्थिति में है, अत: उसे उखाड़कर डामर सड़क का निर्माण कराने की आवश्यकता नहीं है। अत: इस 0.5 कि.मी. की डामर सड़क न बनाने के लिये संवेदक जिम्मेदार नहीं है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

223. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई की कौन-कौन सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कब तक करवाने का विचार रखती है ?यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई की वर्तमान में क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण परिशिष्ट- ''अ'' में प्रस्तुत है।

(2) परिशिष्ट ''अ'' में क्रम संख्या 1 से 5 पर अंकित सड़कों की निर्धारित नार्म्स के अनुसार नवीनीकरण इस वर्ष अपेक्षित नहीं है। इनका नवीनीकरण राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं नवीनीकरण के

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

नार्म्स में आने पर निर्भर करेगा, परन्तु इन सड़कों पर पेच मरम्मत का कार्य माह नवम्बर 2009 तक पूर्ण करा दिया जावेगा। क्रम संख्या 6 पर अंकित सड़क पर नवीनीकरण वर्ष 2009-10 में कराने का लक्ष्य है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सड़क का नाम	श्रेणी	लम्बाई (कि.मी.)	गत नवीनीकरण का वर्ष	मरम्मत/सुधार हेतु जारी स्वीकृति का विवरण		कार्य पूर्ण कराने की सम्भावित तिथि
					कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	
1	गहलोद/ जवाली नानेर सड़क कि.मी. 0/0 से 24/0	ओ.डी. आर.	24.00	2001	पेच मरम्मत कार्य	1.00	माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
2	झिराना पासरोटिया सडक कि.मी. 0/0 से 7/0	वी.आर.	7.00	2001	पेच मरम्मत कार्य	0.75	माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
3	डारडातुर्की से बगडी सड़क कि.मी. 0/0 से 7/0	वी.आर.	7.00	2002	पेच मरम्मत कार्य	1.00	माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
4	पीपलू राणोली कठमाना सड़क कि.मी. 0/0 से 24/0	ओ.डी.आर.	24.00	2002	पेच मरम्मत कार्य	0.50	माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
5	राणोली नवरंगपुरा सड़क कि.मी. 0/0 से 8/200	वी.आर.	8.20	2002	पेच मरम्मत कार्य	0.75	माह नवम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।
6	बहड़ से जिला सीमा तक (सवाईमाधोपुर) सड़क कि.मी. 0/0 से 1/500	वी.आर.	1.50	1996	पेच मरम्मत कार्य	8.00	वर्ष 2009-10 में कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

दीपावास बांध, रायपुर से सोजत विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों को पेयजल आपूर्ति

224. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दीपावास (रायपुर) बांध से विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर की 12 पंचायतों को पेयजल योजना से जोड़ा गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा निविदा/कार्यादेश भी जारी किये जा चुके हैं? यदि हां, तो कार्य शुरू नहीं होने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दीपावास (रायपुर बांध) से रायपुर तहसील के 18 गांवों की पुनर्गठित क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, पीपलिया कलां की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एम्पावर्ड बोर्ड समिति द्वारा दिनांक 26.12.2005 को राशि रु. 1507.95 लाख की जारी की गई। इस योजना में सम्मिलित कुल 18 गांवों में से, विधान सभा क्षेत्र सोजत की 9 ग्राम पंचायतों के 17 ग्राम सम्मिलित हैं।

योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा/कार्यादेश अभी जारी नहीं हुए हैं।

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

225 डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में वर्ष 2008-09 में कितने बी.पी.एल परिवारों द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया व उसमें से कितने कनेक्शन कब-कब जारी किये गये? शेष परिवारों को सरकार कब तक घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? जारी कनेक्शन के लाभार्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में वर्ष 2008-09 में 1477 बी.पी.एल. परिवारों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया था। इनमें से 1323 परिवारों को

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष 154 परिवारों को निगम द्वारा नियमानुसार आबादी भूमि एवं तकनीकी रूप से साध्य होने पर वित्तीय वर्ष 2009-10 में विद्युत कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है।

जारी किये गये वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में वर्ष 2008-09 में बी.पी.एल. परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों का माहवार विवरण

क्र. सं.	माह	कुल दिये गये विद्युत कनेक्शनों की संख्या
1	मई, 2008	44
2	जून, 2008	35
3	जुलाई, 2008	71
4	अगस्त, 2008	46
5	सितम्बर, 2008	130
6	अक्टूबर, 2008	315
7	नवम्बर, 2008	144
8	दिसम्बर, 2008	38
9	जनवरी, 2009	107
10	फरवरी, 2009	44
11	मार्च, 2009	349
	कुल	**1323**

धौलपुर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन

226. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में सामान्य और अनुसूचित जाति श्रेणी के सभी व्यक्तियों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये

(श्री अब्दुल समीर खां)

गये है? यदि नहीं, तो उक्त श्रेणियों के कितने लोगों के कनेक्शन दिए जाने शेष हैं व इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में दिनांक 30.6.2009 तक सामान्य कृषि श्रेणी के कुल 323 आवेदन पत्र लम्बित हैं जिनमें से दिनांक 31.12.2007 तक के 268 व दिनांक 31.12.2007 से दिनांक 30.6.2009 तक के 55 आवेदन लम्बित हैं तथा अनुसूचित जाति के 20 आवेदन लम्बित हैं।

वर्ष 2009-10 में दिनांक 31.12.2007 तक के आवेदित सामान्य कृषि श्रेणी के कनेक्शनों के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पालना में दिनांक 31.12.2007 तक के कुल लम्बित आवेदित पत्रों के 50 प्रतिशत के मांग पत्र अप्रैल 2009 में जारी कर दिये गये हैं तथा शेष 50 प्रतिशत के मांग पत्र दि. 15.9.2009 से दि. 30.9.2009 तक जारी किये जावेंगे। जिनकी मांग पत्र की राशि जमा हो जायेगी उन्हें माह मार्च 2010 तक जारी कनेक्शन दे दिये जायेंगे। शेष रहे दिनांक 1.1.2008 से 30.6.09 के बकाया आवेदकों को वर्ष 2010-11 में मांग पत्र जारी करके वर्ष 2010-11 में कनेक्शन देना प्रस्तावित है।

अनुसूचित जाति के दिनांक 15.4.2009 तक आवेदकों के अप्रैल, 2009 में मांग पत्र दिये जा चुके हैं। मांग पत्र जमा होने पर इसी वित्तीय वर्ष में कनेक्शन जारी कर दिये जावेगे।

सहायक अभियन्ता, जायल (नागौर) द्वारा जारी विद्युत कनेक्शन

227. श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सहायक अभियंता कार्यालय जायल (नागौर) द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक कुल कितने कनेक्शन यथा; कृषि घरेलू औद्योगिक जारी किये गये? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नागौर वृत के सहायक अभियंता कार्यालय जायल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक कृषि श्रेणी में 43, घरेलू श्रेणी में 1945 तथा औद्योगिक श्रेणी में 8 विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

228. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के बी.पी.एल. परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है? यदि हां, तो कितना?

(2) लक्ष्य के अनूरूप अब तक कितने परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं तथा कितने परिवारों को दिया जाना शेष है तथा उन्हें कब तक कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में आबादी क्षेत्र/गैर आबादी क्षेत्र समस्त ढाणियों के कुल 17,49,818 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना सम्मिलित हैं। जिलेवार/योजनावार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में आबादी क्षेत्र के बीपीएल घरेलू विद्युत कनेक्शनों के प्रस्तावित लक्ष्यों में से माह जून 2009 तक राज्य में कुल 535887 नि:शुल्क कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा 563465 कनेक्शन स्वीकृति विद्युत तंत्र से किया जाना सम्भव हो सकेगा। इन बी.पी.एल. कनक्शनों को वर्ष 2010-11 तक किया जाना प्रस्तावित है।

100 आबादी से अधिक की ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु 17 पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं जिनमें 2,72,432 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना सम्मिलित है बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. को स्वीकृति हेतु भिजवा दी गयी है। 16 पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाऐं बनायी जा रही हैं। जिनमें लगभग 2 लाख बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना प्रस्तावित है। इन पूरक योजनाओं के स्वीकृत होने पर लगभ्ग 4,72,000 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना सम्भव हो सकेगा। लगभग 1,78,000 बी.पी.एल. परिवार जो गैर आबादी क्षेत्रों व 100 आबादी से कम वाली ढाणियों में रहते हैं, के लिये फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के विद्युत कार्यालयों में रिक्त पद

229. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के पद स्वीकृत तथा कितने पद रिक्त हैं?

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाडा में कुल 242 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 4 पद अधिकारियों के स्वीकृत हैं इनमें से कोई पद रिक्त नहीं है तथा 238 पद कर्मचारियों के स्वीकृत है इनमें से 63 पद रिक्त हैं।

(2) राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

अक्षय ऊर्जा योजनान्तर्गत ग्राम गंगापुर की रोही (बीकानेर) में सौर उर्जा प्लेटों की चोरी

230. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा के अन्तर्गत किस प्रकार के स्त्रोत विकसित किये गये हैं तथा सौर ऊर्जा, गोबर गैस प्लांट आदि की क्या कार्य योजना है व कितना-कितना अनुदान देय है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के ग्राम गंगापुर की रोही में सौर ऊर्जा द्वारा ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया था तथा मुख्य स्थल से तत्काल ही सौर उर्जा की बडी प्लेंटे चोरी हो गई ?यदि हां तो इसकी स्थापना कब हुई व देख-रेख की जिम्मेदारी किसकी थी व इस संबंध में सरकार द्वारा किस कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा पुलिस में मुकदमा कब दर्ज करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अक्षय ऊर्जा के स्त्रोंत के रूप में निम्न प्रकार के स्त्रोत विकसित किये गये हैं:-

1. पवन ऊर्जा

(ऊर्जा मंत्री)

2. सौर ऊर्जा

3. बायोमास ऊर्जा

सौर ऊर्जा के अन्तर्गत घरेलू लाइटिंग सिस्टम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रु 4550/- प्रति सिस्टम अनुदान देय है जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण (प्रदर्शन) कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। यह योजना दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो गई है।

राज्य सरकार द्वारा भी रु. 4550/- प्रति सिस्टम अनुदान देय है जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। इस कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में रु. 97.00 लाख का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा गोगर गैसें प्लान्ट की योजना क्रियान्वित नहीं की जाती।

(2) जिला बीकानेर की कोलायत तहसील के ग्राम गंगापुर की रोही में सौर ऊर्जा द्वारा ढाणियों का कोई विद्युतीकरण नहीं किया गया है। कोलायत तहसील में सिर्फ एक गांव चक-5 ही सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतिकृत किया गया है।

प्रतापगढ़ जिले में महिला उद्यमियों को स्वीकृत ऋण

231. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि राज्य में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 25 हजार रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2008-09 में जिला प्रतापगढ में कितनी महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया, ? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह भी बतायें कि इनमें कितनी महिलाएं अनुसूचित जाति/जनजाति की हैं?

उत्तर

जी हां। प्रतापगढ़ जिले में भूमि विकास बैंक लि. प्रतापगढ़ के माध्यम से वर्ष 2008-09 में 20 महिलाओं को कुल 3.35 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की 17 महिलाएं सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायतवार एवं तहसीलवार ऋण वितरण की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

232. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद उक्त क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये आगंनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहें हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से आंगनबाड़ी कहां-कहां व किराये या अन्य संस्थानों के भवनों में संचालित है? क्या सरकार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये राजकीय भवन बनाने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय के 140 एवं दूदू परियोजना के 76 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 4 मिनी आगंनबाडी केन्द्र संचालित हैं। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कुल 216 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 4 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी मानदेय आधार पर कार्य हेतु रखी जाती हैं। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर केवल कार्यकर्ता मानदेय आधार पर कार्य हेतु रखी जाती है। स्वीकृत पदों में से आंगनबाड़ी केन्द्रवार रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्दों पर स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयिका एवं आशा सहयोगिनी के पदों के लिए मानदेय आधार पर निर्धारित पात्रता रखने वाली महिलाओं के चयन का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। रिक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान रिक्त पदों को भरने के लिए आगामी ग्राम सभाओं में कार्यवाही प्रस्तावित है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2004 के बाद विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में 48 आंगनबाडी केन्द्र तथा 4 मिनी आंगनबाडी केन्द्र खोले गये है। सूची परिशिष्ट-3 पर सलंग्न है।

(4) जीं हां। राज्य परिवर्तित बजट भाष्ण 2009-10 में नवीन आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाडी केन्द्र खोल जाना प्रस्तावित किया गया है। इनमें से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के अंतर्गत आने वाली परियोजना सांभर के लिए 60 आंगनबाड़ी एवं 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र तथा परियोजना दूदू के लिए 11 मिनी आंगनबाडी केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। परिवर्तित बजट के राज्य विधान सभा से स्वीकृति होने के पश्चात् सक्षम स्वीकृति जारी होने पर नवीन आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने हेतु स्थान निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(5) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 16 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों, 89 किराये पर, 02 कार्यकर्ता/सहायिका के घर पर नि:शुल्क तथा 113 अन्य संस्थाओं के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं। सूची परिशिष्ट-4 पर सलग्न है।

राज्य सरकार किरायें के भवन अथवा भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु चरणबद्ध रूप से, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, भवन निर्माण के लिए प्रयासरत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर (दक्षिण) विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र

233. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) के वार्ड संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 व 48 में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित हैं? प्रत्येक वार्ड अनुसार आंगनबाडी केन्द्रों के स्थाई पतो की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र स्वयं के भवनों में व कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? केन्द्र अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने व कौन-कौन से केन्द्र ऐसे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के विपरीत अधिक जनसंख्या पर स्थित है? क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) के वार्ड संख्या ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 46 व 48 में 78 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं वार्ड अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त सभी 78 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में संचालित हैं।

(3) उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्र तत्समय प्रचलित मानदण्डों के अनुरूप खोले गये थे।

भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार औसतन 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है। अजमेर शहरी परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र 800 से अधिक की जनसंख्या पर संचालित हैं। परन्तु भारत सरकार से ही प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार शहरी परियोजना कच्ची बस्तियों की आबादी के आधार पर खोली जाती है तथा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों तथा कच्ची बस्तियों में प्राथमिकता से आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र अजमेर (दक्षिण) के संदर्भित बार्डो में कच्ची बस्तितयों तथा अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को कवर किया जा चुका है। फिर भी वंचित क्षेत्रों को समेकित बाल विकास सेवाओं से जोड़ने के लिये अजमेर शहर परियोजना में चालू वित्तीय वर्ष में 5 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 6 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है, जिसका उल्लेख वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट भाषण में किया जा चुका है।

परिशिष्ट 'अ'

वार्ड अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्रम संख्या	वार्ड नम्बर	केन्द्र का नाम
1	5	शीशाखान प्रथम
2	5	शीशाखान द्वितीय
3	6	टाम्बे प्रथम
4	6	टाम्बे द्वितीय

क्रम संख्या	वार्ड नम्बर	केन्द्र का नाम
5	6	बागड़ी बस्ती
6	6	सुखाडीयानगर
7	7	जटिया बस्ती
8	7	खटीक बस्ती
9	7	आशागंज
10	8	सांसी बस्ती
11	8	फरीदा बाग
12	8	रामबाग
13	8	शिव कालोनी
14	9	अयजनगर
15	9	भगवानगंज नई बस्ती
16	10	कंजर बस्ती
17	10	हरिजन बस्ती
18	10	गौतम नगर
19	10	साधू बस्ती
20	10	धानका बस्ती
21	11	लूहार बस्ती मिनी
22	12	लूहार बस्ती मिनी
23	13	चिश्ती नगर
24	13	खानपुरा प्रथम
25	13	खानपुरा द्वितीय
26	13	जवाहरनगर मिनी
27	13	सुभाषनगर प्रथम

क्रम संख्या	वार्ड नम्बर	केन्द्र का नाम
28	13	सुभाषनगर द्वितीय
29	13	सुन्दर नगर
30	14	सुन्दर नगर
31	15	इसाई मोहल्ला
32	15	हजारी बाग
33	16	ईदगाह
34	31	सिन्धी बस्ती
35	31	पिले मियां का तकिया
36	32	पाल बिछला
37	32	बैरवा बस्ती
38	32	ईश्वर बस्ती
39	33	सौलंकी बस्ती, धोबी घाट मिनी
40	33	जादूगर प्रथम
41	33	जादूगर द्वितीय
42	34	जादूगर तृतीय
43	34	बावडी पाज
44	34	गूजर धरती प्रथम
45	34	गूजर धरती द्वितीय
46	34	गूजर धरती तृतीय
47	34	हरिजन बस्ती मिनी
48	35	राबडीया प्रथम
49	35	राबडीया द्वितीय
50	35	नानकरण का आहता प्रथम

क्रम संख्या	वार्ड नम्बर	केन्द्र का नाम
51.	35	नानकरण का आहता द्वितीय
52	35	सुनारों का बाडा
53	35	सुनारों की हवेली
54	36	सुनारों की हवेली
55	37	नृसिंह पुरा
56	37	अवधपुरी
57	37	राजीव गांधी कालोनी
58	38	पर्बतपुरा
59	39	माखुपुरा
60	40	गणेश नगर
61	40	बालुपुरा
62	41	श्रृंगार चंवरी
63	42	आनन्दपुरी
64	42	पिपली का बैरा
65	43	भंजनगंज प्रथम
66	43	भंजनगंज द्वितीय
67	43	उदयगंज, धानमंडी मिनी
68	43	धोलाभाटा
69	44	नया घर
70	44	तिलक नगर
71	45	राजीव नगर
72	45	कल्याणीपुरा प्रथम
73	45	कल्याणीपुरा द्वितीय
74	45	डोसी बस्ती
75	45	मिस्त्री मोहल्ला

क्रम संख्या	वार्ड नम्बर	केन्द्र का नाम
76	45	धानका बस्ती
77	46	नाका मदार
78	48	पलटन बाजार

सामूहिक विवाह अनुदान योजनान्तर्गत अनुदान हेतु लम्बित प्रकरण

234. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत गत छह माह में संस्थाओं को अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना एवं किस-किस को? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में इस योजनान्तर्गत किन्हीं संस्थाओं के आवेदन लम्बित है? यदि हां, तो कितने तथा क्यों?

(3) क्या सरकार इन आवेदकों को वांछित अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? सरकार इन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन करने बाद कितनी अवधि में अनुदान स्वीकृत करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, सामूहिक विवाह अनुदान योजनान्तर्गत गत 6 माह में जिन संस्थाओं को अनुदान दिया गया है, उसकी जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिन संस्थाओं के आवेदन पत्र लम्बित हैं, उनकी संख्या जिलेवार कारण सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) सामूहिक विवाह अनुदान नियम 1996 के अनुसार निर्धारित समय अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने वाली संस्थाओं के द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन उपरान्त वांछित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने पर अधिकतम 15 दिवस की अवधि में स्वीकृति जारी कर भुगतान करने के निर्देश हैं।

(परिशिष्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का स्थायीकरण

235. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार गत 10 वर्षों से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) राज्य में महिला सुपरवाइजरों के कितने पद स्वीकृत व कितने पद कब से रिक्त हैं? रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं । क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप मानदेय आधार पर चयनित कार्यकर्ताएं है।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार वर्तमान में महिला सुपरवाइजरों के 1934 पद स्वीकृत एवं 494 पर रिक्त हैं।

उक्त रिक्त पदों में से 350 पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

मारवाड़ा जंक्शन विधान सभा क्षेत्र के इंदिरा आवास योजना में लाभान्वित व्यक्ति

236. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ा जंक्शन में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में अब तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कौन-कौन व्यक्ति लाभान्वित हुए? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास इन्दिरा आवास हेतु भूमि उपलब्ध हैं लेकिन वो लाभान्वित नहीं हो सके? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत इन्दिरा आवासों में से कितनों का भुगतान कर दिया गया और कितनों का बकाया है? नाम एवं ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्ष 2008-09 में 200 व्यक्ति

(ग्रामीण विकास मंत्री)

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए। तथा 2009-10 में 192 व्यक्ति लाभान्वित किये जा रहे है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1-अ व 1-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में 123 व्यक्ति हैं जिनके पास इन्दिरा आवास हेतु भूमि उपलब्ध है, लेकिन वारियता एवं लक्ष्य के आधार पर लाभान्वित नहीं हो सके। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। भारत सरकार द्वारा आबंटित लक्ष्यों के आधार पर ही ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा सकेगा। इस हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

(4) स्वीकृत इन्दिरा आवासों में से वर्ष 2008-09 में लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है तथा इन 200 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान बकाया है। नाम एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। वर्ष 2009-10 में 192 इन्दिरा आवासों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर भुगतान की प्रक्रिया प्रगतिरत है। नाम एवं ग्राम पंचायत विवरण परिशिष्ट- 1 -ब पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में विधायक कोष से अभिशंसित कार्य

237. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विधायक कोष से जारी कार्यों में से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत कर दिये गये तथा कौन-कौन से शेष हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधायक कोष के कार्य जिला परिषद (ग्रामीण प्रकोष्ठ) जयपुर द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के बाद विभिन्न विभाग/संस्था में कौन-कौन से कार्य कब से लम्बित हैं एवं अब कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विधायक कोष से जारी 31 कार्यो में से समस्त कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जिला परिषद (ग्रामीण प्रकोष्ठ) जयपुर द्वारा विधायक कोष के उक्त कार्य स्वीकृत कर दिये जाने के बाद विभिन्न विभाग/संस्था में जो कार्य लम्बित हैं उनका विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या-5 पर उपलब्ध है। अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कराया जाने हेतु संबंधित संस्थाओं को निर्देशित कर दिया गया है।

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विधायक कोष से जारी एवं स्वीकृत कार्यों की सूची एवं कार्यवार लम्बित विभाग/कार्यकारी एजेन्सी 2008-09

क्र. सं.	विधायक कोष से जारी कार्य	स्वीकृत क्रमांक/ दिनांक	स्वीकृत राशि	लम्बित विभाग कार्यकारी एजेन्सी एवं विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	मरम्मत, परिवर्तन, परिवर्धन कार्य तह. सांगानेर	891-63 6.8.08	3.00	पूर्ण
2	सामु. भवन महावीर नगर 80 फीट रोड स्थित महादेवरा उद्यान	861-67 14.8.08	2.00	नगर निगम
3	जन उपयोगार्थ हौल निर्माण खडेलवाल कालोनी के पास हायर सेके. स्कूल के पीछे स्थित वगीची में	861-67 14.8.08	2.00	नगर निगम
4	जैन उपयोगार्थ भवन आदर्श विद्या मंदिर के पास स्थित छाजावास में	861-67 14.8.08	8.00	नगर निगम जयपुर
5	सामु. भवन रजत पथ एवं विहया चल मार्ग पर स्थित कम्युनिये फसे लिये के उपयोगी	861-67 14.8.08	10.00	सार्व. निर्माण विभाग
6	पानी का टोका गोपाल जी की तलाई सांगानेर	861-67 14.8.08	1.25	जन स्वा. अभि. विभाग

1	2	3	4	5
7	पानी का टोका खानीपुरा का वाढ सांगानेर	861-67 14.8.08	1.25	जन स्वा. अभि. विभाग
8	पानी का टोका बाजणी की तलाई	861-67 14.8.08	1.25	जन स्वा. अभि. विभाग
9	चार दिवारी ऊंची करना शिकार पुरा रोड स्थित रामरमन	861-67 14.8.08	4.00	नगर निगम जयपुर
10	सामु. भवन निर्माण खातीपुरा का बाढ ढाणी कुमावतान सांगानेर	1107-11 1.9.08	3.00	नगर निगम जयपुर
11	सैक्टर चार दिवारी पूर्ण करना रा.उ.प्रा.वि. सुखालपुरा	1107-11 1.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
12	सकेटर 66 लाल हनुमान पार्क मानसरोवर का कार्य	1107-11 1.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
13	सेक्टर 40 मानसरोवर पार्क का विकास	1107-11 1.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
14	सेक्टर 41 मानसरोवर पार्क का विकास	1107-11 1.9.08	0.50	नगर निगम जयपुर
15	सेक्टर 13 चवेना पथ स्थित पार्क का विकास मानसरोवर	1107-11 1.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
16	सेक्टर 37 के सामने अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण करना	1107-11 1.9.08	1.50	नगर निगम जयपुर
17	मानसरोवर के जोन 62 स्थित पार्क का विकास	1284-86 16.9.08	3.00	नगर निगम जयपुर
18	मानसरोवर के जोन 64 स्थित मार्क का विकास	1284-86 16.9.08	3.00	नगर निगम जयपुर
19	शमशान विकास कार्य सांगानेर के जोतडावाला ग्राम स्थित	1284-86 16.9.08	2.00	नगर निगम जयपुर

1	2	3	4	5
20	कल्याण कुंज उद्यान सांगानेर का विकास	1284-86 16.9.08	2.00	नगर निगम जयपुर
21	कटीले तारों की बाद निःशुल्क आवास माता अमृतामयी देरी ग्रेवल ट्रूस्ट द्वारा संचालित सायपुरा	1347-51 24.9.08	2.00	नगर निगम जयपुर
22	चार दिवारी हौल निर्माण रा.मा.वि. के पास अेवेडकर पार्क	1347-51 24.9.08	5.00	नगर निगम जयपुर
23	सांगानेर के मकान नं./74 मानसरोवर में स्थित पार्क में विकास	1347-51 24.9.08	2.00	नगर निगम जयपुर
24	सिंगल पाइंट ट्युववेला सांगानेर के सुमेर नगर वित्रार न्यू सांगानेर रोड स्कूल के सामने	1347-51 24.9.08	4.00	जन स्वा. अभि. विभाग
25	मानसरोवर में स्थित जोन 23 के पार्क का विकास	1347-51 24.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
26	एक कमरा निर्माण मानसरोवर की कालोनी पय स्थित पार्क में	1347–51 24.9.08	1.00	नगर निगम जयपुर
27	चार दिवारी एवं सामु. भवन निर्माण सांगानेर की मोजी कॉलोनी अनु. जोन बाहुल्य झडे।	1483-86 29.9.08	4.00	नगर निगम जयपुर
28	पार्क विकास कार्य प.न. 31/205 प्रताप नगर के सामने	1493-86 29.9.08	1.25	नगर निगम जयपुर
29	सांगानेर के रामदेवरा कॉलोनी स्थित पार्क का विकास	1507-10 29.9.08	2.00	नगर निगम जयपुर
30	सी.सी. रोड खटीकों का मोहल्ला, श्योपुरा	1507-10 29.9.08	1.50	नगर निगम जयपुर
31	सी.सी. रोड कच्ची बस्ती ववाला	1507-10 29.9.08	1.50	नगर निगम जयपुर

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेद चिकित्सालय में रिक्त पद

238. श्री कान सिंह कोटड़ी (सिवाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सिवाना के आयुर्वेद चिकित्सालयों में वैद्यों एवं उपवैद्यों के कितने पद सृजित हैं एवं इनमें से कितने रिक्त हैं? चिकित्सालयवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में संचालित 20 विभागीय आवुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के 20 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के 19 पद सृजित हैं। इनमें से आयुर्वेद चिकित्सक के 9 पद तथा नर्स/कम्पाउण्डर के 6 पद रिक्त हैं। औषधालयवार स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट-क

सिवाना विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में चिकित्सकों व नर्स/कम्पाउण्डर के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण

(स्थिति दिनांक 10-7-09)

क्र. सं.	स्थान औषधालय	आयुर्वेद चिकित्सक		नर्स/कम्पा.	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	सिवाना	1	-	1	1
2	पादरू	1	-	1	-
3	मिठूडा	1	1	1	-
4	कुंडल	1	1	1	1
5	इन्द्राणा	1	-	1	-
6	राखी	1	1	1	-
7	करमावास	1	-	1	1
8	खण्डप	1	-	1	-
9	सेवाली	1	1	1	-

क्र. सं.	स्थान औषधालय	आयुर्वेद चिकित्सक		नर्स/कम्पा.	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
10	मोकलसर	1	-	1	-
11	ढीढस	1	1	1	1
12	कोटडी	1	-	1	-
13	समदडी	1	1	1	-
14	जेठन्तरी	1	-	1	-
15	बामसीन	1	1	1	1
16	रानीदेशीपुरा	1	-	1	-
17	सिणधरी	1	1	1	-
18	दांखा	1	1	1	-
19	जूनामीठाखेड़ा	1	-	1	1
20	होड्‌	1	-	-	-
	योग	**20**	**09**	**19**	**06**

कृषि उपज मण्डी अलवर में मण्डी शुल्क में व्याप्त अनियमितताएं

239. **श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी अलवर में गुड, चीनी एवं खांडसारी की भारी मात्रा में आवक हो रही है, लेकिन मण्डी शुल्क जमा नहीं हो रहा?

(2) क्या यह भी सही है कि गुड, खांडसारी एवं चीनी की बिल्टी हरियाणा एवं गुजरात के नाम पर बनाई जाती है एवं माल अलवर जिले के विभिन्न स्थानों पर आता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर कृषि उपज मण्डी अलवर में गुड़, चीनी एवं खाण्डसारी की आवक का नियमानुसार मण्डी शुल्क जमा हो रहा है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रकरण ध्यान में नहीं आया है। प्रकरण ध्यान में आने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजनान्तर्गत जारी जाब कार्ड

240. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जाब कार्ड बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तय किए गए? क्या इन मानदण्डों में किसी प्रकार की शिथिलता का प्रावधान है?

(2) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में अब तक कितने जाब कार्ड बनाये गये तथा उनमें से कितने कार्डधारी व्यक्तियों को नेरगा के अन्तर्गत काम दिया गया?वंचित कार्डधारी को अब कब तक जाब कार्ड जारी कर दिये जावेंगे? वंचित कार्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी राजस्थान अन्तर्गत जाब कार्ड बनवाने हेतु सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ग्राम पंचायत में पंजीयन फार्म भरकर जमा करवाया जाता है। जिसमें उसके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दिया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा निवास स्थान एवं परिवार पहचान के बाद पूरे परिवार का नि:शुल्क फोटो खिंचवा कर 15 दिन के भीतर-भीतर जाब कार्ड जारी किया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में अब तक 47,303 परिवारों द्वारा जाब कार्ड केलिये आवेदन किया, सभी 47,303 परिवारों को जाब कार्ड जारी करवाये गये। इनमें से 27,899 परिवारों ने रोजगार हेतु आवेदन किया, सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान में कोई भी परिवार जिसने जाब कार्ड के लिये आवेदन किया, वह जॉब कार्ड से वंचित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-172 का विवरण)

न्यूरो सर्जरी विभाग की इकाइयों में उपलब्ध शैय्याओं तथा

पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण

इकाई संख्या	उपलब्ध शैय्याओं की संख्या	पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण			
		आचार्य	सह आचार्य	सहायक आचार्य	चिकित्सा अधिकारी
प्रथम इकाई	30	1	2	2	1
द्वितीय इकाई	25	1	1	1	1
तृतीय इकाई	22	1	1	1	-
चतुर्थ इकाई	15	1	-	1	1
पंचम इकाई	14	-	1	-	1

प्रथम इकाई में पदस्थापित दोनों सहायक आचार्यों द्वारा पंचम इकाई में भी सेवाएं दी जा रही हैं।

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

अजमेर दक्षिण में स्थित रेलवे क्रासिंग संख्या-48 बी पर ओवर ब्रिज बनवाने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अजमेर एक ऐतिहासिक व धार्मिक नगर जहां हर वर्ष लाखों पर्यटक आते रहते हैं लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था इतनी चरमराई है कि आये दिन वहां लम्बे-लम्बे जाम लग जाते है जिसका प्रमुख कारण शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली ब्रोड गेज व मीटर गेज लाइनें है शहर के विस्तार के कारण बहुत सी कालोनियां इन रेलवे लाइनों के दोनो और बसी हुई हैं, इन रेलवे लाइनों पर कई क्रोंसिंग बने हुए हैं जिनमें से कुछ रेलवे कोसिंग सुचारू यातायत में बाधा उत्पन्न करते हैं, तोपदड़ा का रेलवे क्रोंसिंग सं. 48 बी जिसके एक ओर जहां रेलवे स्टेशन, कचहरी रोड़ एवं बाजार है वहीं उसके दूसरी ओर घनी आबादी जिसकी जनसंख्या लगभग 25 से 30 हजार है बसी हुई है। साथ ही सम्भाग स्तर के लगभग सभी कार्यालय वहां स्थित है, जहां सम्पूर्ण सम्भाग से सभी कर्मचारी आते जाते रहते हैं। यहां एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक प्राथमिक विधालय भी स्थित है। जहां शहर के सभी छात्र छात्राएं अध्ययन हेतु आते हैं। इसके अतिरिक्त नसीराबाद रोड पर जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी यहां स्थित है जिसका उपयोग अधिकतर लोग यातायत के दवाब से बचने व समय की बचत के लिए करते हैं।

महोदय लेकिन रेलवे स्टेशन पास ही स्थित होने के कारण अधिकतर समय यह क्रोसिंग बन्द रहता है। यद्यपि नगर निगम द्वारा यहां अण्डर पास बनाया हुआ है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उसकी ऊंचाई कम होने के कारण सिर्फ दुपहिया वाहन ही उसका उपयोग कर सकते है। इसके अतिरिक्त वर्षा ऋतु में यहां पानी भर जाता है जिससे दुपहिया वाहन भी उसका उपयोग नहीं कर सकते है।

अंत: मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि व शीघ्र ही भारी यातायात के दबाव को देखते हुए आवर ब्रिज बनवाने की स्वीकृति प्रदान की जाएं ताकि जनता को राहत मिल सकें व रोज रोज लगने वाले जाम से छुटकारा मिल सकें। पूर्व में इस कार्य हेतु सम्पूर्ण सर्वे कर प्रस्ताव जिला प्रशासन द्वारा प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भिजवाया जा चुका है।

सादर।

अनीता भदेल
(अजमेर पूर्व)

मानसरोवर हाउसिंग कालोनी जयपुर की सैकड़ों बीघा भूमि को न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर ने अनियमितता कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया के सम्बन्ध में

माननीय अध्यक्षजी,

मैं आपकी अनुमति से उक्त विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं तथा माननीय नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान भी इस विषय की ओर आकर्षित कर रहा हूं।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वर्ष 1982 में तहसील सांगानेर के ग्राम देवरी की 667 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि (पुराने खसरा नम्बर 321, 338, 322, 340, 323, 324, 326, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 349, 350, 353, 355, 367, 368, 374, 379, 373, 361, 376, 357, 358, 360, 362, 360, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 371 आदि) को हाउसिंग कालोनी बनाने के लिए अवाप्त किया गया था। आवाप्ति के पश्चात आवासन मण्डल द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया तथा उक्त भूमि का नामान्तकरण राजस्थान आवासन मण्डल के नाम दर्ज कर लिया गया। तत्पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल ने उक्त भूमि पर मानसरोवर हाउसिंग कालोनी विकसित की।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर के नाम दर्ज है जबकि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त मानसरोवर कालोनी में स्थित मकानों एवं भूखण्डों को विक्रय किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्षजी मैं आपके माध्यम से नगरीय एवं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शीघ्र उक्त अनियमितताओं की जांच करावें कि किस-किस की मिलीभगत से न्यू पिंक सिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर ने यह नियम विरुद्ध कार्य करवाया है तथा उक्त अनियमितताओं के दोषी लोगों के ऊपर शीघ्र कार्यवाही करें।

अजय सिंह

डेगाना (नागौर)

सा. स्वा. केन्द्र मेड़ता सिटी (नागौर) में चिकित्सक लगाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय चिकित्सालय मेड़ता सिटी, नागौर व अजमेर के बीच में एन.एच. 89 हाईवे पर स्थित है, 80 किमी. अजमेर पड़ता है व 80 किमी. नागौर से पड़ता है। आये दिन हाइवे होने की वजह से एक्सीडेन्ट कैसेज हमारी संस्थान में आते हैं। एक भी हड्डी का डाक्टर

नहीं व निस्चेत का डाक्टर भी नहीं है। लम्बे समय से शिशु रोग विशेषज्ञ भी नहीं हैं। अत: आप

(1) अस्थि रोग विशेषज्ञ

(2) निस्चेतन विशेषज्ञ

(3) शिशु रोग विशेषज्ञ

(4) महिला डाक्टर MO

डाक्टर लगाने का कष्ट करें ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले व जानें बचाई जा सकें। आशा है कि आप हमारे इस प्रार्थना पत्र स्वीकार करेंगे।

सुखाराम नेतडिया

मेडता (नागौर)

कस्टोडियन भूमि की रजिस्ट्री पुरानी रेट पर ही करने हेतु

मान्यवर

निवेदन है कि अलवर जिले में जो कस्टोडियम भूमि है उसे किसानों को आबंटन किया हुआ है तथा गैर तथा खातेदारी की कस्टोडियन भूमि है। पहिले कस्टोडियन भूमि की रजिस्ट्ररी किसान के नाम होती थी जो 1250 रुपये प्रति बीघा की दर रजिस्ट्ररी की जाती थी अब डीएलसी रेट की 25 प्रतिशत कीमत जमा करवाकर रजिस्ट्ररी करवाई जा रही है जो गरीब किसान के लिये बहुत ज्यादा है। इतनी बडी रकम के चक्कर में किसान अलाट शुदा कस्टोडियन गैर खातेदारी की भूमि को अपने नाम रजिस्ट्ररी करवा नहीं पाता जिसके कारण किसान को न तो इस जमीन पर बिजली कनेक्शन होता है और न ही बैंक कर्जा देती है।

अत: आपसे निवेदन है कि पुरानी रेट 1250 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से कस्टोडियम भूमि की रजिस्ट्ररी करवाने के आदेश विभाग को दें ताकि किसान आसानी से गैर खातेदारी से खातेदारी बन सके व बिजली कनेक्शन व बैंक लोन ले सके।

बाबूलाल बैरवा

कठूमर (अलवर)

बयाना (भरतपुर) में बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना (भरतपुर) में मोटर साइकिलों एवं चार पहियों गाड़ियों की चोरी आये दिन होती रहती है बयाना कस्बा में कचहरी

परिसर, रेलवे स्टेशन, गांधी चौक से लगातार गाड़ियां चोरी हुई है पुलिस द्वारा ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कानून की स्थिति बिलकुल चरमरा गई है आम आदमी सुरक्षित नहीं है। ऐसे चोर गिरोह भी कहीं बाहर के नहीं है सरेआम कस्बे में अपरिचित व्यक्ति घूमते बताये जाते हैं उनकी कोई रोक नहीं है। जब उनका दाव लग जाता है चोरी कर गाडिया उठा ले जाते हैं पुलिस अपने दायित्वों से परे के कार्यो में पायी जाती है कानून व्यवस्था बिलकुल खराब होने के कगार पर है। प्रशासन को गरीब लोग कई बार बता चुके हैं किन्तु स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी इस बारे में न तो पुलिस से सम्पर्क साधते हैं और न ही अपना दायित्व समझते हैं कि आम जनता में मची त्राहि त्राहि की घटनाएं कैसेट रोकी जाये।

सरकार से अनुरोध है कि ऐसी चोरी की घटनाओं को रोके जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

ग्यारसाराम कोली
बयाना (भरतपुर)

मारवाड़ जंक्शन (पाली) विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि जन स्वास्थ्य मन्त्री जी विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के उन गावों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें अकाल की वजह से पीने का पानी की भारी समस्या हो गयी है लोग गांवों से पलायन करने को मजबूर हो रहे मनूष्य तो जैसे तैसे ही अपनी प्यास बुझा सकते है किन्तु पशुधन के पीने के पानी की भारी समस्या हो गयी है पूर्व में जो कुएं एवं संसाधन थे वो भी सुख गये है।

अतः आपसे अनुरोध करता हूं कि निम्नांकित गांवों में शिघ्रातिशीघ्र ट्यूब वैल खुदवाकर जनता को पीने के पानी की व्यवस्था करावे।

(1) देवली पाबूजी (2) इटन्दरा चारणान (3) पादरली सिन्धलान (4) रामाजी का गुड़ा (5) रूगडी (6) रायपुरिया (7) खिंवाड़ा (8) आशापुरा (9) नया गांव (कोट) (10) गुड़ा ठाकुर जी (11) गुडा केसरसिंह (12) भबाण (13) झंझाड़ी (14) राणावास (15) चेलावास

समय रहते उपरोक्त गांव में ट्यूब वैल खोद कर व्यवस्था करने की मांग करता हूं।

केसाराम चौधरी
मारवाड़ जंक्शन (पाली)

आसींद में पानी व घास की समस्या के सम्बन्ध में

मान्यवर,

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में इस समय पानी और घास की भयंकर समस्या का सामना आम जन को करना पड़ रहा है क्षेत्र के आसीन्द बदमोर व हुरडा तहसील क्षेत्र के सभी ग्राम व ढ़ाणियों में पानी व घास की विकट समस्या होने से कुछ स्थानों पर पानी के टैंकर चल रहे हैं। किन्तु टैंकरों की कमी पानी नहीं ले आते हैं पूर्व देख-रेख नहीं होने से पानी के लिए जनता त्रस्त है। देखरेख पुरी हो। जहां पानी की आवश्यकता है वहां और टैकर बढ़ाये जाये। घास की सबसे गंभीर समस्या है घास के डीपों नाम मात्र के खोल रख हैं। घास ला नहीं रहे है क्योंकि घास लगभग 600 रुपये क्विंटल में भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। मैंने पूर्व में जिला परिषद की मीटिग में घास व पानी की समस्या से प्रशासन व केन्द्रीय मंत्री सी0पी0जोशी को भी अगवत कराया था1

मैने बताया था कि जून व जुलाई में वर्षा नहीं हुई तो घास की विकट समस्या खड़ी होगी समय से पूर्व इस और ध्यान दिया जाए ताकि पशुधन मरने से बच सके किन्तु सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे पा रही है पशुधन कई ग्रामों में मृत्यु के ग्रास हो गये है तथा हो रहे हैं, अविलम्ब घास की व्यवस्था की जाये तथा छूट मात्र 50 व 60 रू0 क्विटंल मिलती है इस बढाकर जिस रेट से घास खाकला आता है 50 प्रतिशत छूट दी जाये ताकि मरता हुआ पशुधन बच सके। क्योंकि आम जन 600 से 700 रू0 क्विटंल घास नहीं खरीद सकता है।

इस और सरकार कोताही नहीं बरते व इसको गंभीर मानकर व्यवस्था करावे।

रामलाल गुर्जर

आसीन्द (भीलवाड़ा)

गुदवाड़ा ग्राम (सिरोही) में तूफान पीड़ित लोगों को मुआवजा दिये जाने हेतु

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि जिला सिरोही में मंडार के निकटवर्ती ग्राम गुदवाड़ा में दिनांक 7 जुलाई 2009 को शाम के समय प्राकृतिक आपदा के रूप में आये भीषण वायूवेग के

तूफान से ग्राम गुंदवाडा निवासी श्री सोपाराम चौधरी की खेत पर कार्य करते समय भारी पेड़ सिर पर गिर जाने से मौत हो गई, तीन दर्जन से अधिक कुओं पर स्थित घरों केलू व टीन टप्पर उखड़ गये, बिजली के खम्भे, ट्रांसफार्मर तथा असंख्य पेड़ धराशायी हो गये, मौके पर अनेक पशु पक्षियों की मौत हो गई। (1) पनाराम चौधरी (2) नागाराम चौधरी (3) वीयाराम चौधरी (4) गेनाराम चौधरी (5) अनवर खां मौसला (6) फूलाराम भील (7) रावताराम (8) रामजीलाल चौधरी (9) वागयुरी (10) लीवमाराम चौधरी (11) जीवाराम चौधरी (12) वीयाराम चौधरी (13) सुजाराम चौधरी (14) अमराराम चौधरी (15) मोतीराम चौधरी (16) जोगाराम मेघवाल (17) अर्जुनराम रेवारी आदि के कुओं पर भारी नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मृतक एवं पीड़ित अन्य परिवारों को आज दिनांक तक आर्थिक सहायता व राहत प्रदान नहीं की है।

अत: विशेष आपदा राहत बजट से उन्हें अधिकतम आर्थिक सहायता व राहत प्रदान की जाये तथा मृतक के आश्रित परिवार के सदस्य को राजकीय सेवा में लिया जावे।

जगसीराम कोली

रेवदर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में एवं आयु में छूट देने बाबत

महोदय,

मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय यातायात मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में ही 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत की किराये में छूट दी जाती है। जबकि रेल किराये में उक्त छूट 60 वर्ष के नागरिकों सभी श्रेणीयों में पुरूष वरिष्ठ नागरिक को 30 प्रतिशत एवं महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट दी जाती है तथा हवाई यात्रा वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

अत: मान्यवर रेलवे की भांति वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष के स्थान 60 वर्ष की जाये तथा वरिष्ठ नागरिकों की वृद्वावस्था को मध्यनजर रखते हुये ये यात्रा आरामदायक बसों में भी कर सकें इस हेतु निगम की सभी बसों की श्रेणियों में पुरूष वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत एवं महिला वृद्ध नागरिकों को 50 प्रतिशत किराये में छूट देने हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग

करती हूं जिससे कि वरिष्ठ नागरिक पुरूष/ महिलाओं को यात्रा करने में और अधिक आर्थिक एवं शारीरिक राहत मिल सके।

किरण माहेश्वरी

राजसमन्द

जैसलमेर जिले के नहरी क्षेत्र में विभिन्न चक आबादियों, गांवों, ढाणियों को जोड़ने वाली सड़कों, रास्तों के बीच पड़ने वाली नहरों, माइनरों पर पुल बनवाने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जैसलमेर जिले के इन्दिरा गांधी नहरी क्षेत्र के कई ऐसे गांव, चक आबदियों एवं ढाणियां हैं जिनको जोड़ने वाली सड़कों/ रास्तों के बीच नहर, माइनर एवं सब माइनर पड़ते है जिसके ऊपर पुल नहीं बने हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा काफी लम्बा चक्कर काट गांव आना पड़ता है।

(1) 8-9 पाली माईनर : 8-9 पाली माईनर की सड़क नहरी क्षेत्र की चार बडी चक आबादियों को जोड़ने वाली सड़क है। इन चक आबदियों में काफी संख्या में किसान निवास करते हैं। इस सड़क का निर्माण बीएडीपी के तहत करवाया गया है। इस सड़क के ऊपर पुल नहीं बना होने के कारण इन आबादियों के लोगों को सड़क पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसानों को इन चक आबादियों में आने के के लिए 40 किलोमीटर चक्कर लगाना पड़ता है।

(2) इन्दिरा गांधी मैन नहर 1315 आरडी : मैन नहर की 1315 आरडी से होकर गुजरने वाली सड़क मिठड़िया गांव व अन्य कई चक आबादियों तथा ढाणियों को जोड़ती है। लेकिन नहर पर पुल नहीं बना होने के कारण आम जनता को भारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है।

(3) नवोडा माईनर 2 व 3 खालों के पास : यहां से होकर कच्ची सड़क गुजरती है जो बाहला गांव पंचायत मुख्यालय को विभिन्न चक आबादियों व ढाणियों से जोड़ती है। बाहाला ग्राम के सभी किसानों की जमीन इसी माइनर पर आई हुई हैं। इस माइनर पुल नहीं बना होने के कारण किसानों को फसल

बुवाई व कटाई के समय साधन लोन-ले जाने में काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है

(4) 30 आरडी : चारण वाला ब्राच : इस माइनर पर पुल नहीं बना होने के कारण ग्राम पंचायत ढाबरीवाला एवं आस पास की नहरी चाक आबादियों तथा ढाणियों के आवागमन में भारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इस गम्भीर समस्या का जैसलमेर के नहरी 136 क्षेत्र का पूर्ण सर्वे करवाकर चरण बद्ध तरीके से समाधान आवश्यक हो।

अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इन नहरों का सर्वे करवाकर पुल बनवाएं जावें ताकि आमजन परेशानियां से राहत मिल सकें।

शाले मोहम्मद

(पोरकण)

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र की पेयजल उत्पन्न स्थिति के बारे में

मान्यवर,

निवेदन है कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर तहसील में आता है जो कि पूरी की पूरी डाक जोन में है खण्डेला की निम्नांकित पंचायतों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा खराब है। ग्राम नौरवाडा, बासड़ी, सुजाना, भोजपुर, बृहसिहपुरा, नीमेडा, जयरामपुरा, चौकड़ी ढाणी गुमानसिंह, केरपुरा कोटडी लुहारबास, गुरारा, रोयल खटूडरा, गोकुलकाबास, दूधवालों का बास, कासरडा, जाजोद, पुजारी का बास, गोविन्दपुरा, ठिकरिया, तपीपला, दादिया रामपुरा, कोटडी धायलान, मालाकाली, जैतूसर, आदि पंचायतों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी हैं। यहां का जल स्तर भी बहुत नीचे है। यहां पर हैण्डपम्प उपयोगी नहीं है यहां पर सिंगल फैस बोरिंग व आठ ईच बोरिंग लगाये जाये व कहीं-कहीं पर हैण्डपम्प भी लगाये जा सकते हैं। खण्डेला शहर के लिये अजपुरा से पाइप लाइन से 12 किलोमीटर दूरी से पानी आ रहा है। जिससे खण्डेला शहर में एक समय 15 मिनट पानी कम दबाव मिल रहा है मुश्किल से एक या दो मटका भरा जा सकता है। खण्डेला के लिये अजपुरा में कम से कम 7 बोरिंग और करवाये जायें पुलिस बल के साथ जिससे शहर को पूरा पानी मिल सके। व

रींगस नगरपालिका बहुत बड़ी है वह ढ़ाणीयों में बहुत ज्यादा बसावट है यहां पर तीन उच्च जलाश्य 4 आठ इंच बौंरिंग और करवाये जायेगा जिससे पानी की समस्या में कुछ समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्षजी जनता आन्दोलित है तथा कभी भी इन गांवों में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

अत: समय रहते हुए सरकार ग्रामीण जनता के लिये अतिशीघ्र उक्त पेयजल व्यवस्था कराये जाने का आग्रह करता हूं।

बंशीधर खण्डेला

खण्डेला

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-42 उद्योग पर ग्राह्य कटौती प्रस्तावों की सूची

मांग संख्या-42 मुख्य शीर्षक उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ) :

1. शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासी उद्योगपतियों को शेखावाटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सम्मेलन/सेमिनार आयोजित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
2. झुंझुनूं जिले के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए।
3. राज्य की बंद एवं रूग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के संबंध में चर्चा के लिए।
4. राज्य में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से नये उद्योगों की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में स्थापित किये जाने वाली सीमेंट उद्योगों के लिए भूमि अतिग्रहण एवं मुआवजे के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं किये जाने से आम जनता में फैले भ्रम असंतोष से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

6. उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु कार्य योजना बनाने तथा उद्योगों हेतु कस्बों में भी लोन व जमीन देने में R.I.I.C.O. की भूमिका पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

7. विधान सभा क्षैत्र उदयपुर ग्रामीण में उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

8. विधान सभा क्षैत्र सूरसागर में टैक्साटाइल्स जोन की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती करण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

9. राजसमंद में मार्बल व्यवसायियों के लिए मार्बल मण्डी की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री हरिसिंह रावत)

10. विधान सभा क्षेत्र भीम पिछड़ा क्षेत्र होने से वहां पर रीको क्षेत्र घोषित कर उद्योग की स्थापना करवाने के संबंध में चर्चा के लिए

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

11. बीकानेर के ऊन उद्योग को नष्ट होने से बचाने हेतु खाटा ग्रोथ सेन्टर में सुविधायें मुहैया करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

12. जबरन बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों एवं मशीनों को पुन: शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

13. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के स्थानीय उद्योगों द्वारा ट्रकों का भाड़ा नहीं देने से हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

14. विभाग द्वारा उपजाऊ भूमि पर उद्योग स्थापित नहीं करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

15. बहरोड़ के आस-पास शराब, एल्कोहल एवं बीयर की फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम हेतु कारगर कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. बहरोड़ व निमराना में उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

17. श्रीगंगानगर जिले में छोटे एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

18. विश्वव्यापक मंदी के दौर में रीको द्वारा प्रतिवर्ष लगाये जाने वाले सर्विस टैक्स को कम करने तथा ब्याज की वसूली स्थगित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

19. उद्योगों में इस्पैक्टर राज पर अंकुश लगाकर एकल खिड़की योजना का शुभारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. श्रीगंगानगर जिले के उद्योगों को पंजाब के फिरोजपुर जिले की तरह पानी, बिजली एवं सैल टैक्स आदि में छूट देने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

21. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2003 के अन्तर्गत तेल मीलों को शामिल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

22. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

23. जिला सीकर की रूग्ण इकाइयों को सहायता प्रदान कर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

24. विभाग द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. राजस्थान में उद्योगों की स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

26. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम का कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में औद्योगिक उत्पादकर्ता की एकल खिड़की योजना, सुदृढ़ीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में माटी कला बोर्ड की गतिविधियों के लिए सहायता/अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने एवं पिलानी में उद्योग स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

30. कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन योजनायें चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. राज्य में बीमार एवं बंद उद्योगों को पुन: चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

32 सीकर जिले के रेवासा नमक उद्योग को विकसित करने, बिजली एवं सड़क की व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर) :

33. धौलपुर जिले को पिछड़े जनजाति जिला घोषित कर नये उद्योग स्थापित करने, स्पेशल इकोनोमिक जोन स्थापित करने एवं प्रत्येक जिले में सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) :

34. विभाग द्वारा उप-खण्ड झाड़ोल एवं कोठडा में पत्तल दोना उद्योग लगाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

35. रीको उद्योग क्षेत्र अलवर में श्रमिकों के लिए विश्राम स्थल एवं भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में रीको की ओर से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

37. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों हेतु विश्राम स्थल एवं भवन निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

38. टोंक जिले के नगरफोर्ट, अलीगढ़ उनियारा क्षेत्र में हथकरघा एवं बुनकर सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. व्यवसायिक केन्द्र देवली (टोंक) में ग्राम तथा लघु उद्योग प्रदर्शनी लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. प्रमुख व्यावसायिक नगर देवली (टोंक) में नवीन उद्योगों के विकास हेतु आधारभूत संरचना के विकास में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. देवली (टोंक) की औद्योगिक क्षमता दोहन एवं विशेष औद्योगिक वातावरण निर्माण हेतु मिनी ग्रोथ सेन्टर की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

42. विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) में सरसों के उत्पादन के मध्यनजर सरसों तेल उद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा पहल करने के संबंध में।

43. विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) में रीको औद्योगिक क्षेत्र का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

44. भिवाड़ी के बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण के कारण आस-पास के गांवों में बढ़ते प्रदूषण के प्रभाव को कम करने हेतु ठोस उपाय किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

45. विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु नये औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नरपतसिंह राजवी (विद्याधर) :

46. जयपुर मैटल्स के राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से के शेयर बेचकर त्रिपक्षीय समझौता लागू नहीं करने पर चर्चा के लिए।

47. विभाग द्वारा जयपुर के आस-पास उद्योग हेतु योजना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

48. राज्य में बजाज सीमेंट एवं जे.के. सीमेंट फैक्ट्री एवं डबोक रूग्ण हो जाने के कारण कार्यरत मजदूरों का बकाया भुगतान कराने एवं उनके रोजगार हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में कलड़ वास एरिया में 25 प्रतिशत भू-स्वामी को विकसित भूमि उपलब्ध करवाकर, अवाप्ति का कार्य पूर्ण करने एवं इसमें नये औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

50. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में अम्वेरी औद्योगिक क्षेत्र की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही लम्बे समय से विचाराधीन होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

51. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर में दस वर्ष से गुडली औद्योगिक क्षेत्र घोषित होने के बाद भी पूर्ण विकसित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. उदयपुर में स्टोन मार्केट और संस्थागत नोलेज पार्क विकास हेतु अतिशीघ्र जमीन अवाप्त कर कार्य प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

53. फलौदी क्षेत्र में बढ़ते कृषि उत्पाद का किसानों को सही दाम दिलवाने हेतु एग्रो बेस उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. विभाग द्वारा लवण उद्योग क्षेत्र फलौदी में श्रमिकों के लिए पेयजल की गम्भीर समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में मलाव, बीठड़ी, माखेरी, बाप में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

56. उद्योगों को प्रोत्साहन देने एवं मार्गदर्शन हेतु फलौदी मुख्यालय पर जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पूर्व की भांति स्थापन करने हेतु चर्चा के लिए।

57. फलौदी में रीको एवं आरएफसी के उप-कार्यालय शुरू कर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

58. विभाग द्वारा वर्षों से बंद पड़ी जयपुर मैटल्स फैक्ट्री को पुन: चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) :

59. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिला के कीनोड़ा ग्राम में पाउडर का उद्योग लगाने हेतु पहल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

60. विभाग द्वारा बांसवाड़ा जिले के माचा मोलन में सीमेंट का प्लांट लगाने हेतु पहल करने के संबंध में ।

श्री शिवाजीराम मीणा (जहाजपुर) :

61. पंचायत समिति जहाजपुर के ग्राम ऊंचा एवं रोपा में रीको एरिया विकसित करने पर चर्चा के लिए।

62. पंचायत समिति कोटड़ी एवं पारोली में रीको एरिया विकसित करने पर चर्चा के लिए।

63. जहाजपुर के लिए रीको एरिया के विस्तार पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

64. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि उपलब्ध

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

होने के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़) :

65. राज्य में हैंडीक्राफ्ट उद्योग की दुर्दशा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

66. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सीमेंट उद्योग विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

67. मारवाड़ जंक्शन में नया औद्योगिक क्षेत्र खोलने पर चर्चा के लिए।

68. रानी औद्योगिक क्षेत्र को फीट्रेड जोन घोषित करने पर चर्चा के लिए।

69. औद्योगिक क्षेत्र रानी एवं मारवाड़ जंक्शन में बिजली एवं सड़क व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

70 उद्योग केन्द्रों पर बाल मजदूर को रोकने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योग केन्द्र स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

71. विभाग द्वारा भीलवाड़ा में स्थापित कपड़ा उद्योग के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था पृथक से किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

72. केन्द्र द्वारा घोषित मेघा क्लूस्टर आफ पावर लोन योजना को भीलवाड़ा में लागू कराने हेतु चर्चा के लिए।

73. भीलवाड़ा शहर में प्रोसेस हाउसों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में भू जल से कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) :

74. विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर परम्परागत फर्स्ट उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. राज्य की रूग्ण इकाइयों को पुन: चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

76. उद्योगों द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

77. ग्राम मोहनपुरा (कोटपूतली) को विस्थापित किये बिना ग्रासिय उद्योग द्वारा पहाड़ी पर ब्लास्टिंग करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माडलगढ़) :

78. विधान सभा क्षेत्र मांडलगढ़ में उद्योग स्थापित करने हेतु ग्रोथ सेन्टर स्थापित किये जाने व हेतु एक्सपोर्ट स्टोन के एक्सपोर्ट की सुविधाओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामेहत सिंह (किशनगढ़बास) :

79. रीको द्वारा तहसील तिजारा, किशनगढ़बास, कोटकासिम में अधिगृहित की जाने वाली भूमि के मुआवजे का निर्धारण एन.सी.आर. में आने वाले प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, राजस्थान के डी.एल.सी. रेट का औसत दरों को आधार बनाकर देने के संबंध में चर्चा के लिए।

80. रीको में अधिगृहित होने वाली भूमि में स्थापित गांव की सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, अस्पताल आदि विकास की योजनायें औद्योगिक विकास योजना के साथ-साथ करने तथ उद्योगों हेतु आबंटित किये जाने वाले भूखण्ड का अन्य परियोजनाओं में उपयोग नहीं हो उसके नियमों की पालना सख्ती से कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. रीको द्वारा किसानों की अधिगृहित की जाने वाली तहसील तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़बास की भूमि पर स्थापित उद्योगों में किसानों के परिवार से उसी उद्योग में कम से कम व्यक्ति को योग्यता अनुसार रोजगार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

82. औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, खुशखेड़ा, चौपानकी, खैरथल में प्रदूषित जल निकासी की समुचित व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन) :

83. चौहटन तहसील बारवासा क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाला नमक उत्पादन शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

84. अजमेर जिले में फल, सब्जियों एवं फूलों के प्रचूर उत्पादन को देखते सरकारी स्तर पर प्रोसेसींग यूनिट स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्रीमती अनिता भदेल)

85. अजमेर के पर्वतपुरा रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. अजमेर जिले में लघु उद्योगों के अन्तर्गत गोटा क्लस्टर की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए गोटा निर्माण कार्य में लगी महिला उद्यमियों को विशेष सहायता अनुदान एवं प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विभाग द्वारा अजमेर में लघु उद्योगों को विकसित करने हेतु कम ब्याज पर सुगामता से ऋण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

88. कृषि आाधारित उत्पाद जैसे सोयाबीन, अजवाइन, अफीम से निकलने वाला खसखस तथा लघु वन उपज आधारित प्रोसिंग प्लांट लगाने पर चर्चा के लिए।

मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

89. रीको कार्यालय बाड़मेर में ए.आर.एम.सी. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने तथा रीको क्षेत्र का बाड़मेर में विकास करने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. जिला पर उद्योग केन्द्र बाड़मेर में काफी समय से रिक्त चल रहे उद्योग प्रसार अधिकारी एवं उद्योग निरीक्षक के पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लालशंकर घाटिया (डूंगरपूर) :

91. डूंगरपुर में अधिक से अधिक उद्योग लगाने व रीको औद्योगिक क्षेत्र बिछीवाड़ा में लगाये गये उद्योगों की विफलता के संबंध में ।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

92. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के संबंध में।

93. अलवर एम.आई.ए. में बंद पड़े हुए उद्योगों को चालू कराने एवं चालू न होने की दशा में उनकी निलामी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के किसानों की उद्योगों के लिए जमीनों के आवाप्त करने से पूर्व उनके रहने की एवं प्रति परिवार रोजगार देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

95. जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. के बंद हो जाने से वहां कार्यरत मजदूर/कर्मचारियों की बदाहल हालत के संबंध में चर्चा के लिए।

96. रीको द्वारा विकास शुल्क लेने के बावजूद उद्योगों पर नगरीय विकास कर लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

97. उद्योग पर एन्ट्री टैक्स लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

98. सेज में उद्योगों के लिए पानी दे दिया, लेकिन बगरू औद्योगिक क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में पानी न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

99. रीको द्वारा संचालित औद्योगिक क्षेत्र में वेयर हाउस पर शुल्क लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

सुश्री सिद्धिकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

100. बीकानेर के ऊन उद्योग की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. बीकानेर में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. बीकानेर स्थित ऊन मंडी को विशेष उद्योग का दर्जा एवं कर की दरों में और रियायत देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

103. विधान सभा क्षेत्र करौली में रीको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करवाने तथा वहां नवीन औद्योगिक इकाइयां प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

104. जोधपुर के रीको क्षेत्र में इण्डस्ट्रीज से निकलने वाले रसायनों एवं दूषित पानी के भूमिगत निस्तारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में टैक्सटाइल्स जोन की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

106. भरतपुर में बंद पड़ी डालमिया डेयरी, चिनार एवं जी.ई.डब्ल्यू. फैक्ट्रियों को चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(डा. दिगम्बर सिंह)

107. भरतपुर जिले में नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में।

108. विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर में प्रदूषण रहित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने पर चर्चा के लिए।,

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

109. भरतपुर जिले के बंद पड़े उद्योगों को पुन: शीघ्र चालू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में प्रदूषण रहित लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करने पर चर्चा के लिए।

111. विभाग द्वारा भरतपुर जिले में नये उद्योगों की स्थापना हेतु कारगर कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

112. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कारकस प्लांट से उत्पन्न प्रदूषण के कारण आम जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विभाग द्वारा लघु उद्योगों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के युवा बेरोजगारों को सस्ते एवं सुगमता से ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-4

मांग संख्या-47 पर्यटन पर ग्राह्य कटौती प्रस्तावों की सूची

मांग संख्या-47 मुख्य शीर्षक पर्यटन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़)

1. शेखावाटी मेले एवं शेखावाटी पर्यटन सर्किट के विकास के संबंध में चर्चा के लिए।
2. शेखावाटी की लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के दृष्टिकोण से व्यापक योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के पर्यटन स्थलों के संरक्षण एवं विकास के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के लोहार्गल धाम एवं चौबीस कौसीय मार्ग को विकसित करने हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ के नवलगढ़, मुकुन्दगढ़, डूण्डलोद, परसरामपुरा एवं अन्य स्थानों पर स्थित विश्वविख्यात प्राचीन हवेलियों के संरक्षण एवं विकास के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण):

6. जावरमाता, उदयपुर को पर्यटन स्थल घोषित करने के आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. उदयपुर जिले में पर्यटकों की संख्या में निरन्तर गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
8. उदयपुर एवं जिले के अन्य पर्यटन स्थलों को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

श्री हरिसिंह रावत (भीम):

9. उदयपुर सम्भाग में मेवाड काम्पलेक्स के निर्माण एवं राजसमन्द में पर्यटन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

10. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के माचिया सफारी पार्क, दुर्गादास पार्क, सुन्दर बालाजी चौपासनी और पुरातन वल्लभ सम्प्रदाय पुष्टिमार्गीय चौपासनी मन्दिर आदि को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

11. राजसमन्द की ऐतिहासिक झील को झील संरक्षण योजना के तहत सम्मिलित कर वहां रिंग रोड बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

12 विधान सभा क्षेत्र भीम को मेवाड़ काम्प्लेक्स में जोड़ने एवं अन्य पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए पर्यटन का विकास करने के साथ ही पुराने मन्दिरों व गढ़ों का जीर्णोद्वार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

13. विधान सभा क्षेत्र बायतू के किराडू में पर्यटकों में मनोरंजन हेतु स्पोर्टस स्टेडियम एवं आर्ट गैलरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

14. विभाग द्वारा पर्यटन की दृष्टि से बाटाडू (बाडमेर) के ऐतिहासिक कुए की मरम्मत एवं संरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र बायतू में किराडू के ऐतिहासिक मन्दिर का संरक्षण एवं मरम्मत करवाने के सम्बन्ध के चर्चा के लिए।

श्री गयारसाराम कोली (बयाना) :

16. पाली स्थित लाखोटिया उद्यान व मानपुरा भिखरी एवं हयावास बांध को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड) :

17. विभाग द्वारा अलवर जिले में पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने हेतु स्पेशल पैकेज नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) :

18. श्री गंगानगर जिला पंजाब व पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

19. श्री गंगानगर जिले में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

20. विभाग द्वारा जिला सीकर के हर्ष पर्वत को बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

21. जिला सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन हवेलियों, गढ़ों, बावड़ियों आदि को पर्यटन की दृष्टि से सुदृढ कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. शेखावाटी पर्यटन सर्किट को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

23. बून्दी शहर को हैरिटेज सिटी का दर्जा देने एवं पैलेस आन व्हील को बून्दी में ठहराव के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

24. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के पिलानी स्थित बिरला म्युजियम, पंचवटी, मन्दिर को पर्यटन स्थल में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी (झाडोल) :

25. झाडोल में कमलनाथ महादेव, रामकुण्डा, पानरवा, राणापुजा जन्मस्थली आदि को पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

26. मेवाड़ में पर्यटक सर्किट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर को विश्व में प्रथम स्थान दिलाने पर चर्चा के लिए।

28. पी.ओ.डब्ल्यू. एवं एच.ओ.डब्ल्यू. राजस्थान के पर्यटक ट्रेनों में हो रहे आर्थिक नुकसान के संबंध में चर्चा के लिए ।

29. महाराणा प्रताप के जीवन से सम्बन्धित मेवाड़ काम्प्लेक्स योजना पिछले तीस वर्षों से मन्द गति से चलने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. पर्यटन विभाग ने उदयपुर के पर्यटन विकास हेतु की गई स्वीकृत राशि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

31. पर्यटन विभाग द्वारा आर.टी.डी.सी. होटलों में विधायकों को सर्किट हाउस

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

की भांति रियायती दरों पर आवास प्रदान करने के क्रम में चर्चा के लिए।

32. पर्यटन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय अलवर में खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

33. अलवर जिले के पर्यटन को विशेष दर्जा देकर प्रचारित करने के क्रम में चर्चा के लिए।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया):-

34. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के मसिता वाली हैड तथा मालारामपुरा की सीमा पर पर्यटन स्थल विकसित करने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता सिंह (नगर) :

35. सरिस्का में बढ़ रही पेड़ों की कटाई रोकने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36. हैरिटेज सिटी कामां एवं डीग में पर्यटकों को रात्रि विश्राम की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए।

37. बृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग में यात्रियों की सुरक्षा एवं ठहरने (रात्री विश्राम) की समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38. जल महल डीग के रखरखाव व प्रदर्शनी समय-समय पर लगवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

39. पक्षियों की आवक कम होने की चिन्ता को दूर करने के लिए केवलादेव (घना) में पर्यटन की दृष्टि से पानी की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

40. रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटकों के लिए अलीगढ़ (उनियारा) क्षेत्र में उच्च श्रेणी की होटल निर्माण के लिए विभागीय पहल करने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 पर स्थित अलीगढ़ कस्बे के डाक बंगला परिसर में पर्यटन आवास निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

42. पर्यटन स्थल माण्डव ऋषि की तपोभूमि माण्डकला (नगर फोर्ट) के

(श्री रामनारायण मीणा)

पवित्र सरोवर के लिए पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

43. विभाग द्वारा घाड तथा कलन्दपुरा (देवली) क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रचार-प्रसार कर पर्यटकों के आवागमन को प्रोत्साहित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. पुरातत्व संरक्षकता वाले गोकर्णेश्वर एवं बिसलदेव (बीसलपुर बांध क्षेत्र) को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने तथा उसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) :

45. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में स्थित बलेश्वर धाम को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में स्थित गणेश्वर धाम को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

47. पुष्कर में सरस्वती मंदिर से सावित्री पहाड़ी तक बनने वाले रोप-वे का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. अजमेर व पुष्कर में आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

49. विभाग द्वारा अजमेर, पुष्कर के पर्यटन को बढावा देने के लिए रेलवे द्वारा डाली जा रही रेलवे ट्रेक की जद में आने वाली भूमि का कामर्शियल मुआवजा मांगे जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

50. अजमेर नगर की 12वीं शताब्दी की प्राचीन, पावन एवं ऐतिहासिक खरतरगच्छ धरोहर श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छाचार्य श्री जिनदत्त सूरि दादाबाड़ी को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल कर पुरातत्व महत्व का स्मारक घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. अजमेर स्थित अकबर के किले (राजकीय संग्रहालय) की मरम्मत व साजसज्जा हेतु आबंटित लगभग सवा करोड़ की धनराशि का (किले में संचालित पुलिस विभाग के सी.आई.डी. कार्यालय के खाली नहीं होने पर) सम्पूर्ण उपयोग न हो पाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

52. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में पुरातात्विक अवशेषों की अनुपम अवशेष ''किराडू के मंदिरों'' का जीर्णोद्धार एवं रखरखाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

53. सीकर, झुंझूनूं एवं चुरू को पर्यटक सर्किट डवलप करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

54. फलौदी एवं बाप के मिड-वे को नवीनता देकर पर्यटकों को सुविधा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

55. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में खीचन को पर्यटन का मुख्य स्थल चयन की परियोजना प्रस्तावित है, वहां सड़कों का समुचित विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. फलौदी की कलात्मक हवेलियां एवं पुराने किले की मरम्मत के साथ लटियाल माता मंदिर के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

57. फलौदी में पर्यटन मार्गदर्शन कार्यालय स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

58. पर्यटन की दृष्टि से खीचन के कुरजा पक्षी के संरक्षण हेतु एवं तालाब के विकास हेतु समुचित योजना बनाये जाने की चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

59. जयपुर शहर को हैरिटेज सिटी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):-

60. बांसवाड़ा जिला के मलेश्वर व अदेश्वर तीर्थ स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61. बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ को पर्यटन स्थल मानकर पर्यटन को बढावा देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

62. पंचायत समिति जहाजपुर में पौराणिक नगरी धोड को पर्यटन हेतु विकसित करने पर चर्चा के लिए।

63. पंचायत समिति जहाजपुर में प्रसिद्ध घाटाराणी स्थान को पर्यटन हेतु विकसित करने पर चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

64. विराट नगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

65. विधान सभा क्षेत्र सोजत में स्थित हुलिया पगार, आलण, महादेव, चूडायत माता, चामुण्डा माता, धारेश्वर महादेव, रामदेव मंदिर बगडीनगर देव-डूंगरी (गुडाबीजा) को पर्यटन स्थल घोषित करने पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

66. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के वायड का भेरू, गोरमगाट एवं काजलवास भीलवेरी को पर्यटक स्थल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

67. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़, ग्राम बागोरिया माताजी के मंदिर को पर्यटन स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

68. भीलवाड़ा जिले के बदनोर ग्राम में स्थित भव्य महलों को पर्यटन की श्रेणी में लिया जाकर संरक्षित घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

69. विभाग द्वारा विराटनगर (जयपुर) स्थित पुरातात्विक महत्व के आबंटित स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष पैकेज की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगसीराम (रेवदर) :

70. आबू पर्वत एवं उसके आसपास के मंदिरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर चर्चा के लिए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

71. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में पर्यटन स्थल चिन्हित कर उनका विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

72. वन्य जीव अभ्यारण्य सीतामाता प्रतापगढ़ जहां दुर्लभ उडन गलहरी पर्यटकों को सहज दिखाई देती है, को ट्यूरिज्म सर्किट योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री नन्दलाल मीणा)

73. राजस्थान पर्यटन विभाग के आदेश क्रमांक WD/28/IV/32842 दिनांक 15.6.2007 के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले की तहसील अरनोद में स्थित प्रसिद्ध गोतमेश्वर मंदिर के विकास हेतु राशि स्वीकृत होने पर भी कार्य पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिए।

74. मानगढ़ जिला बांसवाड़ा में स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी स्वतंत्रता सैनिकों की मौतों के इतिहास को लुप्त होने से बचाने हेतु शौध पुस्तिका जारी करने, निर्मित कराये गये शहीद स्मारक पर की गई अनियमितताओं व मानगढ़ धाम की भूमि पर सघन वृक्षारोपण कर पर्यटकों को आकर्षित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत रतनपुरिया में स्थित जानागढ़ पर्वत, जहां मुगल बादशाह के बागी युवराज की शरणस्थली है, इसमें तालाब, मकान, परकोटे की जीर्णशीर्ण अवस्था के सुधार कार्य कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हेमसिंह भडाना (थानागाजी) :

76. सरिस्का एवं सीलीसेढ में पर्यटन को बढावा देने व उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. आर.टी.डी.सी. में पर्यटकों को बढ़ावा देने की दृष्टि से उनके खानपान एवं आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. राजस्थान पर्यटन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

79. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पर्यटन स्थलों पर साफ सफाई के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

80. आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित की जाने वाली पर्यटन रेल को घाटे से उबारने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. जयपुर में पर्यटकों के आकर्षण के लिए गढ़ गणेश मंदिर पर रोप वे बनाकर-कैफेटेरिया खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

82. पर्यटन पुलिस बल की संख्या बढ़ाकर पर्यटकों के आस-पास एवं पर्यटन स्थलों से भिक्षावृति वालों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. आर.टी.डी.सी. द्वारा संचालित मिड वे एवं होटल्स की सफाई व्यवस्था बदहाल रहने से घाटे में जाने की स्थिति से उबारने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ठोस कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) :

84. बीकानेर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने एवं पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. बीकानेर में विदेशी/भारतीय पर्यटकों को सुविधाऐं उपलब्ध करवाने, पर्यटकों को निर्बाध एवं सुगम आगमन के साधन उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बडी सादड़ी) :

86. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के सीतामाता अभ्यारण्य को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा) :

87. विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउण्ट आबू का नाम पर्यटन मानचित्र पर अंकित करने व मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर चर्चा के लिए।

88. पर्यटक स्थलों पर पर्यटन पुलिस को मजबूत करने पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा में सुन्धामाता-जीरावल-भेरूतारक धाम-पावापुरी को धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

90. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के गंगलाव तालाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के तख्तसागर, कायलाना, उम्मेदसागर के आसपास सर्दियों में डेरा डालने वाले विदेशी पक्षियों के क्षेत्र का पर्यटन दृष्टि से विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. जोधपुर के पुराने कुओं, तालाबों, बावड़ियों को पर्यटन की दृष्टि से प्राचीन पनघट पैटर्न पर विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

93. भरतपुर जिले के पर्यटन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से घोषित करने पर चर्चा के लिए।

94. घना, भरतुपर में पर्यटन की दृष्टि से पानी की समस्या के समाधान हेतु चर्चा के लिए।

95. पर्यटन की दृष्टि से ऐतिहासिक दुगे लोहागढ़, भरतुपर के चारों तरफ सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

96. विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बांकीमाता का मंदिर, जमवामाता का मंदिर, अस्थल का महल आदि को पर्यटक विभाग में लेकर जीर्णोद्धार करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रामगढ बांध को पर्यटक स्थल के रूप में

श्री विजय बंसल (भरतुपर) :

98. भरतुपर में पर्यटन स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. भरतपुर के पर्यटन स्थल किशोरी महल का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्रीय केवला उद्यान, भरतुपर में पानी की समस्या के निराकरण पर चर्चा के लिए।

101. ऐतिहासिक दुर्ग, भरतपुर के चारों तरफ सुजान गंगा नहर का जीर्णोद्धार करवाकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।